पंचम माला, खंड 55, अंक 2, मंगलवार, 6 जनवरी, 1976/16 पौष, 1897 (शक)

Fifth Series, Vol. LV, No. 2, Tuesday, January 6, 1976/Pausa 16, 1897 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

LOK SABHA DEBATES

5th Lok Sabha

[पंद्रहवां सत्र / Fifteenth Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 55 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. LV contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

लोक - सभा वाद - विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

अंक 2, मंगलवार, 6 जनवरी, 1976/16 पौष, 1897 (शक)

(1) विषय सूची की पंक्ति संख्या 17 में '1' के स्थान पर 'दो'

(2) विषय सूची की पंक्ति संख्या 26 में 'चरणजीत' के स्थान पर 'चन्द्रजीत'।

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 2, मंगलवार, 6 जनवरी, 1976/16 पौष, 1897 (शक)

No. 2, Tuesday, January 6, 1976/Pausa 16, 1897 (Saka)

विषय	SUBJECT	PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**Oral Answers to Questions—**	
तारांकित प्रश्न संख्या 1 से 4 और 6 से 10	Starred Questions Nos . 1 to 4, and 6 to 10 .	1—16
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**Written Answers to Questions—**	
तारांकित प्रश्न संख्या 12 से 17, 19 और 20	Starred Questions Nos. 12 to 17, 19 and 20—	22—20
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 21, 23 से 111 और 113	Unstarred Questions Nos. 1 to 21, 23 to 111 and 113	20—69
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	70—81
विदेशी अभिदाय (विनियमन) विधेयक	Foreign Contribution (Regulation) Bill— .	
(एक) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	(i) Report of Joint Committee . .	81
(दो) साक्ष्य	(ii) Evidence	81
याचिका समिति	Committee on Petitions—	
चौबीसवां और पच्चीसवां प्रतिवेदन	Twenty-fourth and Twenty-fifth Reports .	81
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति—	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes—	
39वां प्रतिवेदन	Thirty-ninth Report . . .	82
धनबाद के निकट चसनाला कोयला खान में दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	Statement *re* accident in the Chasnala Coal Mines, near Dhanbad—	
श्री चरणजीत यादव	Shri Charanjit Yadav	82—85
समिति के निर्वाचन	Election to Committee—	
प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee	85—86
बेतवा नदी बोर्ड विधेयक—**पुरःस्थापित**	Betwa River Board Bill—*Introduced* . .	86
दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक-**पुरःस्थापित**	Delhi Development (Amendment) Bill—*Introduced*	86
भारतीय प्रकाश स्तम्भ (संशोधन) विधेयक—**पुरःस्थापित**	Indian Light House (Amendment) Bill—*Introduced*	87

किसी नाम पर अंकित यह+ इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign+ marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him .

विषय	SUBJECT	PAGES
आय कर (संशोधन) विधेयक पुरः-स्थापित	Income-tax (Amendment) Bill—*Introduced* .	87
आय कर (संशोधन) अध्यादेश, 1975 के बारे में वक्तव्य	Statement re. Income-tax (Amendment) Ordinance, 1975—	
श्री प्रणव कुमार मुकर्जी	Shri Pranab Kumar Mukherjee. .	87—88
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	Motion of Thanks on the President's Address	88—119
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami . .	88—90
श्री शंकर दयाल सिंह	Shri Shankar Dayal Singh . .	103—104
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukherjee . .	104—107
मोइनुल हक चौधरी	Shri Moinul Haque Choudhury . .	108
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Inderjit Gupta . .	109—112
डा० कैलास	Dr. Kailas	112
श्री जी० पी० यादव	Shri G. P. Yadav . . .	112—113
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh . . .	113—14
श्री राम देव सिंह	Shri Ram Deo Singh . . .	114—15
श्री एम० वी० कृष्णप्पा	Shri M. V. Krishnappa . .	115
श्री राम हेडाऊ	Shri Ram Hedaoo . .	116
श्री आई० एच० खां	Shri I.H. Khan	116—17
श्री गिरिधर गोमांगो	Shri Giridhar Gomango . . .	117
श्री मुल चन्द डागा	Shri M.C. Daga	117—18
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B.R. Shukla	118—19
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee—	
57 वां प्रतिवेदन	Fifty-seventh Report	119

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अकिनीडू, श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडू, श्री (अनकपल्ली)
अम्बेश, श्री (फिरोजाबाद)
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश, चन्द्र सिंह (फरुखाबाद)
अहिरवार, श्री नाथूराम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भगवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसाहक, श्री ए० के० एम० (बसिरहाट)
इस्माइल, हुसैन खां श्री (वारपेटा)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडला)
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडगा)
उरांव, श्री टुना (जलपाईगुड़ी)
उलगनबी, श्री आर० पी० (वैल्लर)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
एगती श्री बीरेन (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोब्बिन (डिब्रुगढ़)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरैना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन (कासरगोड)
कतामुतु, श्री एम० (नागापट्टिनम)
कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)
कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामाऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्ण सिंह डा० (ऊधमपुर)
कर्णी सिंह डा० (बीकानेर)
कल्याणसुन्दरम, श्री एम० (तिरुचिरापल्ली)
कलिंगारायार श्री मोहनराज (पोलाची)
कस्तूरे, श्री ए० एस० (खामगांव)
कादर, श्री एस० एं० (बम्बई मध्य दक्षिण)
कांबले, श्री एन० एस० (पंढ़रपुर)
काबले, श्री डी० डी० (लातुर)
काकोडकर, श्री पुरूषोत्तम (पजिम)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
काले, श्री (जालना)
कावड़े, श्री वी० आर० (नासिक)
काहनडोल, श्री (मालेगांव)

किन्दर लाल, श्री, (हरदोई)
किरतिनन, श्री था (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनेहीघाट)
कुरेशी, श्री मुहम्मद शफी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक, बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
कैलास, डा० (बम्बई दक्षिण)
केवीचुसा, श्री ए० (नागालैंड)
कोल्लाशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कोया, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन, श्री एम० के० (पोन्नाणि)
कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णन, श्रीमती पार्वती (कोयम्बूटूर)
कृष्णप्पा, श्री एस० वी० (हस्कोटे)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर. श्री आर० के० (बारामती)

ग

गंगादेव, श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नानदरबार)
गांधी, श्रीमती इंदिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)
गिरि, श्री वी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजपुर)
गुप्त श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरोना)
गोखले श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिन्डे, श्री अण्णसाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरुण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनीराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गोयन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहेन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरी)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)
चटर्जी श्री सोमनाथ (वर्दवान)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (एटा)

चन्द्र गौडा, श्री डी० वी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा वीर बासप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका, प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चिक्कलिंगैया, श्री के० (मांडया)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (तिरुपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी, श्री अमर सिंह (मांडवली)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिव (बरहमपुर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौधरी, श्री मोइननुल हक (धुबरी)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (चैल)

ज

जगजीवनराम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलुर्रहमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री वरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहाजहांपुर)
जुल्फिकार अली खां, श्री (रामपुर)
जोजफ, श्री एम० एस० (पीरमाडे)
जोरदर, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (शाजापुर)
जोशी, श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जयनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झुनझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चित्तौड़गढ़)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तरिक मनीपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव, (चिमूर)
ठाकरे, श्री एम० वी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूल चन्द (पाली)
डोडा, श्री हीरा लाल (बांसवाड़ा)

ढ

ढिल्लो, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वी० बी० (नान्देड़)
तुलसीराम, श्री वी० (पेद्दापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)

तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)
तिवारी, श्री शंकर, (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभान मनी (बलरामपुर)
तेवर, श्री पी० के० एम० (रामनाथपुरम)
तैयब हुसैन, श्री (गुड़गांव)

द

दंडपाणि, श्री सी० डी० (धारापुरम)
दत्त, श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह, श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दलीप सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
दामाणी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री धरनीधर (मंगलदायी)
दास, श्री रेणुपद (कृष्णनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच बिहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गंगाचरण (खंडवा)
दीक्षित, श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीवीकन, श्री (कल्लाकरीची)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे, श्री ज्वाला प्रसाद (भंडारा)
दुराईरासु, श्री ए० (पैरम्बूलूर)
देव, श्री एस० एन० सिंह (बांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)
देव, श्री राज राज सिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी राव एस० (परभणि)
देशपांडे, श्रीमती रोजा (बम्बई मध्य)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मगज सिंह, श्री (शाहबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धुसिया, श्री अनन्त प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जांबुवंत (नागपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (कैथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फूलबनी)
नायक, श्री बी० वी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाड़मेर)
निंबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह, (गढ़वाल)

प

पंडा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एस० टी० (भीर)
पचनौर, श्री अरविन्द बाल (पांडीचेरी)
पटनायक, श्री जे० बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली (पुरी)
पटेल, श्री अरविन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम० (ढ़ढुका)
पटेल, श्री नटवर लाल (मेहसाना)
पटेल, कुमारी मणिबेन (साबरकंठा)
पटेल, श्री नानूभाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री प्रभुदास (डाभोई)

पटेल, श्री आर० आर० (दादर तथा नगर हवेली)
पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पालोडकर, श्री मानिकराव (औरंगाबाद)
पास्वान, श्री राम भगत (रोसेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द (खलीलाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायन (गोरखपुर)
पांडे, श्री राम सहाय, (राजनन्द गांव)
पांडेय, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दौली)
पाओकाई, हाओकिप, श्री (ब्राह्मनीपुर)
पाटिल, श्री अनन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० वी० विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एस० वी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जलगांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी० ए० (धूलिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिकलाल (सुरेन्द्र नगर)
पार्थासारथी, श्री पी० (राजमपैट)
पिल्लै, श्री आर० बालकृष्ण (मावेलिकरा)
पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूम)
पेजे, श्री एस० एल० (रत्नागिरी)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढ़वाल)
प्रधान, श्री धनशाह (शहडोल)
प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)
प्रबोध, चन्द, श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली बाबू, श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी, श्री एस० एम० (कानपुर)
बनर्जी, श्रीमती मकुल (नई दिल्ली)
बनेरा, श्री हेमेन्द्र सिंह (भीलवाड़ा)
बडे, श्री आर० वी० (खरगोन)
बरूआ, श्री वेदव्रत (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बलूरघाट)
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेटी)
बादल, श्री गुरदास सिंह (फाजिल्का)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन्, श्री के० (अम्बलपुजा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अल्मोड़ा)
बीरेन्द्र सिंह राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)
बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमक)
ब्रजराज सिंह कोटा, श्री (झालावाड़)
ब्रह्मानन्द जी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतनलाल (डार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (शाहबाद)
भट्टाचार्य, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)

भट्टाचार्य, श्री जगदीश (घाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु (गिरिडीह)
भागीरथ, भंवर श्री (झाबुआ)
भार्गव, श्री वशेश्वर नाथ (अजमेर)
भार्गवी, तनकप्पन श्रीमती (अडूर)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भीष्मदेव, श्री एम० (नगरकुरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (मैटूर)
भौरा, श्री भान सिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)
मंडल, श्री जगदीश नारायण (गोडा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
मधुकर, श्री के० एम० (केसरिया)
मनहर, श्री भगतराम (जंजगीर)
मनोहरन, श्री के० (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगडा)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
माझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी, श्री गजाधर (सुन्दरगढ)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड, सिंह, श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री के० डी० (डुमरियागंज)
मायावन, श्री बी० (चिदाम्बरम्)
मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)
मावलंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहाबाद)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुबनी)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगूसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)
मुत्तुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री प्रियरंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मुरुगनन्तम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवेली)
मुरमू, श्री योगेशचन्द्र (राजमहल)
मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता, डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)
मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पीलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (बेरकपुर)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)

मोहम्मद यूसूफ, श्री (सिवान)
मोहम्मद शरीफ, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह (बदायूं)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधधेपुरा)
यादव, श्री शरद, (जबलपुर)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबहादुर, सिंह श्री (सिधी)
रवि, श्री वयालार (चिरयिंकील)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राज बहादुर, श्री (भरतपुर)
राजदेव सिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० बी० जी० (विशाखापत्तनम)
राठिया, श्री उम्मेद सिंह (रायगढ़)
राधाकृष्णन् श्री एस० (कुडलूर)
रामकंवार, श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
राम दयाल, श्री (बिजनौर)
रामदेव सिंह, श्री (महाराजगंज)
राम धन, श्री (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
राम सिंह भाई, श्री (इन्दौर)
राम हेडाऊ, श्री (रामटेक)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (छप्परा)
राम सूरत प्रसाद, श्री (बासगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप, श्री (राबर्ट गंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राय, श्री एस० के० (सिक्किम)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई, ए० (भद्राचलम)
राव, श्री नागेश्वर (मचिलीपट्टनम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाड़ा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद (ओंगोल)
राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, डा० बी० के० आर० वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० सजीवी (काकीनाडा)
रिछारिया, डा० गोविन्ददास (झांसी)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोदंडा रामी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलाबाद)
रेड्डी , श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिंहा (चित्तूर)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)

रेड्डी, श्री पी० वी० (कावली)
रेड्डी, श्री बी० एन० (निरायालगुडा)
रेड्डी, श्री सिदराम (गुलबर्गा)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिल्लौर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीकांतम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)
लक्ष्मीनारायणन्, श्री एम० आर० (तिंडिवनम)
लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्री परेम्बदूर)
लम्बोदर बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी, भाई श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लिमये, श्री मधु (बांका)
लुतफ़ल हक, श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फूलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
बाजपेयी, श्री अटल बिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजयपाल सिंह, श्री (मुजफ़्फ़रनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चण्डीगढ़)
विश्वनाथन, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुदूकोटे)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुब्बया, श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री (जूनागढ़)

श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)
शंकर दयाल सिंह, (चतरा)
शफ़कत जंग, श्री (कराना)
शफ़ी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ श्री (सेंदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)
शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज खां, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय, श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुनझनु)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलोर)
शेर सिंह, प्रो० (झज्जर)

शैलानी, श्री चन्द (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरुचेंडूर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (सिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फ़तेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सक्सेना, प्रो० एस० एल० (महाराजगंज)
सतीशचन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवेन्द्र (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलियाना, श्री (मिजोरम)
सांधी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)
साठे, श्री वसन्त (अकोला)
सामन्त, श्री एस० सी० (तामलुक)
सामिनाथन, श्री ए० पी० (गोबीचेट्टिपलयम)
साल्वे, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतूल)
सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)
सावित्री, श्याम श्रीमती (आंवला)
साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (वीरभूम)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरभंज)
सिन्हा, श्री धर्मवीर, (बाढ़)
सिन्हा, श्री आर० के० (फ़ैजाबाद)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)
सिंह, श्री नवल किशोर (मुजफ्फ़रपुर)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फ़ूलपुर)
सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, प्रो० (नालन्दा)
सिंधिया, श्री माधुवराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमती बी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम, श्री एम० (नरसारावपेट)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरि)
सुब्रावलु, श्री (मयूरम)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू)
सेकैरा, श्री इराज्मुद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (काजीकोड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, डा० रानेन (बारसाट)
सेन, श्री रोबिन (आसनसोल)
सैनी, श्री मुल्कीराज (देहरादून)
सोखी, सरदार स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)
सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजावूर)
सोलंकी, श्री सोम चन्द (गांधीनगर)
सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)
सोहनलाल, श्री टी० (करौलबाग)
स्टीफन, श्री सी० एम० मुवत्तु (पुजा)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालंधर)
स्वामीनाथन, श्री आर० वी० (मुदुरै)
स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोपपल)
स्वैल, श्री जी० जी० (स्वायतशासी जिले)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)
हनुमन्तैया, श्री के० (बंगलौर)

हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)
हरि सिंह, श्री (खुजी)
हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)
हालदार, श्री माधुर्य्य (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द (औसग्राम)
हाशिम, श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)
हुडा, श्री नूरुल (कछार)
होरो, श्री एन० ई० (खुन्टी)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री बी० आर० भगत

उपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री भागवत झा आजाद

श्री इसहाक सम्भली

श्री वसंत साठे

श्री सी० एम० स्टीफन

श्री जी० विश्वनाथन्

महासचिव

श्री श्यामलाल शकधर

भारत सरकार

मंत्रीमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री और अन्तरिक्ष मंत्री	श्रीमती इन्दिरा गांधी
विदेश मंत्री	श्री यशवन्तराव चव्हाण
कृषि और सिंचाई मंत्री	श्री जगजीवन राम
रेल मंत्री	श्री कमलापति त्रिपाठी
रक्षा मंत्री	श्री बंसी लाल
नौवहन और परिवहन मंत्री	डा० जी० एस० ढिल्लों
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री एच० आर० गोखले
पैट्रोलियम मंत्री	श्री के० डी० मालवीय
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री	श्री टी० ए० पाई
निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री	श्री के० रघुरमैया
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री राज बहादुर
गृह मंत्री	श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी
रसायन और उर्वरक मंत्री	श्री पी० सी० सेठी
संचार मंत्री	डा० शंकर दयाल शर्मा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
वित्त मंत्री	श्री सी० सुब्रह्मण्यम

मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी राज्य मंत्री

वाणिज्य मंत्री	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री	प्रो० एस० नुरुल हसन
ऊर्जा मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त
श्रम मंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
इस्पात और खान मंत्री	श्री चन्द्रजीत यादव

राज्य मंत्री

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० सी० जार्ज
निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० के० एल० भगत
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मंत्री	चौधरी राम सेवक
योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री आई० के० गुजराल
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शाहनवाज खां
उद्योग और पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री बी० पी० मौर्य
गृह मन्त्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री	श्री ओम मेहता
रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री	श्री विठ्ठल गाडगिल
राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री	श्री प्रणव कुमार मुखर्जी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री	डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद
रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री मुहम्मद शफी कुरेशी
उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० पी० शर्मा
कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
पर्यटन और नागरिक विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० एम० त्रिवेदी

उप-मंत्री

पैट्रोलियम मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री वेदव्रत बरुआ
विदेश मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री बिपिनपाल दास
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० के० एम० इसहाक
रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री सी० पी० माझी
गृह मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री एफ० एस० मोहसिन
शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
संचार मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री प्रभुदास पटेल
रक्षा मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री जे० बी० पटनायक
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री बी० शंकरानन्द
ऊर्जा मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद
इस्पात और खान मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री सुखदेव प्रसाद

वित्त मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्रीमती सुशीला रोहतगी
रेल मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री बूटा सिंह
नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री दलबीर सिंह
कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री केदार नाथ सिंह
वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री धर्मवीर सिंह
पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री जी० वेंकटास्वामी
श्रम मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री बाल गोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री डी० पी० यादव

लोक सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 6 जनवरी, 1976/पौष 16, 1897 (शक)

Tuesday, January 6, 1976/Pausa 16, 1897 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

साधारण निर्वाचनों का स्थगित किया जाना

+

***1. श्री एस० एम० बनर्जी :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संसद् और कुछ राज्यों की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों को, जो वर्ष 1976 में होने थे, स्थगित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): (क) और (ख). लोक सभा और कुछ राज्यों की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, जो 1976 के आरम्भ में होने थे, कराए जाने के बारे में सरकार द्वारा अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व सरकार आपात स्थिति हटा कर सभी राजनीतिक दलों को प्रचार आदि की स्वतन्त्रता प्रदान करेगी ?

श्री एच० आर० गोखले : यह तो काल्पनिक सा प्रश्न है । यदि चुनाव नहीं हुए--क्योंकि सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया है--तो आपात स्थिति भी उसका एक कारण होगा । अतः इस समय मैं कुछ नहीं कह सकता ।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या अन्तिम निर्णय इसी सत्र में ले लिया जाएगा और क्या इस पर संसद् में चर्चा होगी ?

श्री एच० आर० गोखले : जी हां ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या सरकार का ध्यान एक वर्ष के लिए सामान्य निर्वाचन स्थगित करने सम्बन्धी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा पास किए गए प्रस्ताव की ओर दिलाया गया है ? यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री एच० आर० गोखले : जी हां । सरकार की प्रतिक्रिया उसके निर्णय करने पर ही ज्ञात होगी । अन्ततः निर्णय तो सभा को ही करना है ।

श्री डी० एन० तिवारी : बिहार में अनेक उप-चुनाव होने हैं और सदस्य लगभग एक वर्ष पूर्व त्यागपत्र दे चुके थे । क्या वे भी कराए जाएंगे या नहीं ?

श्री एच० आर० गोखले : मैं इसका सीधा उत्तर नहीं दे सकता । जहां तक मुझे ज्ञात है यह उप-चुनाव लोक-सभा की अवधि बढ़ाने या न बढ़ाने पर निर्भर करेंगे ।

श्री नरेन्द्र कुमार साँघी : क्या सरकार ने सामान्य निर्वाचन कराने और संसदीय तथा राज्यों में चुनाव एक साथ कराने से देश में होने वाले मुद्रा-स्फीति के प्रभावों का कोई मूल्यांकन किया है ?

श्री एच० आर० गोखले : यदि मैंने सदस्य का मन्तव्य समझा है तो वह यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने चुनावों के मुद्रा-स्फीति पर पड़ने वाले प्रभावों पर विचार किया है ? मेरा उत्तर है अवश्य ही अन्य बातों के साथ-साथ इस पर भी विचार किया जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री पी० जी० मावलंकर : मैं भी पूरक प्रश्न पूछने के लिए खड़ा हुआ था ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में सभा अधिकाधिक प्रश्नों के उत्तर पाना चाहती है न कि अधिकाधिक पूरक प्रश्नों के ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : हमें प्रश्न पूछने ही नहीं दिए जाते ।

भावनगर-तारापुर के बीच बड़ी लाइन का निर्माण

*2. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में भावनगर-तारापुर बड़ी रेल लाइन का शीघ्र ही निर्माण किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) इस चिर-प्रतीक्षित नई रेल लाइन के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं, जिसके लिए सर्वेक्षण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग). प्रस्तावित लाइन के लिए अन्तिम मार्ग निर्धारण इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण का काम हो रहा है और आशा है यह काम इस वर्ष जून तक पूरा हो जायेगा । रिपोर्ट प्राप्त होने और उनकी जांच हो जाने के बाद इस प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई की जायेगी ।

श्री पी० जी० मावलंकर : यद्यपि मंत्री महोदय ने कहा है कि किए जा रहे सर्वेक्षण इस वर्ष जून तक पूरे हो जाएंगे, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस लाइन का सर्वेक्षण सर्व प्रथम 1882 में हुआ था जब सौराष्ट्र को शेष भारत से मिलाने के लिए बड़ी लाइन की आवश्यकता समझी गई थी ?

बाद में 1953, 1957 और 1966 में भी सर्वेक्षण किए गए थे। सरकार को निर्णय लेने में और कितना समय लगेगा ? क्या गुजरात सरकार पहले ही केन्द्र को वचन दे चुकी है कि वह पांच वर्ष तक इस लाइन पर होने वाले घाटे को पूरा करेगी और इसके लिए मुफ्त भूमि भी प्रदान करेगी ? यदि हां, तो विलम्ब क्यों हो रहा है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : यह सच है कि पहले भी 1956 और 1957 में सर्वेक्षण हुए थे और तब लागत का अनुमान लगभग 7.59 करोड़ रुपये थी। बाद में इसे छोड़ दिया गया और 1966 में पुनः यातायात सर्वेक्षण किया गया। जैसा कि मैं बता चुका हूं इंजीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण इस वर्ष जून में पूरा हो जाएगा। यह भी सच है कि राज्य सरकार ने मुफ्त भूमि और पांच वर्ष तक यातायात से होने वाली हानि की पूर्ति करने की पेशकश की है। राज्य सरकार से ब्यौरा मांगा गया है। ये मिलते ही इस पर निर्णय ले लिया जाएगा।

श्री पी० जी० मावलंकर : जैसा कि मंत्री महोदय को पता है 140 किलोमीटर का भावनगर-तारापुर रेल मार्ग माल-मालकंडा जैसे सौराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्र से गुजरता है। इस दृष्टि से और लोक लेखा समिति ने 467वें प्रतिवेदन की दृष्टि से, जिसमें पिछड़े और आर्थिक रूप से अल्प-विकसित क्षेत्रों में रेल-लाइनें शीघ्र बनाने की ओर रेलवे बोर्ड तथा मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया गया है, क्या मंत्री महोदय स्पष्टतया यह आश्वासन देंगे कि जून में सर्वेक्षण पूरा होते ही लाइन शीघ्र बना दी जाएगी ताकि सौराष्ट्र शेष देश से जुड़ जाए और वहां के लोगों को रेल सेवाएं शीघ्र उपलब्ध हों ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : यह यातायात तथा आर्थिक सर्वेक्षणों पर निर्भर करेगा। सर्वेक्षण रिपोर्ट सरकार को मिलने पर ही अन्य बातों पर ध्यान देकर निर्णय लिया जाएगा।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार ने प्रस्तावित भावनगर-तारापुर बड़ी लाइन के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है ; (ख) क्या पिछले सर्वेक्षण के अनुसार पांचवें वर्ष में प्राप्तियां 5.9 प्रतिशत और ग्यारहवें वर्ष लगभग 12 प्रतिशत हो जाएंगी और क्या पांचवें वर्ष में मापदण्ड की अपेक्षा अन्तर बहुत कम है क्योंकि मापदण्ड 6.25 प्रतिशत है जब कि प्राप्तियां 5.98 प्रतिशत हैं, अतः अन्तर केवल 0.27 प्रतिशत; (ग) क्या गुजरात सरकार ने कुल घाटे की क्षतिपूर्ति करने का आश्वासन दिया है और महाराष्ट्र सरकार की शर्तों पर मुफ्त भूमि देने का भी प्रस्ताव किया है; और (घ) क्या यह मार्ग देश के पश्चिमी छोर को शेष भारत से मिलाने का सब से छोटा मार्ग है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : 1968–69 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार लागत 11.92 करोड़ और आय सामान्यतः निर्धारित 6.75 प्रतिशत की बजाय 5.97 प्रतिशत होगी। इससे स्पष्ट है कि यह लाइन लाभप्रद नहीं होगी किन्तु कुछ और कारणों से वीरमगांव और ओखा तथा पोरबन्दर मीटर-गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का निर्णय किया गया है। इसकी मंजूरी दे दी गई है और कार्य चल रहा है। इससे भी उपरोक्त लाइन पर यातायात में अन्तर पड़ेगा।

इस क्षेत्र में अन्य मार्गों का निर्माण भी राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

एक तथ्य यह भी है कि उदयपुर क्षेत्र में रॉक-फास्फेट मिला है जिससे आयात की आवश्यकता कम हो जाएगी और इसके परिणामस्वरूप पहले लगाए गए यातायात अनुमानों में परिवर्तन करना होगा।

निर्माण-सामग्री के मूल्य भी काफी बढ़ गए हैं। इन सभी बातों पर भी अब ध्यान देना होगा।

शायद सदस्य महोदय इस लाइन को लाभप्रद समझते हैं, परन्तु ऐसा नहीं है। वास्तव में राज्य सरकार ने कुछ प्रस्ताव किए हैं। वह हमें भूमि मुफ्त देगी और पांच वर्ष तक प्राप्तियों का घाटा पूरा करेगी जब कि हमने उन्हें घाटा होते रहने तक पूरा करने को कहा है। राज्य सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है और मिलते ही आगे चर्चा की जाएगी।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : मेरे प्रश्न का ठीक उत्तर नहीं दिया गया। मैने विशेष रूप से बताया था कि अन्तिम समय पर प्राप्ति 8 प्रतिशत हो गई थी और राज्य सरकार ने इस लाइन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। अगला प्रश्न।

मथुरा तेल शोधक कारखाने में कार्य की प्रगति

*3. **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :** क्या **पैट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मथुरा तेलशोधक कारखाने का कार्य किस स्थिति में है ;

(ख) यह कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा ; और

(ग) कारखाने के कब तक चालू होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : मथुरा में प्रस्तावित 6 मिलियन मी० टन की शोधनशाला का निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रक्रिया सम्बन्धी डिजाइन कार्य पूरा हो गया है, आयातित उपकरणों के अधिकांश भाग के लिए ठेका दे दिया गया है, विस्तृत योजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है और अपेक्षित भूमि का अर्जन किया गया है। विस्तृत इंजीनियरिंग कार्य प्रगति पर है। शोधनशाला स्थल पर कार्य हो रहा है और निर्माण कार्य 1976 के द्वितीय सप्ताह में आरम्भ होगा।

(ख) और (ग) मथुरा शोधनशाला के दिसम्बर, 1979 तक यांत्रिक रूप से पूरा होने और अप्रैल, 1980 तक चालू होने की आशा की जाती है। परन्तु इसको शीघ्र ही कुछ महीनों में चालू करना सरकार के प्रयत्नों पर निर्भर करता है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : गत वर्ष जुलाई-अगस्त में इस कारखाने के सम्बन्ध में बातचीत के लिए एक सोवियत दल यहां आया था। क्या यह कारखाना लगाने के साथ-साथ तेल की खोज का भी कोई कार्यक्रम बनाया गया है ताकि यह कारखाना चालू हो जाने पर यह पूरी क्षमता में उत्पादन करता रहे ?

श्री के० डी० मालवीय: यहां आने वाले और सरकार के साथ बातचीत करने वाले सोवियत दल का सम्बन्ध सोवियत सरकार द्वारा जिस योजना का डिज़ाइन तैयार किया गया है, उसके विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन से ही था। उसका देश में समुद्र तट से दूर तेल की खोज के कार्यक्रम से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : क्या सरकार ने इस कारखाने के लिए निर्माण के साथ-साथ तेल-खोज कार्यक्रम को और तेज करने की कोई योजना बनाई है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां।

Shri Chandra Shailani: Occasionally we read in the press that smoke emitted by the Mathura Refinery will disfigure the Taj Mahal. I want to know Government's reaction thereto and whether it has been got examined by an Expert Committee?

Shri K. D. Malaviya: The Government was very much concerned about this An Expert Committee is considering this and we have taken all precautions. Previously the danger to these historical buildings was more because the crude initially proposed to be refined at Mathura had more sulphur content, but with the striking of oil in Bombay high this danger is over because sulphur content in this crude is almost nil. However, the said Expert Committee is examining all aspects of this question so as to obviate any damage in future.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मंत्री महोदय के उत्तर से हम यह समझें कि सरकार का विचार मथुरा कारखाने में बम्बई के समुद्र या अन्य स्थानों से मिलने वाले भारतीय तेल ही साफ करने का है या क्या उनके अनुमान से वहां कुछ समय तक आयातित तेल साफ करने की आवश्यकता पड़ेगी ? मथुरा को तेल पहुंचाने के लिए पाइपलाइन कब तक बिछा दी जाएगी और उसका परीक्षण कर लिया जाएगा ?

श्री के० डी० मालवीय : किसी भी तेल शोधनशाला में सामान्यतया मिश्रित अशोधित तेल साफ किया जाता है जो अन्तिम उत्पादन कार्यक्रम के अनुकूल होता है और जो उस क्षेत्र की जनसंख्या की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है जहां उन उत्पादों का उपभोग होना हो। कहीं-कहीं अन्य पदार्थों की अपेक्षा बीच में के पदार्थों की अधिक मांग होती है, और अन्यत्र मोटर-स्पिरिट की मांग अधिक होती है। मथुरा कारखाने में, क्योंकि हमारे पास काफी भारतीय अशोधित तेल नहीं है, अतः हमें ईराक के तेल पर निर्भर होना पड़ेगा जिसमें गंधक की मात्रा अधिक है, किन्तु इसी बीच बम्बई के समुद्र में तेल मिल गया है, जो गंधक से लगभग मुक्त है। अतः हमें बम्बई के तेल में और कोई तेल मिला कर साफ करना होगा ताकि हमें देश के पश्चिमोत्तर भाग में आवश्यक उत्पाद अधिकतम मात्रा में उपलब्ध हो। अतः हमें अपनी आवश्यकतानुसार अशोधित तेलों का मिश्रण करना पड़ता है।

हमारी वर्तमान योजनानुसार मथुरा कारखाने में 1980 में उत्पादन आरंभ हो जाएगा और आशा है कि तब तक पाइपलाइन बन कर तैयार हो जाएगी और सलैया से मथुरा तक अशोधित तेल पाइपों द्वारा आने लगेगा।

Shri Shiv Kumar Shastri: Mr. Speaker, the Hon. Minister has just now stated in reply to the Original Question that the land required for setting up the refinery has been acquired. I want to know the area of that land and whether some villages have been removed from there.

Shri K. D. Malaviya: We have acquired about one thousand acres of land for setting up oil refineries and the compensation therefor is also being paid.

भारतीय उर्वरक निगम के गोरखपुर कारखाने में आग दुर्घटना

*4. **श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय उर्वरक निगम के गोरखपुर कारखाने में गत छः माह में दो बार आग दुर्घटना घटी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच करने के लिए कोई समिति नियुक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). दोनों अवसरों पर निगम द्वारा उच्चाधिकार प्राप्त समितियां स्थापित की गई थीं, समितियों इस परिणाम पर पहुंची कि 13-9-75 का पहला अग्नि-काण्ड पावर केबिल के फटने के कारण हुआ था और दूसरा अग्नि-काण्ड 14-11-75 को अपेक्षित सुरक्षा सावधानी न रखने के कारण हुआ था ।

Shri Narsing Narain Pandey: The reply is fantastic. The power cable was laid there and it was covered with the stones. The fire broke out twice during two months' period. What are the findings of both the committees set up to go into these two fire incidents? I want to know whether the Hon. Minister wants to fix responsibility on some persons after going through both the reports?

Shri P. C. Sethi: Mr. Speaker, so far as the first fire incident is concerned, the Committee found that the fire broke out due to accidents and they have not fixed any responsibility on any person. They held the view that some combustible material like Naptha, vapour or trace of oil was in the trench which caused the cable burst and ultimately the fire broke out.

So far as the second fire incident is concerned, which took place in November, the Committee has fixed responsibility on some persons. The following officials have been found guilty and suspended:

श्री टी० डी० श्रीवास्तव, फोरमैन (विस्तार)

श्री पी० के० सिन्हा, असिस्टेंट प्लांट इंजीनियर

श्री जे० पी० श्रीवास्तव फोरमैन

श्री एस० के० बसाक फोरमैन (उत्पादन)

श्री राम बिहारी, चार्जमैन (उत्पादन)

श्री एस० मुकर्जी, असिस्टेंट फोरमैन (विद्युत) ।

Shri Narsing Narain Pandey: Will the Hon. Minister state as to what happened to observance of the requisite safety precautions. Why requisite safety precautions were not observed after the first fire incident? I want to know the steps taken for improving the old design. I would also like to know the total loss caused due to two fire incidents.

Shri P. C. Sethi: Mr. Speaker, the total loss caused due to first fire was of Rs. 6 lakhs and in both the fire incidents cables were burnt. The second fire incident caused the loss to the tune of Rs. 9 lakhs. The material which was gutted in fire, was insured and therefore the question of claiming compensation from the Insurance Companies is before us.

So far as defects in trench is concerned, the first enquiry committee had suggested to observe safety precautions and due to non-observance of safety precautions the fire broke out twice. The persons who did not abide by the precautions were found responsible and were suspended. They have been served with charge sheets to fix the responsibility. Further action is being taken.

Shri Narsingh Narain Pandey: I wanted to know whether the Committee had suggested for improving the old design?

Shri P. C. Sethi: Mr. Speaker, the design had no defect. There was defect in the trench and that is being set right.

श्री विश्वनाथ राय : कारखाने पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और इससे उत्पादन लागत कितनी प्रभावित होगी ।

श्री पी० सी० सेठी : आग दुर्घटना से हुई क्षति का सही अनुमान लगाना बहुत कठिन है किन्तु अनुमान है कि सितम्बर में हुई आग दुर्घटना के कारण 1400 टन नाइट्रोजन उत्पादन की क्षति हुई और नवम्बर की आग से लगभग 2000 टन नाइट्रोजन के उत्पादन की हानि हुई । इसके अतिरिक्त कभी-कभी कम वोल्टेज तथा बिजली के फेल हो जाने के कारण भी इस कारखाने में उत्पादन में हानि हुई है ।

Shri Hari Kishoer Singh: The Hon. Minister has stated in his reply that the entire responsibility was fixed on the Foremen only. I would like to know whether the senior officers of the chargemen cannot be held responsible and their supervision was faultless?

Shri P. C. Sethi: Mr. Speaker, the Committee conducted a detailed enquiry and came to this conclusion that these are the only persons entirely responsible for fire incident. The safety permit was issued to Shri V. K. Singh but it is fact that Shri V. K Singh did receive it and then the permit was issued to Shri Srivastava. Now the reasons are being ascertained as to why the issued permit was not delivered to the right man and why he did not abide by the order. It is also being looked into.

हाथी समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति

+

***6. श्री एच० एन० मुकर्जी :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषध और भेषज उद्योग के बारे में हाथी समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस दिशा में क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि निर्णय नहीं किया गया है, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) सभा पटल पर एक विवरण-पत्र प्रस्तुत है ।

विवरण

श्री जय सुखलाल हाथी की अध्यक्षता में गठित औषध और भेषज उद्योग समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 1975 में पेश की। यह रिपोर्ट बहुत बड़ी है जिसमें औषध उद्योग के समस्त पहलू शामिल हैं। इस में औषध उद्योग के इतिहास का पूर्ण विश्लेषण दिया है और इसमें मूल्य निर्धारण नीति, उत्पादन नीति, सरकारी क्षेत्रों की भूमिका, विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन करने की गुंजाईश, गुण नियन्त्रण और प्रशासनिक संगठनों को सुदृढ़ करने के लिए अनेक उपायों पर की गई अत्यधिक प्रभावशाली सिफारिशें भी की हैं।

इस रिपोर्ट की सुदूरगामी विवक्षा को ध्यान में रखते हुए, सरकार इन सिफारिशों पर बहुत सावधानी पूर्वक विचार कर रही है। जहां तक कि मूल्य निर्धारण नीति का सम्बन्ध है सरकार सुदृढ़ता के साथ वृद्धि में सफलता पाने के दो उद्देश्य से इस मामले की जांच कर रही है। मूल्य निर्धारण नीति के सम्बन्ध में निकट भविष्य में एक निर्णय लिया जावेगा।

सरकार ने समिति की सिफारिशों को माना है कि सरकारी क्षेत्र को इस औषध उद्योग में अग्रणी भूमिका ग्रहण करनी चाहिए। इस सद्देश्य से सरकार का प्रस्ताव है कि सरकारी क्षेत्र की औषध कंपनियां भारतीय औषध और भेषज लि० और हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि०, का पर्याप्त विस्तार किया जाए और उसके लिए 70 करोड़ रुपए के निवेश कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है। हैदराबाद के सिन्थेटिक्स औषध संयंत्र का विस्तार 21.79 करोड़ रुपए का निवेश करने के साथ किया जाएगा। बिहार में निकोटिनामिड संयंत्र की स्थापना की जानी है जिसके लिए 8.58 करोड़ रुपए का निवेश करना है। गुड़गांवा में एक औषध तैयार करने वाले यूनिट का और ऋषिकेश में एन्टीबायोटिक्स संयंत्र का विस्तार करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० में पेन्सिलीन के उत्पादन का विस्तार करना और उस संयंत्र में एन्टीबायोटिक्स की नई श्रेणियों का प्रचलन करना विचाराधीन है। सरकार ने समिति की इस सिफारिश को भी स्वीकार किया है कि सरकारी क्षेत्र को अपने प्रपुंज उत्पादन का कम से कम 60% तक औषध निर्माण करने के क्षत्र में पहल करनी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए सरकारी क्षेत्र के यूनिटों की निर्माण क्षमता का विस्तार किया जा रहा है। सरकार ने समिति द्वारा की गई सिफारिश की टिप्पणी को देखा है कि इस उद्योग के भारतीय क्षेत्र को हर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। प्रपुंज औषधों और मूल्ययोगों दोनों का उत्पादन करने के लाइसेंस भारतीय उद्यमियों को उदारता से प्रदान किए जा रहे हैं। समिति की सिफारिश मिलने के बाद से 52 लाइसेंस/आशय पत्रों को भारतीय क्षेत्र के लिए जारी किया जा चुका है जबकि 40% से अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाली फर्मों को 16 जारी किए गए हैं।

विदेशी प्रभुत्व वाले क्षेत्र के सिलसिले में समस्त मामलों की विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के प्रसंग में जांच की जा रही है। विदेशी कंम्पनियों की साम्य पूंजी के विलय को विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के अन्तर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए विलय फार्मूला और मार्गदर्शन सिद्धांतों के अनुसार लागू किया जावेगा। विदेशी प्रभुत्व क्षेत्र वाली कंपनियों को औषध निर्माण करने की कोई क्षमता तब तक प्रदान नहीं की जा रही है जब तक कि भारत में प्रपुंज औषधों का उत्पादन करने के लिए प्रस्ताव साथ न हो।

समिति की अन्य सिफारिशें सरकार के सक्रिय निरीक्षणाधीन है।

श्री एच० एन० मुकर्जी: हाथी समिति ने निर्धारित नीति के माध्यम से विदेशी औषधि फर्मों तथा विशेषकर बहुराष्ट्रीय औषधि कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण का सुझाव दिया था। इसके अतिरिक्त औषधियों के ब्रांड नामों के उन्मूलन का भी सुझाव दिया था। किन्तु सरकार का कहना है कि वे इस समिति की सिफारिशों का अध्ययन कर रहे हैं यद्यपि सिफारिश दिए लगभग एक साल होने को है। भारतीय औषध तथा भेषज लिमिटेड तथा अन्य प्रकार के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में बहुत थोड़ा प्रयास किया जा रहा है। क्या मैं इसे यह समझूं कि सरकार की नीति इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अन्तरण मूल्यों द्वारा जिसका हमारा जैसा देश पता भी नहीं लगा सकता विभिन्न प्रकार से धोखेबाजी करने की छूट देनी है। और हाफमैन ला रोचे कम्पनी ने ब्रिटेन को इस बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों की गतिविधियों से सावधान रहने के लिए कहा है। मेरा विचार तो यह है कि भारतीय औषध तथा भेषज लिमिटेड तथा कुछ अन्य का थोड़ा विस्तार करने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया जा रहा है और महत्वपूर्ण ढंग से हाथी समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।

श्री पी० सी० सेठी : हाथी समिति ने सराहनीय कार्य किया है और इसका प्रतिवेदन बहुत व्यापक है। प्रतिवेदन एक दो पहलुओं तक ही सीमित नहीं है अपितु इसका सम्बन्ध समूचे औषधि-उद्योग से है और इस दृष्टि से हाथी समिति की कई सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं और हम उन पर कार्यवाही कर रहे हैं।

सरकारी क्षेत्र को प्रमुख भूमिका दी जा रही है। कुछ सिफारिशें अभी भी विचाराधीन हैं।

जहां तक ब्रांड नामों को हटाने का सम्बन्ध है, यह प्रश्न भी विचाराधीन है। इस मामले में हमें स्वास्थ्य मंत्रालय से सलाह-मशविरा करना पड़ेगा। वैसे स्वास्थ्य मंत्रालय की सिफारिश भी है।

जहां तक बहु-राष्ट्रीय फर्मों को अपने अधिकार में लेने का प्रश्न है, समिति ने इसकी सिफारिश की है। किन्तु साथ ही उन्होंने यह भी सिफारिश की है कि आगे से विदेशी इक्विटी अनुपात कम करके 40 प्रतिशत कर देना चाहिए इस सम्बन्ध में कदम उठाये गए हैं और जहां तक 26 प्रतिशत तक कम करने का सम्बन्ध है, समय आने पर कदम उठाये जायेंगे क्योंकि आम परम्परागत नीति से हटना होगा।

मूल्य-निर्धारण का प्रश्न भी विचाराधीन है। इस समूचे पहलू की जांच की जा रही है क्योंकि यह सारे प्रतिवेदन का महत्वपूर्ण पहलू है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : श्रीमान् क्या मैं यह समझूं कि विस्तृत प्रतिवेदन होने के कारण आपात-स्थिति में भी उसे कार्यान्वित करने में इतना विलम्ब किया जा सकता है। क्योंकि प्रतिवेदन की सिफारिशों को कार्यान्वित न करने से इन बहु-राष्ट्रीय औषधि कम्पनियों में व्याप्त कदाचार, जिनका उल्लेख हाथी समिति के प्रतिवेदन में किया गया है, जारी रहेंगे और तब तक ये कम्पनियां इसी तरह निरर्थक विज्ञापन छापकर हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनरों को भ्रष्ट तो करेंगी ही साथ में उन्हें अपनी निर्मित औषधियों को खरीदने के लिए प्रलोभन भी देंगी। अन्धाधुन्ध विज्ञापन देकर वे लोकमत में संदेह उत्पन्न करने का प्रयत्न करते हैं जबकि संसद् में इस सम्बन्ध में बहुत कम बताया जाता है। ये कम्पनियां बहुत ऊंचे दामों पर अपनी औषधियां बेचती हैं जबकि वे इन औषधियों का निर्माण हमारी

सरकार द्वारा उपलब्ध की गई सुविधाओं के माध्यम से करती हैं । इससे विश्व के कुछ भागों में हमारी बदनामी होती है । ये बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां बहुत अनुचित कार्य करती हैं किन्तु सरकार कहती है कि वे विस्तृत प्रतिवेदन की जांच कर रहे हैं और इस दिशा में बड़ी उदासीनता से कार्यवाही हो रही है । क्या सरकार आपात-स्थिति के दौरान इसी तरह कार्य करती है ?

श्री पी० सी० सेठी : जहां तक लिए गए निर्णय का सम्बन्ध है, अधिकांश सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं तथा कार्यान्वित कर ली गई हैं। किन्तु एक या दो ऐसे पहलू हैं जो अभी भी विचाराधीन हैं ।

Shri Ramavatar Shastri: Mr. Speaker, first of all I want to know the names of those members of Hathi Committee who favoured nationalisation of multi-national companies and secondly I want to know whether the Hathi Committee has recommended to manufacture 117 essential drugs in public sector or private sector, if so, what is the reaction of Government thereto. If the Government think that the Indian drug industry is small and they have no capital to invest, what are the obstacles in the way to bring the manufacturers of 117 essential drugs under the public sector.

Shri P. C. Sethi: It is not so easy to bring them in public sector.

इन कम्पनियों को अपने अधिकार में लेने का अर्थ होगा 140 करोड़ रुपये का निवेश करना जो कि शेयरों का अंकित मूल्य है । समिति की इन कम्पनियों के इक्विटी शेयरों को कम करने की सिफारिश ठीक ही है । समिति ने तो यहां तक कहा है कि इन कम्पनियों के इक्विटी शेयर घटाकर 26 प्रतिशत कर देने चाहिएं । यह बात सरकार के विचाराधीन है और हम इस दिशा में कार्यवाही कर रहे हैं ।

जहां तक 117 आवश्यक औषधियों के उत्पादन का सम्बन्ध है, हम शनैः शनैः इस ओर कदम उठा रहे हैं ।

Shri Ramavatar Shastri: Mr. Speaker, the first part of the question has not been replied to. I want to know the names of the majority members who have recommended the nationalisation of multi-national drug companies.

श्री पी० सी० सेठी : मैं सभी नाम नहीं बता सकता ।

अध्यक्ष महोदय : यह बड़ा व्यापक मामला है ।

श्री राम सहाय पाँडेय: हाथी समिति ने औषधियों के गुण-प्रकार, नियंत्रण तथा उनकी मूल्य नीति के बारे में एक विस्तृत प्रतिवेदन पेश किया है । सरकारी वक्तव्य में उल्लेख किया गया है कि निकट भविष्य में मूल्य निर्धारण नीति के बारे में निर्णय ले लिया जायेगा । उत्तर में "निकट भविष्य में" शब्दों का प्रयोग किया गया है । श्री सेठी शीघ्र कार्यवाही के लिए प्रसिद्ध हैं अतः मैं उनसे जानना चाहता हूं कि "निकट भविष्य में" का क्या अर्थ है । मैं समय सीमा जानना चाहता हूं ।

श्री० पी सी० सेठी : "निकट भविष्य में" का अर्थ यथासंभव शीघ्र है ।

श्री राजा कुलकर्णी : हाथी समिति की सिफारिश मूल्यों के बारे में थी, जिसका माननीय सदस्य ने भी उल्लेख किया है । उत्तर में बताया गया है कि यह मामला विचाराधीन है । इतना समय बीत गया है लेकिन औषधियों तथा दवाइयों के मूल्यों में कमी करने के लिए मूल्य फार्मूला

के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है । क्या हाथी समिति द्वारा मूल्य फार्मूला के बारे में की गई सिफारिश पर निर्णय न लिए जाने के कारण उत्पन्न प्रतिक्रिया और प्रभाव का सरकार को पता है ? हमें बताया गया है कि 117 औषधियों तथा दवाइयों के मूल्य बढ़ गए हैं । और अभी भी इन औषधियों के मूल्यों में वृद्धि हो रही है । इसके फलस्वरूप देश के गैर-सरकारी तथा सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की कमी हो गई है । सरकार ने सरकारी अस्पतालों को वित्तीय सहायता नहीं दी । इसके परिणामस्वरूप कुछ सरकारी अस्पताल बन्द हो गए हैं और कुछ गैर-सरकारी अस्पताल दवाइयों की कमी के कारण रोगियों को भर्ती नहीं कर रहे हैं ।

श्री पी० सी० सेठी : जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, हमने निर्णय लेने में अधिक समय नहीं लिया है। इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं—महत्वपूर्ण मंत्रालय भी सम्बन्धित हैं। हम उनसे परामर्श कर रहे हैं ।

परन्तु जहां तक मूल्य-निर्धारण का सम्बन्ध है, मूल्यों पर नियंत्रण लगाया गया है और मेरे विचार में औषधियों की तब तक कोई कमी नहीं है जब तक जानबूझ कर उनका अभाव पैदा किया जाता है और काला बाजार में औषधियां बेची जाती हैं । केवल ऐसे हालात में मूल्यों में वृद्धि होने की आशंका है । अन्यथा मूल्य नियन्त्रित है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जहां तक इन औषधियों का सम्बन्ध है, भारत में उत्पादित होने वाली ये औषधियां सबसे सस्ती हैं ।

बालासौर में रेमुना रेल फाटक पर उपरि-पुल

*7. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बालासौर में रेमुना रेल-फाटक पर उपरि-पुल का निर्माण कार्य वर्ष 1975-76 में आरम्भ किया जा रहा है ।

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : जी नहीं ।

श्री श्यामसुन्दर महापात्र : माननीय उपमंत्री द्वारा दिया गया नाकारात्मक उत्तर बहुत ही निराशाजनक है । माननीय मंत्री को अत्यन्त ऊर्जस्वी मंत्री समझा जाता है क्योंकि वह उड़ीसा के हितों की संरक्षा करते हैं । कुछ ही महीने पूर्व माननीय रेल मंत्री ने मुझे इस विषय पर एक पत्र लिखा है । मैं वह उद्धृत करता हूं :

> "बालासौर में रेमुना रेल-फाटक पर एक उपरि-पुल का निर्माण करने का प्रस्ताव है जिसे वर्ष 1972-73, 1974-75 के रेलवे के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया था । चूंकि पुल की चौड़ाई अभी तक नहीं बताई गई, प्रस्ताव समाप्त करना पड़ा । योजना सम्बन्धी ब्यौरे को अन्तिम रूप देने के बाद निर्माण-कार्य को पुनः स्वीकृति देने की आगे कार्यवाही की जायेगी ।"

इससे नकारात्मक उत्तर कैसे हो सकता है ?

श्री बूटा सिंह : जी हां, मैं उस बात से सहमत हूं जो रेल मंत्री ने माननीय सदस्य को लिखा है । वर्ष 1975-76 में इस कार्य को शामिल न करने का कारण यह है कि राज्य सरकार ने हमें अपना प्रस्ताव नहीं भेजा । पुल के निर्माण का सही स्थान और ठोस प्रस्ताव भी नहीं बताया ।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या मैं यह मान लूं कि माननीय मंत्री और उनके सहायक मंत्रियों ने यह स्वीकार कर लिया है कि इसे अगले वर्ष लिया जायेगा ।

श्री बूटा सिंह : हां जी ।

आपात स्थिति की घोषणा के बाद से बिना टिकट यात्रा

*8. **श्री शंकर दयाल सिंह :**

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति की घोषणा के बाद देश में बिना टिकट यात्रा करने वाले कितने रेल यात्री पकड़े गये हैं ;

(ख) इस यात्रियों से सरकार ने जुर्माने के रूप में अब तक कितनी राशि एकत्रित की है ।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1 जुलाई, 1975 से 30 नवम्बर, 1975 तक की अवधि में कुल 10,67,786 व्यक्ति बिना टिकट या गलत टिकट लेकर यात्रा करते पकड़े गये थे । इनमें से 1,38,992 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके वि द्ध मुकदमा चलाया गया क्योंकि उन्होंने रेलवे को देय राशि का भुगतान नहीं किया था ।

(ख) बिना टिकट यात्रियों से वसूल की गयी रकम इस प्रकार है :—

(1)	किराया . .	52,38,086/- रु०
(2)	अधि प्रभार . .	90,11,221/- रु०
(3)	अदालती जुर्माना . .	16,46,197/- रु०

Shri Shankar Dayal Singh: Mr. Speaker, Sir, after the declaration of emergency the working of Railways have improved a lot. First of all I thank and congratulate the Ministry of Railways and Government because in my view the Ministry of Railways is the only Ministry which consists of Panditji, Sardarji and Qureshi Saheb. I would like to know the name of the area and the State in which the maximum number of ticketless passengers have been detected and the amount of fine recovered from them.

Minister of Railways (Shri Kamlapati Tripathi): Mr. Speaker, Sir, I feel that it will be better not to give reply to this question.

Shri Rajendra Prasad Yadav: May I know whether the Minister is aware of the fact that mostly poor people, who have no money, are detected during the course of checking? But the persons, who are in a position to pay money, escape after paying money illegally. We have got personal information about this. Shri Chiranjib Jha, M.P. and I have personally seen this at Mausi. The checking was being made in a train opposite to our train. G.R.P. people threw the luggage from the train of those people, who had no money and allowed others, who agreed to pay them money. We had written to the Railway Ministry also about it but no enquiry was made as their number was known. We got the reply that vigilance people went there but no action could be taken in the absence of number of G.R.P. personnel.

I would like to know who are the persons mostly detected travelling without ticket and whether any numbers, etc. are allotted so as to identify the checking staff and other persons.

Shri Mohammad Shafi Qureshi: It is very much clear that only those persons will be apprehended, who are without ticket. There is no question of the rich and the poor. Ticketless passengers, whether rich or poor, will be treated equally. The persons, who pay the fare, are freed and action is taken against the rest. If you want to draw attention to any

particular instance, kindly give us in writing. We will get the matter inquired into.

श्री डी० बसुमतारी : श्री शंकर दयाल सिंह के प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है कि यह सूचना देना जनहित में नहीं है । क्या यह राज्यवार आंकड़े दे सकते हैं ? मैं राज्यवार आंकड़े जानना चाहता हूं ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : इस समय तो यह आंकड़े मेरे पास नहीं हैं । परन्तु यदि सदस्य महोदय चाहें तो मैं बाद में उन्हें राज्यवार तो नहीं, जोनवार यह आंकड़े दे सकता हूं ।

बंगाल की खाड़ी तथा 'बम्बई हाई' में तटदूर खुदाई

*9. **श्री एम० कत्तामुतू** : क्या **पैट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'बम्बई हाई' के अतिरिक्त बंगाल की खाड़ी में भी तटदूर खुदाई कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो 'बम्बई हाई' से अशोधित तेल की सप्लाई कब तक आरम्भ हो जाने की संभावना है ; और

(ग) बंगाल की खाड़ी में की गई खुदाई के क्या परिणाम निकले हैं ?

पैट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां ।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक बम्बई हाई से कच्चे तेल के उत्पादन का प्रारम्भ करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(ग) प्रथम अन्वेषणी कुंआ खुदा जा रहा है । कुंआ का कार्य पूरा होने तथा परीक्षण कार्य के पश्चात ही परिणामों का पता चलेगा ।

श्री एम० कत्तामुतू : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं क्या खुदाई का कार्य तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किया जा रहा है या इसका ठेका किसी विदेशी कम्पनी को दिया गया है ? यदि हां, तो इस करार की शर्तें क्या हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : जहां तक बम्बई हाई का सम्बन्ध है वहां को पूर्ण खुदाई तथा उत्पादन कार्य तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किया जा रहा है । निसंदेह हमें इस कार्य के लिए पोतों, खुदाई, पोतों तथा अन्य उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है जोकि हमें किराये पर लेने पड़ते हैं क्योंकि इनका उत्पादन हमारे यहां अभी नहीं हो रहा है । जहां तक बंगाल की खाड़ी का सम्बन्ध है, उस के लिए हमने एक अमरीकी फर्म के साथ करार किया हुआ है ।

श्री आर० बी० स्वामीनाथन : बंगाल की खाड़ी में कौन से स्थान पर खुदाई की जा रही है ? दूसरे, एक प्रस्ताव के अनुसार मैं समझता हूं रामेश्वरम् और कच्चाटीवू दीप समूहों के बीच में खुदाई की गई थी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा इसका भी अध्ययन किया जा रहा है ?

श्री के० डी० मालवीय : बंगाल की खाड़ी का बेसिन उस दक्षिणी क्षेत्र से अलग स्थान है जिसका उल्लेख माननीय सदस्य द्वारा किया जा रहा है । बंगाल की खाड़ी के लिए अमरीका के कार्लसबर्ग ग्रुप के साथ तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का करार हुआ है तथा वह अपने पहले कुएं की खुदाई उड़ीसा तट के पास कर रहे हैं जो कि पारादीप से लगभग 80 मील है ।

डा० रानेन सेन : क्या यह सत्य है कि बंगाल की खाड़ी के तट के आस पास सरकार सुन्दरबन के क्षेत्र में भी खुदाई करने पर विचार कर रही है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या पैट्रोलियम मंत्रालय का पर्यटन मंत्रालय के साथ इस बात पर मतभेद हो गया है क्योंकि सुन्दरबन क्षेत्र चीता संरक्षण परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। यदि हां, तो सुन्दरबन तथा उनके आस पास के क्षेत्रों में खुदाई सम्बन्धी स्थिति क्या है ?

श्री के० डी० मालवीय : सुन्दरबन क्षेत्र की भूगर्भीय सम्भावनय काफी अच्छी है और हम उनका गहन अध्ययन कर रहे हैं। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का अनुमान है कि यदि बंगाल की खाड़ी में खुदाई की जाये तो वहां तेल प्राप्त होने की अच्छी संम्भावनायें हैं। परन्तु सुन्दरवन क्षेत्र में हलके तथा भारी यंत्रों के प्रयोग में कुछ खतरे हैं। यह खतरे केवल इसलिए नहीं है कि वहां बंगाल सरकार द्वारा चीता संरक्षण परियोजना चलाई जा रही है अपितु इसलिए भी कि एक तो वहां की भूमि दलदली है तथा इसके अतिरिक्त कुछ अन्य भी ऐसी ही कठिनाईयां हैं।

हम यह अध्ययन कर रहे हैं कि हल्के यंत्र प्राप्त करने तथा अन्य सम्बद्ध इंजीनियरिंग की व्यवस्था करने के लिए क्या किया जाये ताकि वहां खुदाई कार्य आरम्भ किया जा सके। यदि हम यह सयंत्र प्राप्त करने में सफल हो गए जिन्हें हम शीघ्र से शीघ्र प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर बाघ या चीतों आदि से सम्बद्ध प्रश्न के बारे में तो पश्चिम बंगाल सरकार के साथ विचार विमर्श भी किया जा सकता है।

श्री बसन्त साठे : बम्बई हाई जहां कि इन्हे निकट भविष्य में लगभग 10 करोड़ टन कच्चा तेल मिलने की आशा है, क्या सरकार को उसके समीपवर्ती पश्चिमी तट पर भी तेल प्राप्त हुआ है ? वहां तेल प्राप्त होने की कितनी संभावना है ?

श्री के० डी० मालवीय : बम्बई हाई ऐसा तेल बेसिन है जहां काफी खुदाई की जा चुकी है अब हम उत्पादन कार्य आरम्भ करने वाले हैं और हमें आशा है कि मार्च या अप्रैल के अन्त तक तेल उत्पादन आरम्भ हो जायेगा और इसे बर्मा-शैल तेल शोधक कारखाने में लाया जायेगा जिसे कि अब सरकारी अधिकार में लिया गया है। बम्बई हाई के उत्तरपूर्व क्षेत्रों के अतिरिक्त पश्चिमी तटों तथा सौराष्ट्र तट के पास भी तेल प्राप्त होने की अच्छी सम्भावनायें हैं। इन का भूगर्भीय सर्वेक्षण पहले ही आरम्भ किया जा चुका है तथा उसके आरम्भिक परिणाम भी काफी उत्साहजनक रहे हैं। कुल मिला कर हमारे पास एक दर्जन से भी अधिक ऐसे स्थान हैं जहा पर खुदाई कार्य किया जा सकता है और हमें आशा है कि अगले वर्ष के मध्य तक हमें यह मालूम हो जायेगा कि किन क्षेत्रों में गैस अथवा तेल या दोनों ही पाये जा सकते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर : मंत्री महोदय यह तो जानते ही हैं कि बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र साझा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बंगाल की खाड़ी के सुदूर तटों पर खुदाई आरम्भ करते समय बंगला देश के साथ कोई बातचीत की गई थी ताकि यह खुदाई कार्य सुचारू रूप से तथा बिना किसी अड़चन चलता रहे।

श्री के० डी० मालवीय : हमारे क्षेत्र में समुद्र दूर खुदाई का कार्य पहले ही चल रहा है। हमने एक कूप 11,000 फुट गहरा खोद लिया है। पिछले ही महीने एक अन्य कूप, 3000 या 4000 फुट गहरा खोदा गया था और अब हम यह देखगें कि वहां गैस या तेल क्या मिलता है। जहां तक बंगला देश तथा अन्य सम्बद्ध देशों का सम्बन्ध है, प्रायः बगला देश सरकार या अन्य देश सीमाक्षेत्रों के बारे में स्वयं चौकस रहते हैं और मैं समझता हूं कि इसका सीमांकन करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

कुछ जोनल रेलों में मुअत्तिल रेल कर्मचारियों की बहाली

†10. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपाँडे**

श्री के० एम० मधुकर

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, 1974 में हुई रेलवे की आम हड़ताल में भाग लेने के कारण समूचे भारत में कितने रेल कर्मचारी अभी तक मुअत्तिल हैं ;

(ख) पश्चिम रेलवे, दक्षिण-पूर्व रेलवे, उत्तर रेलवे, दक्षिण रेलवे और पूर्व रेलवे में ऐसे कितने मामले विचाराधीन हैं; और

(ग) सभी रेल कर्मचारियों को सेवा में वापिस लेने के लिए संसद् में दिये गये आश्वासनों को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 41

(ख) पश्चिम, दक्षिणपूर्व, उत्तर, दक्षिण और पूर्व रेलों में, कुल मिलाकर, 26 मामले अनिर्णीत हैं ।

(ग) सदन में रेल मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार, सिवाय उन कर्मचारियों के जिन पर तोड़-फोड़, हिंसा और डराने धमकाने के आरोप हैं, सभी रेल कर्मचारियों के सेवा-भंग को माफ करने और जिन कर्मचारियों पर तोड़-फोड़ और डराने धमकाने हिंसा के आरोप नहीं है, उनके सेवा-सम्बन्धी मामलों को तेजी के साथ तथा सहानुभूतिपूर्वक निपटाने के लिए पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है ।

श्रीमती रोजा देशपाँडे : मैं समझती हूं कि इन आंकड़ों की जांच की जानी चाहिए । जहां तक मैं समझती हूं, अनेक ऐसे मामले हैं जो इन में शामिल नहीं किए गये है यद्यपि उनके विरूद्ध हिंसा या तोड़फोड़ का कोई आरोप नहीं है । उदाहरणार्थ केन्द्रीय रेलवे में 12 मामले ऐसे हैं जिनके बारे में मैंने स्वयं लिखा था और अभी तक इनकी जांच नहीं की गई है । आपको इसके लिए और कितना समय चाहिए ? अगामी मई में इस हड़ताल के लगभग 2 वर्ष पूरे हो जायेंगे । हिंसा आदि के आरोपों की भी जांच की जानी है क्योंकि रेलवे अधिकारी मजदूर संघों में सक्रिय भाग लेने वाले कर्मचारियों को सताने के लिए इसका लाभ उठा रहे हैं । मैं चाहती हूं कि मंत्री महोदय को इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए तथा हमें आश्वासन देना चाहिए कि कब तक इन मामलों के बारे में निर्णय कर लिया जायेगा । कुछ निर्णय शीघ्र ही लिया जाना चाहिए । कृपया इस मामले को और अधिक मत लटकाईये ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी: माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं । केन्द्रीय रेलवे के 11 कर्मचारी निलिम्बित है । उन पर भारतीय दंड सहित की धारा 302 तथा धारा 307 के अन्तर्गत हत्या करने के प्रयास का आरोप लगाया गया है और इसके बारे में झांसी की अदालत में मुकदमा चल रहा है तथा उनके विरुद्ध जारी किये गये निलम्बन आदेश वापिस नहीं लिये जा सकते ।

श्रीमती रोजा देशपाँडे : मैं उन मामलों की बात नहीं कर रही । अन्य निलम्बन के मामले भी हैं । आप जिस मामले का उल्लेख कर रहे हैं उसका उल्लेख मैंने नहीं किया । मैंने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय तथा पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधकों के साथ बातचीत की थी । जो व्यक्ति पश्चिमी रेलवे

से सेवानिवृत्त हो गया है उसने मुझे आश्वासन दिया था कि वह ऐसे मामलों की जांच करेगा और एक मामले में विचार किया गया परन्तु शेष सभी पर कोई विचार नहीं किया गया। सत्य तो यह है कि माथुंगा रेलवे वर्कशाप के अन्य मामले भी हैं। मैं उनका उल्लेख नहीं कर रही।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : वह 12 कर्मचारी निलम्बित हैं जिन में से 11 के विरूद्ध हत्या के मामले है। उनके विरूद्ध न्यायालय में मुकदमें चल रहे हैं। जब तक न्यायालय द्वारा उनके मुकदमों का निर्णय नहीं कर दिया जाता तब तक हम निर्णय कैसे कर सकते हैं ?

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं यह जानना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय द्वारा निलम्बन संबंधी दिये गये आंकड़ों के अतिरिक्त बरखास्तगी के भी कुछ ऐसे मामले हैं जिनके बारे में मन्त्री महोदय ने सदन में यह आश्वासन दिया था कि ऐसे सभी मामलों पर पुनः विचार किया जायेगा और जिन लोगों ने अपराधी प्रक्रिया के अन्तर्गत आने वाले अपराध नहीं किये होंगे उन्हें बहाल कर दिया जायेगा ? क्या सरकार अब निलम्बन सहित बरखास्तगी के ऐसे मामलों पर विचार कर रही है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मुझे सदन में पहले दिये गये उत्तरों को ही दोहराना पड़ेगा। कुल 16,898 कर्मचारियों को नौकरी से बरखास्त तथा अलग किया गया। इनमें से 16056 कर्मचारियों को वापिस काम पर ले लिया गया है तथा शेष में से 452 कर्मचारी अपने मामले न्यायालयों में ले गये हैं तथा 63 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने अपील नहीं की है। इस प्रकार 16,898 कर्मचारियों में से केवल 327 कर्मचारी ही ऐसे रह जाते हैं जिन्हें अभी तक काम पर वापिस नहीं लिया गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल का वितरण

*12. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **पेट्रोलियम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण और अर्ध-नगरीय क्षेत्रों में मिट्टी के तेल का वितरण कार्य व्यवस्थित रूप से करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये किन उपायों का सुझाव दिया गया है ?

पेट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) 1 दिसम्बर, 1975 से मिट्टी के तेल के अत्याधिक बिक्री मूल्यों में 12 पैसे लिटर की आवश्यक वृद्धि के अनुसार राज्य सरकार संघ शासित क्षेत्र की सरकारों से निवेदन किया गया था कि विशेषकर ग्रामीण और अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में वितरण व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित किया जाए। उनको यह भी सलाह दी गई थी कि थोक और फुटकर व्यापारियों को स्वीकृत लाभ सीमा और वितरण तथा परिवहन लागत का पुनरीक्षण करें ताकि यह देखा जाए कि क्या 12 पैसे से कम वृद्धि सम्भव हो सकेगी। राज्य सरकारों को यह भी

प्रस्ताव दिया गया है कि वे मिट्टी के तेल के वितरण को स्वयं ले सकती है ताकि खर्चे को कम किया जाए। राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी गई है कि 750 एम एल बोतलों में मिट्टी के तेल की बिक्री और एक लिटर के लिए, लिए जाने वाले मूल्य पर गम्भीरता से विचार करें।

वर्ष 1975–76 के दौरान वैगनों की खरीद

*13. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने वर्ष 1975–76 के दौरान 6,000 से अधिक वैगनों को खरीदने की योजना बनायी थी,

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने वैगन खरीदे जा सके हैं,

(ग) क्या कुल वैगन योजनानुसार खरीदे जा सके थे, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) 30 नवम्बर, 1975 तक, चौपहियों के हिसाब से कुल 7,660 माल डिब्बे खरीदे गये।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

तेल की खोज के लए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा नवीनतम तकनीकों का अपनाया जाना

*14. **श्री सी० जनार्दनन :**
श्री सरजू पाँडे :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने देश में अपने तेल क्षेत्रों से तेल की प्राप्ति में सुधार लाने के लिये नवीनतम तकनीकों को अपनाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं और इसमें सहयोग देने वाले देशों के नाम क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां।

(ख) फ्रांस के सहयोग से बड़ौदा में द्वितीय प्रयोगशाला के अध्ययन के लिए तथा तृतीय प्रति प्राप्ति प्रक्रिया तथा अन्य अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों के लिए एक जलाशय अध्ययन स्थापित किया जायेगा। इन अध्ययनों के परिणामों के आधार पर बाद में ऐसी परियोजनाएं बनाई जायेगी।

संस्थान के स्थापित हो जाने के पश्चात् चार या पांच सोवियत विशेषज्ञों को भी इसमें शामिल किया जायेगा।

सितम्बर 1974 की इंडो रूमानियन संयुक्त आयोग की बैठक के निर्णय के अनुसरण में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के तीन अधिकारियों ने रूमानिया में "फायर फलाइंग" औद्योगिकी में प्रशिक्षण प्राप्त किया है ।

पश्चिम तटवर्ती रेलवे के आप्टा–दसगाँव सेक्शन में किया गया कार्य

*15. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974–75 के दौरान पश्चिम तटवर्ती रेलवे के आप्टा–दसगांव सेक्शन में कितना कार्य हुआ है ; और

(ख) इस सेक्शन में 31 मार्च, 1976 तक क्या कार्य किये जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) आप्टा––दसगांव के बीच लाइन के निर्माण के लिए अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और रिर्पोटों की जांच की जा रही है। सर्वेक्षण रिर्पोटों की जांच हो जाने और धन उपलब्ध होने पर ही इसके निर्माण के बारे में निर्णय लिया जायेगा।]

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि का प्रभाव

*16. **श्री धामनकर :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कुछ पेट्रोलियम उत्पादों, जैसे मिट्टी का तेल, खाना पकाने की गैस, हाई स्पीड डीजल तेल तथा भट्टी के तेल के मूल्यों में हुई वृद्धि से आम जनता तथा औद्योगिक एककों पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि फुटकर विक्रेता उपभोक्ताओं से इन वस्तुओं के अत्यधिक से ऊंचे मूल्य न ले ?

पेट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) पेट्रोलियम उत्पादों के प्रभावपूर्ण उपयोग से तथा उससे हुई किफायत के परिणामस्वरूप और कोयले की अत्यधिक उपलब्धता तथा इस बढ़ी हुई मात्रा का परिवहन करने के लिये रेलवे की क्षमता पर आमतौर पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा।

(ख) मिट्टी के तेल एवं भट्टी के तेल के फुटकर बिक्री मूल्यों को नियत किया गया है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत जारी किये गये मिट्टी के तेल (उच्चतम मूल्यों का नियतन) आदेश, 1970 तथा मिट्टी के तेल (उच्चतम मूल्यों का नियतन) आदेश 1974 के अन्तर्गत राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा इन्हें नियंत्रित किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों को कहा गया है कि वे मूल्य के वितरण व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करें, वितरण एवं परिवहन लागत; मिट्टी के तेल के थोक विक्रेताओं और फुटकर विक्रेताओं को देय लाभांशों की समीक्षा करें ताकि वृद्धि को 12 पैसे प्रति लिटर से कम रखा जा उके। प्रत्येक स्थानों में खाना पकाने की गैस के मूल्य को केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत किया जाता है।

सौराष्ट्र-तट से दूर समुद्र में तेल की खोज

*17. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रारम्भिक सर्वेक्षण से संकेत मिले है कि सौराष्ट्र-तट से दूर समुद्र में तेल का विशाल भंडार है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी खोज करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम मंत्री (श्री केशव देव मालवीय) : (क) और (ख) : प्रारम्भिक भूकंपीय सर्वेक्षणों ने संरचनात्मक संभावनाओं का संकेत दिया है। विस्तृत भूकंमपीय सर्वेक्षण किये गये हैं। आंकड़ों के तैयार तथा प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् ही केवल इनके परिणामों का पता चलेगा।

मैसूर-बंगलौर रेल लाइन का बड़ी लाइन में बदला जाना

*19. **श्री एस० एम० सिद्दया :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार मैसूर-बंगलौर मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य में सहयोग देने के लिए सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त सहयोग किस प्रकार का होगा; और

(ग) बंगलौर-मैसूर लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने का कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा।

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) मैसूर से बंगलौर तक मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए वार्तालाप में भाग लेने के लिए कर्नाटक सरकार ने विभिन्न प्रस्ताव पर विचार करने को कहा है जो मोटे तौर पर इस प्रकार है :—

1. मिट्टी के काम के लिए श्रमिक-दल का उपलब्ध कराना,
2. राज्य सरकार द्वारा भूमि का तत्काल अधिग्रहण,
3. सड़क यातायात को नियमित करना,
4. किरायों और भाड़ों में उचित वृद्धि,
5. बड़ी लाइन के लिए अपेक्षित लकड़ी के स्लीपरों की मुफ्त सप्लाई, और
6. पहले कुछ वर्षों के लिए नुकसान की जिम्मेदारी लेना।

दक्षिण रेल प्रशासन ने राज्य सरकार से निम्नलिखित रियायतों की पुष्टि करने के लिए कहा है :—

1. इस परियोजना के लिए अपेक्षित लकड़ी के स्लीपर राज्य सरकार द्वारा मुफ्त दिये जाये;

2. इस परियोजना के लिए समस्त भूमि राज्य सरकार द्वारा मुफ्त दी जाये ;

3. इस परियोजना पर हुई हानि की जिम्मेदारी राज्य सरकार लेगी, और अलाभप्रद बंगलौर सिटी–बंगारपेट्टे छोटी लाइन को बन्द कराने के लिए सहमति देना।

राज्य सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा है।

(ग) इस आमान–परिवर्तन के लिए अद्यतन सर्वेक्षण रिपोर्टें रेलवे से हाल ही में प्राप्त हुई हैं और उनकी जांच की जा रही है। रिपोर्टों पर विचार कर लिये जाने तथा योजना आयोग से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद इस आमान–परिवर्तन के संबंध में अन्तिम निर्णय किया जायेगा। अन्तिम निर्णय लेते समय राज्य सरकार की प्रस्तावित सहायता पर विचार किया जायेगा।

गुजरात में वर्षा और तूफानों के कारण हुई क्षति

*20. **श्री खेमचन्द भाई चावड़ा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्षा ऋतु में गुजरात राज्य के अनेक क्षेत्रों में अभूतपूर्व वर्षा और तूफानों के कारण रेलवे को कुल कितनी क्षति हुई ;

(ख) वर्षा तथा तूफानों के कारण आई बाढ़ से कितने रेलवे पुल बह गये और कितनों को क्षति पहुंची; और

(ग) उनकी मरम्मत करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उन्हें इतना सुदृढ़ बनाने में कितना समय लगेगा कि वे भारी बाढ़ का भी मुकाबला कर सकें?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) लगभग 68.5 लाख रुपयें।

(ख) केवल एक पुल क्षतिग्रस्त हुआ था जो बाढ़ के कारण आंशिक रूप से बह गया था।

(ग) थ्रू संचार व्यवस्था कायम करने के लिए तत्काल अस्थायी मरम्मत कर दी गयी थी और अगली मानसून शुरू होने से पहले ही भारी बाढ़ का सामना करने के लिए पुल को ठीक कर लिया जायेगा।

रेल अधिकारियों की अनिवार्य सेवा निवत्ति

21. **श्री बीर भद्र सिंह :**

श्री नारायण चन्द पाराशर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन माह के दौरान बहुत से रेल अधिकारियों को अनिवार्य सेवा निवृत्ति दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). जिन सरकारी कमचारियों की उपयोगिता समाप्त हो चुकी है या जिनकी ईमानदारी संदिग्ध है, उन्हें सेवा निवृत्त करके प्रशासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सरकार ने जो नीति सम्बन्धी निर्णय लिया है उसके अनुसार ही जो रेल अधिकारी 50/55 वर्ष की आयु के हो गये हैं या जो 30 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं उन सब के मामलों की समीक्षा की गयी है और उसी के परिणामस्वरूप 31–12–1975 तक 43 अधिकारियों को अनिवार्य सेवा-निवृत्ति के नोटिस दिये गये हैं ।

कांगड़ा घाटी रेलवे पर दूसरे रेल-मार्ग का निर्माण

2. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कांगड़ा घाटी म दूसरे रेल मार्ग के निर्माण को 31 मार्च, 1976 तक पूरा कर देने की घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो इस बीच कितने प्रतिशत काम पूरा हो चुका है ; और

(ग) इन रेल मार्गों पर किस तारीख तक यात्री गाड़ियों का चलना प्रारम्भ हो जायगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) रेल मंत्रालय के लिए संसद् सदस्यों की परामर्श समिति की 11–7–75 को जो बैठक हुई थी, उसमें उठाये गये एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया था कि यह परियोजना 31–3–76 तक पूरी हो जायेगी । तीन महत्वपूर्ण बड़े पुलों में गर्डर लगाने के काम को छोड़ कर शेष सभी काम उक्त तारीख तक पूरा हो जाने की संभावना है । कुल मिलाकर काम की प्रगति 91 प्रतिशत है । उपयुक्त स्टील सैक्शन देर से मिलने के कारण ठेकेदारों ने शेष काम को 31–3–76 तक पूरा करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है । गर्डर लगाने का काम पूरा होते ही खण्ड के परिवर्तित मार्ग पर सवारी गाड़ी चलाना संभव हो जायेगा ।

Introduction of double-decker coaches on Railways

3. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the time by which the scheme for introducing double-decker coaches on selected railway routes in the country is likely to be implemented; and

(b) whether any test-run has been conducted in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) and (b). The body shell of one prototype double decker coach has been manufactured and is undergoing various tests. Thereafter, necessary modifications, as needed, shall be carried out and the coach subjected to oscillation tests on line during the later half of 1976. No firm forecast in the date for introducing double-decker coaches for public use is, therefore, possible to be furnished at this juncture. It is anticipated that by end of 1976 or beginning of 1977 test runs would be possible.

Irregularities committed by J. B. Mangharam Group of Companies

4. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government had received complaints in the beginning and in the middle of 1975 about irregularities by the J. B. Mangharam, a group of Companies at Hyderabad, Bombay, Delhi and Gwalior and if so, the broad outlines of the irregularities alleged in these complaints;

(b) whether Government have also received a summary of the proceedings of the council of the agents of the J. B. Mangharam Group spread all over the country and if so, whether any reference has been made about certain irregularities therein; and

(c) whether this group of companies has committed violation of the Company Laws and if so, the action being taken by Government to ensure that the Company Laws are not violated in future?

The Deputy Minister in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Bedabrata Barua): (a) and (b) Shri A. Khushaldas claiming to be President of J. B. Agents Council had complained in February, 1975 and May, 1975 against M/s. J. B. Mangharam & Co. Pvt. Limited. Alongwith the first complaint he had enclosed minutes of the third meeting of members of J. B. Agents Council held on 13th June, 1970 in New Delhi. Some other complaints have also been received against the company. The complainants *inter alia* alleged (1) non-refund of deposits, (2) floatation of M/s. J. B. Mangharam and Company Private Limited to save factory of M/s. J. B. Mangharam and Co. a partnership firm from the clutches of the creditors, (3) entering into an onerous agreement between father as sole proprietor of the said firm and his sons as Mg. Director of the said limited company, as lessor and lessee respectively, (4) collection of money from its various distributors and (5) non-filing of balance heets etc. with the Registrar of Companies.

(c) The inspection of the books of account of M/s. J. B. Mangharam and Company Private Limited, New Delhi has been carried out under section 209 of the Companies Act, 1956 and the Inspection Report is under examination. Action will be taken as may be found necessary under the relevant provisions of the law.

रायपुर–झांसी एक्सप्रेस और हावड़ा–अहमदाबाद एक्सप्रेस गाड़ियों का काम्पाटी में रुकना

5. **श्री वसन्त साठे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को काम्पाटी शहर (मध्य रेलवे) के बढ़ते हुए महत्व को ध्यान में रखते हुए वहां रायपुर-झांसी एक्सप्रेस और हावड़ा-अहमदाबाद एक्सप्रेस के ठहरने के बारे में कोई अभ्यवेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) इन तेज एक्सप्रेस गाड़ियों को छोटे स्टेशनों पर ठहराये जाने का कोई विचार नहीं है ।

एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के निर्देशों के विरुद्ध विदेशी कम्पनियों द्वारा प्राप्त किये गये रोकादेश

6. **श्री सतपाल कपूर :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में स्थित कुछ विदेशी कम्पनियों ने एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के निर्देशों के विरुद्ध रोकादेश प्राप्त किये हैं ;

(ख) क्या एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग को दिये गये निर्देशों में तकनीकी त्रुटि के कारण इन कम्पनियों ने व्यादेश प्राप्त किया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन जांच कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिये उन निर्देशों का संशोधन किया जायेगा अथवा क्या एक नया निर्देश किया जायेगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रेद व्रत बरूआ) : (क) हां, श्रीमान जी । दिनांक 15–4–75 को सदन में दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 6167 के भाग (क) के उत्तर के अनुसार, कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन (भारत में व्यापारिक स्थान रखने वाली विदेशी कम्पनी), केडबरी प्रबई (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड और कोलगेट पामोलिव (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड (विदेशी कम्पनी की भारतीय सहायक) ने केन्द्रीय सरकार द्वारा एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग को एकाधिकार एवं निर्बन्धकार व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 31 के अन्तर्गत जांच हेतु किये गये संदर्भ के सम्बन्ध में रोकादेश प्राप्त किया है ।

(ख) नहीं , श्रीमान जी ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

भारत उर्वरक निगम के कार्यकरण का पुनर्गठन

7. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय उर्वरक निगम के कार्यकरण का पुनर्गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) एफ० सी० आई० के पुनर्गठन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

रेलवे में डीजल के उपयोग में कमी होना

8. **श्री भान सिंह भौरा :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने विश्वव्यापी तेल संकट को ध्यान में रखते हुए डीजल के उपयोग में कमी करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो रेलवे में डीजल पर सरकार को कितनी धनराशि खर्च करनी पड़ती है;

(ग) क्या सरकार ने रेलवे में और अधिक विद्युतीकरण का निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) उच्च - गति डीज़ल तेल पर 1974–75 में लगभग 68 करोड़ रुपए खर्च हुए ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वी क्षेत्र में तट से दूर और तट पर खुदाई कार्य

9. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा तट पर हाल में तेल मिला है ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आसाम तथा पूर्वी क्षेत्र के अन्य इलाकों में तट से दूर और तट पर खुदाई कार्य शरू किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

पेट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) बंगाल की खाड़ी में, पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी तट तथा उड़ीसा के तट के पूर्व में एक कूप खोदा जा रहा है । अपतट में पश्चिमी बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश तथा त्रिपुरा में खुदाई की जा रही है । खदाई/उत्पादन परीक्षण कार्यों के पूरा होने के पश्चात् परिणामों का पता चलेगा ।

पहली खुदाई के फलस्वरूप, 1975–76 के दौरान पूर्वी क्षेत्र के कुओं से 4 मिलियन टन से अधिक कच्चे तेल का उत्पादन होने की आशा है ।

उर्वरकों का उत्पादन

10. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम :**

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :[1]

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम नौ महीनों में उर्वरकों का रिकार्ड उत्पादन हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पांचवीं योजना के प्रारूप में रखा गया वर्ष 1978–79 में लगभग 60 लाख टन की क्षमता का लक्ष्य और चालीस लाख टन नाइट्रोजन का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र में उर्वरकों के उत्पादन के आंकड़े क्या हैं और इस दिशा में आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हां । 1 अप्रैल से 31 दिसम्बर, 1975 की अवधि के दौरान 10.6 लाख मी० टन नाइट्रोजन का उत्पादन प्राप्त किया गया था जब कि 1974–75 के दौरान तदनरूपी अवधि के दौरान यह 8.2 लाख मी० टन था इसके परिणाम-स्वरूप लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई । वर्तमान वर्ष के अन्त तक लगभग 15 लाख मी० टन नाइट्रोजन का कुल उत्पादन होने की आशा है जब कि विगत वर्ष यह उत्पादन 11.85 लाख मी० टन था ।

(ख) और (ग) पांचवीं योजना प्रलेख के प्रारूप में मूल रूप में 6 मिलियन मी० टन नाइट्रोजन के लक्ष्य की तुलना में वर्तमान संकेत यह है कि 1978–79 तक नाइट्रोजन की क्षमता 4.7 मिलियन मी० टन तक हो जायेगी । इसका मुख्य कारण यह है कि कुछ सरकारी क्षेत्र की प्रायोजनाओं, जैसा कि आयोजना प्रलेख में दिया गया है साधनों की कठिनाई के कारण या तो

रोक दिये गये या उनकी गति में कमी की गई है । इसके अतिरिक्त पांचवीं योजना के अन्त तक गैर-सरकारी क्षेत्र में विकास के लिए 0.6 मिलियन मी० टन की क्षमता को भी कार्यरूप नहीं दिया जाय । इसके परिणामस्वरूप पांचवीं योजना अवधि के अन्त तक 3 मिलियन मी० टन नाइट्रोजन का घरेलू उत्पादन होने की आशा है जब कि योजना के प्रारूप में लक्ष्य 4 मिलियन मी० टन था । कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के पूरा करने तथा संसाधनों एवं अन्य तथ्यों की उपलब्धता के सम्बन्ध में नई क्षमता के विकास करने के प्रयत्न जारी रखे जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश में फैजाबाद डिवीजन में मनकापुर–लकड़मण्डी रेल लाइन का बड़ी लाइन में बदला जाना

11. **श्री आर० के० सिन्हा** :] क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में फैजाबाद डिवीजन में मनकापुर-लकड़मण्डी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव था ;

(ख) यदि हां, तो इस समय यह प्रस्ताव किस स्थिति में है ;

(ग) इस मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण कब किया गया था और यह कार्य कब आरम्भ किए जाने की संभावना है ; और

(घ) कार्य को शुरू करने में विलम्ब होने के क्या विशिष्टि कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ). मनकापुर-कटरा (लक्कड़मण्डी) मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के प्रश्न पर विचार करने के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किये जा रहे हैं । सर्वेक्षणों के अगस्त, 1976 तक पूरा हो जाने की संभावना है । सर्वेक्षणों के परिणाम ज्ञात होने के पश्चात् आमान-परिवर्तन सम्बन्धी परियोजना पर विस्तारपूर्वक विचार किया जायेगा ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति

12. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कुछ अपर न्यायाधीशों की नियक्ति के बारे में कोई मांग की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो वहां पर न्यायाधीशों की नियुक्ति में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख). वर्ष 1975 के दौरान राज्य प्राधिकारियों ने अपर न्यायाधीश के पांच रिक्त स्थान भरने के लिए प्रस्ताव भेजे थे । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रिक्त पद स्थायी न्यायाधीशों के थे, सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से तीन व्यक्ति, राज्य सरकार के परामर्श से, स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं ।

पेट्रोल का मूल्य

13. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या **पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय बाजार तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित पेट्रोल के मूल्यों में अन्तर के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या वर्ष 1975 में भारत में अशोधित तेल के उत्पादन में इस प्रतिशत की वृद्धि को देखते हुए यहां पर तेल के मूल्य में कोई कमी होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) पेट्रोल के मूल्य प्रत्येक देश में अलग-अलग हैं । यह भिन्नता अशोधित तेल का मूल्य शोधन लागत, परिवहन लागत शुल्क एवं कर लगाने के कारण है ।

(ख) पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों के निर्धारण के समस्त प्रश्नों पर तेल मूल्य समिति विचार कर रही है । समिति की रिपोट की प्रतीक्षा है ।

कानूनी सहायता कार्यक्रम

14. **श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का समाज के कमजोर वर्ग के लाभ के लिए देश में कानूनी सहायता कार्यक्रम आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० बी० ए० सईद मुहम्मद) : (क) और (ख): इस मामले पर सरकार विचार कर रही है ।

Rates of kerosene oil in different States

15. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Petroleum** be pleased to state:

(a) the per litre rate of kerosene oil in Rajasthan;

(b) whether it is being sold at Rs. 1.22 and Rs. 1.42 per litre in Delhi and Haryana respectively; and

(c) the reasons for such a great difference in its rates?

The Minister of Petroleum (Shri K D. Malaviya): (a) to (c). The retail selling prices of kerosene oil are not uniform throughout the country or in Rajasthan or Haryana. The reasons are variations in the cost of transportation by rail/road/pipeline/coastal freight, from the nearest refinery, sales tax, octroi, local levies and other charges fixed by the State Governments under the Essential Commodities Act from time to time.

The retail selling prices of SKO are Rs. 1.30 per litre at Jodhpur, Rs. 1.32 per litre at Jaipur, Rs. 1.29 per litre at Delhi, Rs: 1:36 per litre at Rohtak, Rs: 1:37 per litre at Gurgaon and Rs. 1.38 per litre at Mohindergarh.

रेलवे प्रशासन का पुनर्गठन करने सम्बन्धी मंत्रालयी समिति

16. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन के पुनर्गठन के विकल्प की जांच करने के लिये मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो नये रेलवे गठन के लिए कोई अस्थायी योजना बनाई गई है ;

(ग) तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग). जी नहीं । किन्तु रेलवे बोर्ड के ढांचे और उसके कार्यों पर विचार करने के लिए एक मंत्रिमण्डलीय समिति बनायी गयी थी और उस समिति की राय है कि वर्तमान व्यवस्था अभी जारी रहनी चाहिए ।

मुजफ्फरपुर–बाराबंकी रेल मार्ग को बड़ी लाइन में बदला जाना

17. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फरपुर से बाराबंकी के बीच छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य में धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ।

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : साधनों की सीमित उपलब्धता के अनुरूप परियोजना का कार्य निरन्तर प्रगति पर है ।

निर्धनों को कानूनी सहायता

18. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :**
श्री डी० के० पंडा :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निधनों को कानूनी सहायता देने के संबंध में कार्यवाही करने के लिए विधि मंत्रालय में कोई प्रभाग बनाने का निर्णय किया है ; और

(ख) क्या निर्धनों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में किसी राज्य सरकार ने कोई कदम उठाया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० बी० ए० सईद मुहम्मद) :
(क) जी नहीं ।

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

कृष्णा पुल के निर्माण कार्य के लिए ठेके पर श्रमिकों को रखा जाना

19. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण पूर्व रेलवे में विशेषकर कृष्णा पुल के निर्माण कार्य में ठेके पर श्रमिक रखे जाने के क्या कारण हैं ।

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : कृष्णा पुल के इस्पात के गर्डरों पर रंग करने संबंधी सामयिक काम ठेकेदारों को इसलिए सौंपा गया था क्योंकि वर्षा या खराब मौसम के दौरान रंग करने का काम नहीं किया जा सकता और काम न रहने के कारण रंग संबंधी ऐसे सामयिक काम पर लगाये गये विभागीय मजदूरों को नौकरी से हटाना पड़ जाता है । विगत में ऐसे मजदूरों को नौकरी से हटाने के विरोध में मजदूर आंदोलन हुए थे । अतः रंग करने का काम ठेकेदारों को सौंपने का विनिश्चय किया गया था ।

तेल सम्बन्धी आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता

20. **श्री डी० डी० देसाई :**
श्री पी० एम० सईद :
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डे :

क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 1980 तक तेल की आवश्यकताओं में आत्म-निर्भर हो जाने की आशा है ; और

(ख) तेल की सम्भावित मांग क्या है जिसके आधार पर आत्म-निर्भर हो जाने का दावा किया गया है ?

पेट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख). आत्म-निर्भरता पाने के लिए समस्त प्रयत्न यथाशीघ्र किये जा रहे हैं और इस कार्य के लिए अन्वेषण कार्यों को बढ़ाया गया है । 1980–81 तक पैट्रोलियम उत्पादों की मांग लगभग 33–34 मिलियन टन होने का अनुमान है ।

मैलानी होते हुए फर्रूखाबाद (उत्तर प्रदेश) से गोलागोकर्णनाथ तक नई रेल लाइन

21. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री मलानी होते हुए फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश से गोलागोकर्णनाथ तक नई रेल लाइन बिछाने के लिये प्राथमिक सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) क्या बरास्ता मोहम्मदी के बजाय इस लाइन को बरास्ता मैलानी, उत्तर-पूर्व रेलवे बिछाने के लाभों पर विचार कर लिया गया है ; और

(ग) इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने में कितना समय और लगेगा ।

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) सर्वेक्षण दल द्वारा इस पहलू पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) सर्वेक्षण रिपोर्ट लगभग मार्च, 1976 तक प्राप्त हो जाने की संभावना है और उसके बाद रेल मंत्रालय द्वारा उनकी जांच की जायेगी । सर्वेक्षण के परिणामों के अलावा इस परियोजना के सम्बन्ध में विनिश्चय इस बात पर भी निर्भर करेगा कि नयी रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध होती है ।

आन्तरिक आपात स्थिति के दौरान रेल कर्मचारियों (पूर्वोत्तर रेलवे) को नौकरियों से हटाया जाना

23. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्तरिक आपात स्थिति की घोषणा के बाद से पूर्वोत्तर रेलवे में कुल कितने रेल कर्मचारी नौकरियों से हटाये गये हैं ;

(ख) आपात स्थिति से पूर्व पूर्वोत्तर रेलवे तथा पूर्व रेलवे में कितने कर्मचारी तथा अधिकारी आनन्द मार्ग तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 569।

(ख) **पूर्व रेलवे**

अधिकारी	कोई नहीं
अराजपत्रित	13

पूर्वोत्तर रेलवे

अधिकारी . .	3
अराजपत्रित	15

केरल राज्य में मेलत्तूर–फेरोक लाइन बिछाया जाना

24. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में मालाबार में मेलत्तूर-फेरोक रेल लाइन बिछाने के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

'बम्बई हाई' में पाँचवें कुएं की खुदाई

25. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटदूर खुदाई करने वाले प्लेटफ़ार्म 'सागर सम्राट' ने बम्बई हाई में पांचवें कुये की खुदाई की है ;

(ख) यदि हां, तो नवम्बर, 1975 तक कितनी गहराई तक कुआं खोदा जा चुका है; और

(ग) खुदाई कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग) सागर सम्राट ने बम्बई हाई क्षेत्र में पांचवे कुंये का व्यधन कार्य जिसे 29–4–1975 को आरम्भ किया गया था, 1405 मीटर से अधिक गहराई पर मई 1975 के तीसरे सप्ताह में पूरा किया।

बड़े एकाधिकार गृहों के विरुद्ध दायर किये गये मुकद्दमे

26. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आपात कालीन अवधि में 26 जून, 1975 के बाद बड़े एकाधिकार गृहों, विशेष रूप से पटसन, वस्त्र, तम्बाकू, औद्योगिक गृहों के विरुद्ध दायर किये गये मुकद्दमों अथवा शिकायतों की संख्या क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेद व्रत बरुआ) : "बड़े एकाधिकारी घराने" वाक्य की किसी विधान में परिभाषा नहीं की गई है। शब्द "मामले" से भी इसके ठीक ठीक अर्थ का बोध नहीं होता, क्योंकि मामले न्यायालयों में अनेक अभिकरणों द्वारा अथवा अन्य सांविधिक प्राधिकारियों के पास, प्रस्तुत किये जाते हैं। वाक्य "शिकायतें"

बहुत विस्तृत है, एवं ये अनेक सरकारों तथा सांविधिक प्राधिकारियों, हिस्सेधारियों, जनता के सदस्यों आदि द्वारा आपराधिक एवं नागरिक दोनों प्रकार के अनेक अधिनियमनों के अन्तर्गत इनके प्रशासनकर्त्ता सरकारी अभिकरणों के पास, प्रस्तुत अनेक प्रकार की हो सकती हैं। इन तथ्यों की दृष्टि से, इस प्रश्न के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों की सूची का निर्णय करना बहुत कठिन है एवं इस प्रकार इसका उत्तर देने में वास्तविक कठिनाइयां हैं।

Allotment of petrol pumps to Harijans

27. Shri Mulki Raj Saini: Will the Minister of **Petroleum** be pleased to state:

(a) the number of petrol pumps in the country in 1974-75;

(b) the number of new petrol pumps sanctioned during 1974-75;

(c) the number of petrol pumps allotted to Harijans;

(d) the scheme formulated by Government to allot more petrol pumps to Harijans; and

(e) whether Government also propose to formulate a scheme to allot petrol pumps to members of other backward classes on a priority basis along with Harijans?

The Minister of Petroleum Shri K. D. Malaviya): (a) and (b). This information is available on a calendar year basis. The total number of Retail outlets all over the country are indicated below:—

	As on 1-1-1974	As on 1-1-1975
(1) IOC	3349	3553
(2) Burmah-Shell	3262	3173
(3) Caltex	1359	1206
(4) HPC	1887	1868
(5) IBP	435	480
(6) AOC	164	164
Total	10456	10444

Decrease in the figure as on 1st January, 1975 in case of certain oil companies is on account of more outlets having been closed down by them than the new outlets opened.

(c) and (d). From 1st January, 1974, dealerships for 25 per cent of retail outlets owned and operated by the Indian Oil Corporation are reserved for persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes. Up to 31st October, 1975, nine retail outlets were allotted by the Indian Oil Corporation to persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes under this policy.

(e) No such proposal is under consideration at present.

कान्दला पत्तन का विकास कार्यक्रम

28. श्री राजदेव सिंह : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 246 करोड़ रुपये की लागत से कान्दला पत्तन के विकास का कार्यक्रम है ताकि वहां पर सुपर टैंकर भी आ सकें;

(ख) क्या भारतीय तेल निगम 150 करोड़ रुपये की लागत से कान्दला से मथुरा तेल शोधक कारखाने तक पाइप लाइन बिछायेगा ;

(ग) क्या सुपर टैंकरों को कान्दला पत्तन से 40 किलोमीटर दूरी तक घाट सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी; और

(घ) यदि हां, तो क्या टैंकरों से अशोधित तेल पम्पों द्वारा तट तक पहुंचाया जाएगा और वहां से पाइपलाइन द्वारा मथूरा तेल शोधक कारखाने तक लाया जायेगा ?

पेट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) 246 करोड़ रुपये की लागत पर सुपर ट्रैंकरों को लाने के लिए कान्दला पत्तन के विकास का कोई कार्यक्रम नहीं है ।

(ख) इण्डियन आयल कारपोरेशन लि० पाइपलाइन प्रायोजना का कार्यान्वयन कर रहा है जिसमें मथुरा में प्रस्तावित शोधनशाला स्थल तक पश्चिमी तट पर सलाया के निकट वदीनार से पाइपलाइन बिछाना शामिल है । वीरयग्राम से एक पाइपलाइन की शाखा बड़ौदा के निकट कोयाली में वर्तमान शोधनशाला को जोड़गी । तट टैंकों, टर्मिनलों आदि सहित पाइपलाइन सिस्टम की लागत का इस समय 188 करोड़ रुपये का अनुमान है ।

(ग) 300,000 वी डब्ल्यू टी के आकार तक सुपर टैंकरों की मूरिंग सुविधा के लिए कच्छ के गोल्फ़ में सलाया के बाहर लगभग $5\frac{1}{2}$ किलोमीटर पर एक सिंगल बुयाय मूरिंग सुविधा की स्थापना का प्रस्ताव है । यह स्थान कान्दला पत्तन से लगभग 60 किलोमीटर दूर है ।

(घ) सिंगल बुयाय मूरिंग पर आने वाले टैंकर से जल के अन्दर पाइपलाइन के जरिए अशोधित तेल पम्पों द्वारा तट टैंकफ़ार्म वदीनार तक पहुंचाया जाएगा जो सिंगल बुयाय मूरिंग से लगभग 11 कि० मीटर पर है । इस टैंकफ़ार्म से मुख्य पाइपलाइन द्वारा अशोधित तेल पम्पों द्वारा मथुरा और कोयाली शोधनशालाओं तक पहुंचाया जाएगा ।

सरकारी तेल शोधक कारखानों द्वारा शोधित किया गया तेल

29. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74 तक दिसम्बर, 1975 के अन्त तक सरकारी तेल शोधक कारखानों द्वारा कुल कितनी मात्रा में अशोधित तेल शोधित किया गया ;

(ख) वर्ष 1975 के दौरान कुल कितना अशोधित तेल आयात किया गया; और

(ग) सरकार को इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी ?

पैट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) सरकारी क्षेत्र शोधनशालाओं द्वारा 1973–74 और 1975 (नवम्बर तक) के दौरान साफ़ किया हुआ कच्चा तेल नीचे दिया गया है :—

	(मिलियन मी० टन)
1973	11·48
1974	14·34
1975 (नवम्बर तक)	15·24

(ख) और (ग) जनवरी-अक्तूबर 1975 के दौरान 808·75 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा लागत पर 11·55 मिलियन मी० टन कच्चे तेल का आयात किया गया है ।

गैस सिलिन्डरों के भरे जाने के बारे में शिकायतें

30. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **पैट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू खपत की गैस के उपभोक्ताओं की आम शिकायत है कि देश में गैस सिलेन्डर सरकारी फ़र्मों द्वारा न तो ठीक से भरे जाते हैं और न सप्लाई किये जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार गैस सिलेन्डर में 'प्रेशर गेज' लगाने अथवा सप्लाई केन्द्र पर सिलेन्डर में गैस की मात्रा की जांच करने के लिये कोई अन्य विल्प निकालने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

पैट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) कम भरे हुए गैस सिलेन्डरों के बारे में उपभोक्ताओं से कुछ शिकायतें आ रही हैं ।

(ख) गैस सिलेन्डरों पर प्रेशर गेज को लगाये जाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है लेकिन इसको उपयुक्त नहीं पाया गया है क्योंकि सिलेन्डर में गैस का दबाव लगभग समान ही रहता है चाहे उसमें गैस की मात्रा कितनी ही क्यों न हो ।

तथापि इस संबंध में भ्रष्टाचार को रोकने के लिये तेल कम्पनियां सिलेन्डर भरने के स्थानों और गोदामों अथवा डीलरों के शो रूमों पर सिलेन्डरों में भरी हुई गस की मात्रा का बार-बार निरीक्षण करती हैं । आई० ओ० सी० और बर्मा शैल द्वारा सील करने की एक विकसित पद्धति अपनाई जा रही है जो भ्रष्ट डीलरों/सिलेन्डर पहुंचाने वाले व्यक्तियों द्वारा सिलेन्डर वाल्बों को खराब करने से रोकेगा ।

लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं में रिक्त स्थान

31. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं में, राज्यवार, कितने स्थान रिक्त हैं ;

(ख) इनमें से प्रत्येक स्थान कितने समय से रिक्त है ; और

(ग) इन स्थानों के लिये निर्वाचन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० बी० ए० सईद मोहम्मद): (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी वाले दो विवरण सदन के पटल पर रख दिए गए हैं । (ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०--9979/76)

(ग) देश में आपात-स्थिति को देखते हुए, इस समय लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में रिक्त स्थानों के लिए उप-निर्वाचन कराना संभव नहीं हो सकेगा ।

पिछली रेल हड़ताल में भाग लेने वाले रेल कर्मचारियों की सेवा में अन्तराल को माफ करना

32. **श्रीमती सावित्री श्याम** :

श्री एस० एन० बनर्जी :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछली रेल हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों की सेवा में अन्तराल को माफ़ करने के सम्बन्ध में अनेक ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(ख) सेवा से बर्खास्त किये गये, सेवा से निकाले गये तथा हटाये गये व निलम्बित किये गये कर्मचारियों में से कितने कर्मचारियों को फ़िर से काम पर वापस ले लिया गया है ;

(ग) प्रत्येक जोनल रेलवे में अभी भी सेवा से बर्खास्त किये गये, हटाये गये और निलम्बित किये गये कर्मचारियों की संख्या क्या है ; और

(घ) उन्हें बहाल न करने के क्या कारण हैं ।

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है जिसमें रेलवे-वार आंकड़े दिये गये हैं ।

(घ) सेवा से निकाले गये कुल 842 कर्मचारियों में से 452 कर्मचारियों ने सेवा से अपनी बर्खास्तगी के आदेशों के विरुद्ध अदालतों में मुकदमें दर्ज कराये हैं और 63 कर्मचारियों ने अपील नहीं की है । 238 अपीलें सक्षम प्राधिकारियों द्वारा रद्द कर दी गयी है और 89 भूतपूर्व कर्मचारियों की अपीलें और पुनर्विचार की याचिकाएं विचाराधीन हैं । नौकरी में फ़िर से रखे जाने से सम्बन्धित प्रत्येक मामले में गुणावगुण के आधार पर कारवाई करनी होगी। 41 कर्मचारी अभी भी निलम्बनाधीन हैं क्योंकि उन के विरुद्ध पुलिस / विभागीय मामले चल रहे हैं।

विवरण

रेलें	मई, 1974 की हड़ताल के संदर्भ में बर्खास्त/हटाये गये/सेवा समाप्त किये गये कर्मचारियों की कुल संख्या	अभी तक बर्खास्त/हटाये गये/सेवा समाप्त किये गये व्यक्तियों की संख्या (31–12–75 की स्थिति)	मई, 74 के हड़ताल के संदर्भ में शुरू में ही निलम्बित कर्मचारियों की संख्या	निलम्बनाधीन कर्मचारियों की संख्या. (31–12–75 की स्थिति)
मध्य . . .	1,704	65	984	12
पूर्व	2,848	249	743	—
उत्तर. . . .	1,389	31	1,208	6
पूर्वोत्तर . . .	826	9	849	3
पूर्वोत्तर सीमा . . .	3,336	167	97	—
दक्षिण . . .	521	26	305	—
दक्षिण मध्य . .	580	7	34	—
दक्षिण पूर्व . . .	2,108	223	1,978	17
पश्चिम . . .	3,507	58	3,431	3
चि०रे०इ०का० . .	44	—	12	—
डी०रे०इ०का० . .	11	4	402	—
स०डि०का० . . .	24	3	127	—
जोड़ . . .	16,898	842	10,170	41

वर्मा आयल कम्पनी द्वारा गैस का ज़लाया जाना

33. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **पैट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बर्मा आयल कम्पनी अपनी मांगी गई दरों पर मुनाफ़ा न दिये जाने के कारण ऊर्जा गैस जला रही है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा राष्ट्रीय अपव्यय क्यों करने दिया गया है और इसे रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

पैट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख). आयल इण्डिया लि० द्वारा उत्पादित प्राकृतिक गैस की कुछ मामलों जिसमें बर्मा आयल कम्पनी लिमिटेड का 50 प्रतिशत भाग है, उनके द्वारा पहले विनिर्दिष्ट कुछ खरीद के सम्बध में उपभोक्ताओं द्वारा उसके उठाने में कमी होने की वजह से उड़ा दिया गया है । आयल इण्डिया लि० द्वारा उत्पादित गैस के उपभोक्ताओं की कुछ खरीद में सुधार होने की आशा की जाती है । इसके अतिरिक्त आयल इण्डिया द्वारा उत्पादित गैस से ईंधन गैस बनाने की परियोजना विचाराधीन है ।

पूर्वी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों में गैर-सरकारी तथा सरकारी लिमिटेड कम्पनियाँ

34. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में, राज्यवार कितनी सरकारी और गैर-सरकारी लिमिटेड कम्पनियां चल रही हैं, और

(ख) इन राज्यों में इस अवधि के दौरान कितनी कम्पनियां बन्द हुईं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) 1974–75 के वर्ष की समाप्ति पर, पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में से प्रत्येक में चल रही, प्राइवेट तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की संख्या निम्न प्रकार है :—

राज्य	कम्पनियों की संख्या		
	पब्लिक	प्राइवेट	योग
आसाम	97	499	596
बिहार	108	570	678
मेघालय	13	35	48
उड़ीसा	71	238	309
पश्चिमी बंगाल	2755	8211	10966
त्रिपुरा	2	9	11
मणिपुर	2	4	6
नागालैंड	2	9	11
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
मिजोरम	—	1	1
योग	3050	9576	12,626

(ख) पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में से प्रत्येक में उन कम्पनियों जिन्होंने 1974-75 के मध्य, या तो परिसमापित होकर, अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 (5) के अन्तर्गत उन्मूलित हो जाने पर, कार्य करना बंद कर दिया था, की संख्या निम्न प्रकार है :—

राज्य	कार्य बंद कर देने वाली कम्पनियों की संख्या		
	पब्लिक	प्राइवेट	योग
आसाम	—	—	—
बिहार	2	9	11
मेघालय	—	—	—
उड़ीसा	1	1	2
पश्चिमी बंगाल	6	44	50
त्रिपुरा	—	—	—
मणिपुर	1	—	1
नागालैण्ड	—	—	—
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
मिजोरम	—	—	—
योग	10	54	64

समाचारपत्र उद्योग द्वारा अर्जित लाभ

35. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, देश में समाचारपत्र-उद्योग ने वर्ष-वार कुल कितना लाभ अर्जित किया है ;

(ख) कितने समाचारपत्रों को गत वर्ष के दौरान लाभ हुआ है; और

(ग) इस अवधि के दौरान कितनी फर्मों को घाटा हुआ है ?

विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) :(क) कम्पनी-कार्य विभाग में 9 अंग्रेजी और 9 भारतीय भाषाओं के 18 प्रमुख समाचार-पत्रों जिनका कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पूंजीकृत बारह कम्पनियों द्वारा प्रकाशन एवं स्वामित्वीयन किया जा रहा है के अध्ययन के अनुसार पिछले तीन वर्षों की अवधि में, उनमें से कुछ के द्वारा हानियों की अनुमति के पश्चात् इन कम्पनियों का कर से पूर्व कुल लाभ निम्न प्रकार था :—

(लाख रु० में)

लेखा वर्ष	कर से पूर्व लाभ
1971–72	28.73
1972–73	404.68*
1973–74	247.30

* ब्यौरा 11 कम्पनियों से सम्बन्धित है ।

(ख) और (ग). गत वर्षों में अर्थात् 1973–74 में बारह कम्पनियों के अध्ययन करने पर, नौ कम्पनियों ने लाभ पंजीकृत कराया और तीन कम्पनियों ने हानि पंजीकृत कराई है।

आपात स्थिति के दौरान रेल कर्मचारियों की बर्खास्तगी तथा समय से पूर्व सेवा निवृत्ति के कारण

36. **श्री समर गुह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति की घोषणा के बाद कितने रेल कमचारियों को (i) बर्खास्त किया गया है और (ii) समय से पूर्व सेवानिवृत्त किया गया है; और

(ख) ऐसे कमचारियों की बड़े पैमाने पर बर्खास्तगी अथवा सेवा निवृत्ति के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

Construction work on Bagha Bridge over Gandak River

†37. **Shri Bibhuti Mishra:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the construction work of the Bagaha (Narainpur) bridge over river Gandak has been slowed down by the Railway administration;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Government have set a target date for the completion of the above work and opening it for railway traffic; and

(d) if so, Government's plan in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) and (b). Work on the construction of this project had to be slowed down due to non-availability of adequate funds. The U.P. State Government who are to bear the cost of the river training works for Gandak bridge have also not made the required funds available to the Railways.

(c) and (d). The tentative target date for the completion of work has been fixed as 1st April, 1979 which is however subject to revision depending upon the availability of funds.

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यटिकल्स लिमिटेड द्वारा बड़े पमाने पर फार्मुलेशनों का बनाया जाना तथा औषधियों के मूल्यों में कमी

38. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **रसायन और उर्वरक** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बड़े पैमाने पर फार्मुलेशनों को भी बनायेगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन फार्मुलेशनों से औषधियों का मूल्य काफी हद तक कम हो जायेगा?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख). आई डी पी एल अपने वर्तमान एककों की सूत्रयोग क्षमता का विस्तार कर रहे हैं और साथ ही हरियाणा में एक नया सूत्रयोग एकक स्थापित कर रहे हैं ताकि उनकी सूत्रयोग क्षमता को प्रपुंज औषध उत्पादन के 60 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सके। औषधों के मूल्य, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत नियत्रित किये गये हैं। तदनुसार आई डी पी एल के उत्पादों के मूल्य उपरोक्त आदेश में

दिए गए मान दण्डों के अनुसार निर्धारित किये जा रहे हैं। आई डी पी एल अपनी उत्पादन प्रक्रिया, में अधिकाधिक मितव्ययता बरतने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उनके मूल्य उचित स्तर पर बने रहें।

बाँसपानी जखापुरा रेलवे लाइन के निर्माण कार्य के लिये स्वीकृत धनराशि तथा उसे पूरा करने का लक्ष्य

39. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांसपानी-जखापुरा रेलवे लाइन पर आगे निर्माण कार्य करने की स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है ; और

(ग) इस रेलवे लाइन को पूरा करने का वर्तमान लक्ष्य क्या है।

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग): बांसपानी से जखापुरा तक रेलवे लाईन का निर्माण एक अनुमोदित कार्य है और 39 करोड़ की लागत वाले इस काम को 1974–75 के रेलवे बजट में शामिल कर लिया गया था। प्रस्ताव यह था कि यदि राज्य सरकार पूंजीगत लागत का 50 प्रतिशत भाग देने के लिए सहमत हो जाये तो इस परियोजना को शुरू कर दिया जाये। अभी तक राज्य सरकार की ओर से अपने हिस्से की लागत वहन करने की सहमति प्राप्त नहीं हुई है। बांसपानी से जोरुरी और जखापुरा से दैतारी तक के भाग के लिए अंतिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण पूरे हो चुके हैं और उनको रिपोर्ट मिल चुकी हैं। जोरुरी से दैतारी तक के भाग की सर्वेक्षण रिपोर्ट शीघ्र मिलने की सम्भावना है। इस समय इस परियोजना को अप्रैल 1980 तक पूरा करने का लक्ष्य बनाया गया है बशर्ते पर्याप्त धन उपलब्ध हो।

Measures to increase speed of trains

†40. **Dr. Laxminarain Pandeya:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether various measures are being considered to increase the speed of trains;

(b) if so, the extent to which their speed is proposed to be increased at present; and

(c) the time by which the trains will begin to run on increased speed?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) There is no proposal presently to increase the maximum permissible speed of trains.

(b) and (c). Do not arise.

मई, 1974 की हड़ताल में भाग लेने के कारण अस्थायी कर्मचारियों को "दैनिक मजूरी" पर ड्यूटी पर वापस लिया जाना

41. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्थाई कर्मचारियों को, जिन्होंने मई, 1974 की हड़ताल में भाग लिया था दैनिक मजदूरी पर ड्यूटी पर वापस लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार अब उनको पहले की स्थिति पर बहाल करने पर विचार कर रही है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख): कोई भी अस्थायी कर्मचारी जिसकी सेवा समाप्त कर दी गयी थी, दैनिक मजदूरी पर वापस नहीं लिया गया है । लेकिन, परियोजनाओं से भिन्न अन्य स्थानों पर काम कर रहे कुछ नैमित्तिक श्रमिकों ने जिन्हें निर्धारित अवधि तक निरन्तर काम करने से स्थायी स्थिति प्राप्त हो गयी थी, मई 1974 की हड़ताल के फलस्वरूप अपनी निरंतरता खो दी । सेवा भंग होने पर जब उन्हें पुन : काम पर लगाया गया तो नियमानुसार 120 दिन तक लगातार काम करने तक उन्हें दैनिक मजदूरी पर काम करना पड़ा ।

(ग) 120 दिन की निरंतर सेवा पूरी होने पर, वे पुन: अस्थायी स्थिति प्राप्त करेंगे ।

विदेशी तेल कम्पनियों को अपने अधिकार में लेना

42. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **पैट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी विदेशी तेल कम्पनियों को अपने अधिकार में लेने का अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

पैट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग). सरकार ने तेल उद्योग दोनों क्षेत्रों शोधन और अन्वेषण तथा उत्पादन पर प्रभावी नियन्त्रण प्राप्त करने की अपनी इच्छा घोषित की है । इस दिशा में प्रथम बार मार्च, 1974 में पहला कदम उठाया गया था जब कि सरकार ने भारत में एस्सो की परिसंपत्तियों और संचालन कार्य का अधिग्रहण कर लिया था । हाल ही में सरकार द्वारा बर्मा शैल रिफ़ाइनरीज लि० के 100% शैयर पूंजी की खरीद और बिक्री के लिए और बर्मा शैल आयल स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी आफ इण्डिया लि० के उत्तरदायित्व और भारतीय परिसम्पतियों को देने और स्थानान्तरण के लिए, बर्मा शैल के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे । कालटेक्स और असम आयल कम्पनी की परिसम्पतियों और संचालन अपने अधिकार में करने के लिए बात चीत चल रही है ।

बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटकों पर चेतावनी बोर्ड लगाना

43. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** :
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने बिना चौकीदार वाले रेलवे फ़ाटकों पर चेतावनी बोर्ड लगाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) (क) से (ग) मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सड़क यातायात की चेतावनी देने के उद्देश्य से समपारों के पहुंच

मार्गों पर सड़क चिन्हों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। केन्द्रीय जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और संघीय प्रशासनों से अनुरोध किया है कि (i) समपारों के पहुंच मार्गों पर सड़क चिन्हों की व्यवस्था के काम की अग्रता दे और उसमें भी बिना चौकीदार वाले समपारों को प्राथमिकता दी जाये और (ii) सड़क चिन्हों पर सबसे ऊपर "खतरा" शब्द लिखा जाये।

2. सुरक्षा के अतिरिक्त उपाय के रूप में, रेलें भी रेल परिसर में पड़ने वाले बिना चौकीदार वाले सभी समपारों पर रेले पथ के पहुंच मार्गों के दोनों और बोर्ड लगाने की व्यवस्था कर रही है जिन पर "रुको" शब्द लिखा रहता है। रेलवे परिसर में उपयुक्त स्थानों पर लगे इन "रुको" बोर्डों का आकार 675 मि० मी० (2'–3") × 525 मि० मी० (1'–9") का है और उन पर इंजन का चिन्हन बना है तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में खतरा और "रुको" शब्द लिखे हुए हैं।

माँग पूरी करने के लिये पैट्रोलियम का उत्पादन तथा आयात

44. श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्री रानेन सेन :
श्री पी० एम० सईद :

क्या **पैट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश की मांग पूरी करने के लिए पैट्रोलियम उत्पादों का आयात करना पड़ता है ; और

(ख) इन पैट्रोलियम उत्पादों का देश में कुल कितना उत्पादन होता है और गत तीन वर्षों में इन उत्पादों का कितना आयात किया गया है ?

पैट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जिन पैट्रोलियम उत्पादों की देश में कमी है उनकी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात किया जाता है। ये पदार्थ मुख्यतः मिट्टी तेल, हाई स्पीड डीजल आयल और भट्टी का तेल है इसके अतिरिक्त कुछ विशिष्ठ पदार्थ और ल्यूब की अल्प मात्राएं भी हैं। आगामी वर्षों में हमें उर्वरक संयंत्रों की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नेफ्था का भी आयात करना पड़ेगा।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इन उत्पादो का कुल आयात और कुल देशीय उत्पादन निम्न प्रकार है :—

वर्ष	उत्पादन	आयात
1973	13,828,000 मी० टन	3,735,000 मी० टन
1974	14,906,000 ,, ,,	2,949,000 ,, ,,
1975 (जनवरी से अक्तूबर)	13,373,000 ,, ,,	1,809,000 ,, ,,

प्रधान मंत्री के बीस सूत्रीय आर्थिक कायक्रम का पूरा किया जाना

45. **श्री नरसिंह नारायण पाँडेय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री के बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम को पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा की गई विभिन्न कार्यवाहियों का एक प्रतिवेदन सरकार सभा पटल पर रखेगी ; और

(ख) क्या रेलवे में रोजगार देने के प्रश्न पर भी विचार किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) एक रिपोर्ट संलग्न है । [ग्रंथालय में रखी । गयी देखिये संख्या एल. टी—9980/76]

(ख) इन मुद्दों में से एक मुद्दा प्रशिक्षु योजना के क्षेत्र का विस्तार करने के सम्बन्ध में है । संलग्न नोट में अन्य मुद्दों के साथ-साथ इस मुद्दे के सम्बन्ध में भी बताया गया है ।

वर्ष 1975 में रेल दुर्घटनायें

46. **श्री शशि भूषण :**
श्री रानेन सेन :
श्री डी० के० पंडा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न जोनल रेलों में वर्ष, 1975 के दौरान रेल दुर्घटनाओं के कारण कुल कितने व्यक्ति मारे गये और कितने घायल हुए ;

(ख) प्रत्येक मामले में दुर्घटना के कारण क्या थे ;

(ग) दुर्घटनाओं में मारे गये व्यक्तियों के परिवारों और घायल व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति के रूप में कितनी राशि दी गई ; और

(घ) क्षतिपूर्ति के कितने मामले अभी विचाराधीन हैं और उनको अन्तिम रूप से कब तक निपटाया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) भारत की सरकारी रेलों के विभिन्न क्षेत्रों पर 1-1-1975 से 30-11-1975 तक की अवधि में हुई रेल दुर्घटनाओं में 235 व्यक्ति मारे गये और 854 घायल हुए ।

(ख) इन दुर्घटनाओं के कारण निम्नलिखित हैं :—

(i)	रेल कर्मचारियों की गलती	522
(ii)	रेल कर्मचारियों से भिन्न अन्य व्यक्तियों की गलती	114
(iii)	उपस्करों की खराबी . . .	141
(iv)	आकस्मिकता	83
(v)	कारण का पता नहीं लग सका .	23
(vi)	तोड़ फोड़ . .	4
(vii)	कारण का अन्तिम निर्धारण नहीं हुआ .	42

(ग) 1-1-75 से 30-11-75 तक की अवधि में रेल दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को भारतीय रेल अधिनियम के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के रूप में अब तक 18,13,550·00 रुपये का भुगतान किया गया है। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति से सम्बन्धित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) इन दुर्घटनाओं से सम्बन्धित क्षतिपूर्ति के 155 दावे, न्यायालयों अथवा दावा आयुक्तों के पास अनिर्णीत हैं। अतः निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि न्यायालयों/दावा आयुक्तों द्वारा इन मामलों के निपटाने में कितना समय लगने की संभावना है ।

बर्मा शैल आयल कम्पनी को अपने अधिकार में लेना

47. **श्री एच० एन० मुखर्जी :**

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **पैट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बर्मा शैल आयल कम्पनी को अपने अधिकार में लेने का निर्णय किया हैं;

(ख) क्या सरकार ने बर्मा शैल को मुआवजा देने का निर्णय किया है ;

(ग) क्या बर्मा शैल ने भारत में अपनी वास्तविक प्रदत्त पूंजी से अधिक लाभ अर्जित किया है; और

(घ) यदि हां, तो मुआवजा देने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) से (ग)= जी हां ।

(घ) बर्मा शैल को अधिकार में लेने के लिए संसद के इस चालू सत्र में एक विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है । इस समय उसका कोई विवरण देना जनहित में उचित नहीं होगा ।

गोयन्का बन्धुओं और बिड़ला बन्धुओं के विरुद्ध कार्यवाही

48. **श्री एच० एन० मुखर्जी :**

श्री भान सिंह भौरा :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोयन्का बन्धुओं और बिड़ला बन्धुओं के विरुद्ध सरकारी कार्यवाही अभी आरम्भिक अवस्था में है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कितनी बिड़ला फर्मों तथा बिड़ला बन्धुओं की सहायक फर्मों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही कर रही है ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ): (क) तथा (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

तमिलनाडू तट पर तेल की खोज का प्रस्ताव

49. **श्री एम० कत्तामुत्तु :**

श्री सी० जनार्दनन :

क्या **पैट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का तमिलनाडू तट पर तेल की खोज करने का कोई विचार है ?

पैट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : जी हां, कावेरी अपतटवर्ती बेसिन में हेड्रोकारबन्स के अन्वेषण और उपयोग के लिए कनाडा के अमरा ग्रुप को हाल ही में एक ठेका दिया गया है। तमिलनाडू में भूमि पर कई गहरे कुओं की खुदाई की गई है परन्तु हेड्रोकारबन्स के वाणिज्य भंडार अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि अन्वेषण कार्य जारी है।

बर्माशैल और काल्टैक्स को अपने हाथ में लेने के लिये बातचीत

50. **श्री राम सहाय पाँडे :**
श्री राजा कुलकर्णी :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **पैट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में बर्मा शैल को अपने अधिकार में लेने के लिए उसकी विपणन एवं तेलशोधक कम्पनियों के साथ कोई समझौता किया है ;

(ख) क्या उस समझौते में बर्मा शैल के कर्मचारियों के रोजगार, सेवा शर्तें जारी रहने और उन्हें प्राप्त लाभ तथा सुविधाएं मिलते रहने की भी कोई व्यवस्था है ; और

(ग) क्या सरकार ने कालटैक्स (इंडिया) लिमिटेड को अपने अधिकार में लेने के लिए भी कोई बातचीत आरम्भ की है ?

पैट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां।

(ख) बर्मा शैल रिफाइनरी लि० एवं बर्मा शैल आयल स्टोरेज एण्ड डिस्ट्रिब्यूटिंग कम्पनी आफ इण्डिया लि० के वर्तमान अधिकारियों एवं उनमें कार्य कर रहे स्टाफ (अस्थाई रूप में समुद्रपार कार्यों में लगे हुए कर्मचारियों सहित) सेवा में कार्य करते रहेंगे अथवा वर्तमान शर्तों के अन्तर्गत कार्य कर रही सरकारी कम्पनी में, जैसी भी स्थिति हो, नियुक्त किये जायेंगे। सरकार अथवा सरकारी कम्पनी द्वारा उचित समय पर वेतनमान, तथा परिलब्धियां, तथा सेवा की शर्तों के बारे में निर्णय किया जायेगा ?

(ग) जी हां।

राज्यों में कानूनी सहायता तथा सलाहकार बोर्ड

51. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए कानूनी सहायता तथा सलाहकार बोर्डों की स्थापना की है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्य कौन-कौन से हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० बी० ए० सईद मुहम्मद) : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आसाम और अंकलेश्वर तेल क्षेत्रों से अशोधित तेल की प्राप्ति

52. **श्री सी० जनार्दनन**
श्री सरजू पाँडेय :

क्या **पैट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को आसाम और अंकलेश्वर तेल क्षेत्रों में अशोधित तेल कितनी मात्रा में प्राप्त होने की आशा है ?

पैट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय): 1-1-1975 तक तेल प्राकृतिक गैस आयोग ने आरम्भ में उपलब्ध होने वाले 94.92 मिलियन टन तेल के भण्डारों की खोज की थी। इन भण्डारों में से नवम्बर, 1975 के अन्त तक 60.20 मिलियन टन, जो कि आने वाले वर्षों में प्राप्ति किया जाना है, को छोड़ कर 34.72 मिलियन टन तेल का उत्पादन किया है ।

भारत में तेल सम्बन्धी खोज-कार्य में संलग्न विदेशी तेल कम्पनियाँ

53. श्री शंकर राव सावन्त : क्या **पैट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार से अनुमति लेकर भारत में तेल सम्बन्धी खोज-कार्य में सलग्न विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं ;

(ख) उन्हें कौन-कौन से क्षेत्र आवंटित किये गये हैं और वे कितनी अवधि के लिए आवंटित किये गये हैं ; और

(ग) उनमें से प्रत्येक कम्पनी ने कब काम शुरू किया अथवा उनके कब तक काम प्रारम्भ कर देने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग) वांछित सूचना नीचे दी जाती है :—

कम्पनी का नाम जिसने तेल अन्वेषण के लिये ठेका दिया	क्षेत्र जिसके लिये ठेका दिया गया	के की अवधि	समय जब कार्य आरम्भ किया गया
1	2	3	4
1. नोटोमाल इण्डिया इनसे के रूप में कार्य करने वाली कम्पनी की साथ यू० एस० ए० की कार्लास वर्ग इण्डिया ग्रुप ।	उड़ीसा के भाग और पश्चिमी बंगाल के देय बेसिन	27 साल	1974 अक्तूबर में भूभौतिकीय कार्य तथा 1975 में अन्वेषी खुदाई आरम्भ हुई । अन्वेषी खुदाई प्रगति पर है ।
2. रीडिंग और बेट्स तेल तथा गैस कम्पनी के रूप में कार्य करने वाली कम्पनी के साथ यू० एस० ए० की रीडिंग और बेट्स ग्रुप ।	कच्छ बेसिन	24 साल	अक्तूबर 1974 में भूभौतिकीय कार्य अक्तूबर, 1975 में अन्वेषी खुदाई आरम्भ हुई । अन्वेषी खुदाई प्रगति पर है
3. असामेरा आयल कार-पोरेशन लि० के रूप में कार्य करने वाली कम्पनी के साथ कनाडा की असामेंरा ग्रुप ।	कावेरी बेसिन	24 साल	जनवरी, 1976 में भूभौतिकीय कार्य आरम्भ होना है ।

कुवैत से पैट्रोलियम उत्पादों का आयात करने का करार

54. श्री सी० जनार्दनन :
श्री रानेन सेन :

क्या **पैट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुवैत से पैट्रोलियम उत्पादों का आयात करने का एक करार किया है; और

(ख) भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा करने में यह कहां तक सहायक होगा ?

पैट्रोलियम मंत्री (श्री० के० डी० मालवीय) : (क) और (ख). जी नहीं, दिसम्बर 1975 के दूसरे सप्ताह में कुवैत के तेल मंत्री के दौरे के समय की गई संधि में इस बात पर करार किया गया कि कुवैत से पट्रोलियम पदार्थों के क्रय के लिये दीर्घकालीन ठेकों पर वर्ष 1976 के प्रारम्भ से समझौता किया जाना चाहिए ।

अशोधित तेल की सप्लाई के लिए मिस्र के साथ करार

55. श्री राज राज सिंह देव :
श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :

क्या **पैट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत को अशोधित तेल की सप्लाई करने के लिए भारत और मिस्र के बीच हाल में ही किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ?

पेट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : 1976 के लिए व्यापार करार के अन्तर्गत जिस पर भारत एवं मिस्र ने हस्ताक्षर किये हैं, कच्चे तेल को उन मदों में से एक मद के रूप में पाया गया है जिन पर भारत द्वारा आयात करने के लिये विचार किया जा सकेगा ।

20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की क्रियान्विति

56. श्री एस० एम० सिद्धया : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री के 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की अब तक कहाँ तक क्रियान्विति हुई है ; और

(ख) क्या इसे प्रभावकारी ढंग से क्रियान्वित करने के मार्ग में कोई बाधाएं हैं ?

पेट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) और (ख) पेट्रोलियम मंत्रालय में 20 सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये उठाये गये कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) अनुशासन में सम्पूर्ण सुधार, स्वच्छता और समय की पाबन्दी ।

(ii) काम को निपटाने और बचे हुए काम को निकालने में सुधार, बहुत समय से निलम्बित मामलों की संख्या 377 से 38 रह गई है ।

(iii) अनावश्यक खर्च में मितव्ययिता, कार्योत्तर भत्ते में 60 प्रतिशत तक की कटौती की गयी है ।

(iv) जनता की शिकायतों को दूर करने में सुधार ।

(v) कच्चे तेल के देशीय स्रोतों के अन्वेषण और विकास प्रयासों में वृद्धि ।

(vi) जुलाई--नवम्बर, 1975 के दौरान 1974 की तदनुरूपी अवधि की तुलना में कच्चे तेल के उत्पादन में 2,93,000 मी० टन की वृद्धि ।

(vii) ग्रामीण क्षेत्र को आवश्यक कच्चे माल की उचित मूल्यों पर उपलब्धता में सुधार करने के लिये बहुउद्देश्यीय ग्रामीण विपणन केन्द्रों को खोलना । 31-12-197 तक ऐसे 80 केन्द्र चालू किये जा चुके हैं ।

(viii) दुकान और संयंत्र स्तर पर उद्योगों में कामगरों की भागीदारी की योजना लागू करना ।

(ix) सरकारी क्षेत्र उपक्रमों में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या में 522 तक की वृद्धि ।

(x) औद्योगिक लाइसेंसों के आवेदन पत्रों के निपटान में तेजी ।

(ख) जी नहीं ।

श्रेणी तीन और चार के पदों के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जाति के सदस्यों की कमी

57. **श्री एस० एम० सिद्दय्या** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने श्रेणी तीन और चार के पदों के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के सदस्यों की कमी मार्च, 1976 के अन्त तक पूरी करने के लिये एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो श्रेणी तीन और चार के लिए ऐसे कितने पद रिक्त थे; और

(ग) दिसम्बर, 1975 के अन्त तक ऐसे कितने रिक्त पदों को भरा गया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) जी हां ।

(ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

रेल पटरी के साथ साथ खाली भूमि का पट्टे पर आवंटन

58. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेल पटरी के साथ-साथ खाली भूमि के बड़े भूखण्डों को पट्टे पर आवंटित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित पट्टे की शर्तें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) स्टेशनों के बीच फालतू कृष्य भूमि को "अधिक अन्न उपजाओ" कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकारों को दे दिया जाता है और उनसे अनुरोध किया जाता है कि इस भूमि को लाइसेंस पर देते समय ऐसे भूमिहीन लोगों को तरजीह दी जाये जो स्वयं खेती करते हों और इसमें भी उच्चतम प्राथमिकता ऐसे नैमित्तिक श्रमिकों को दी जाये जिन्होंने रेलों पर कम से कम तीन वर्ष काम किया हो ।

जहां राज्य सरकारें रेलवे की फालतू भूमि को लेने से इन्कार कर देती हैं, वहां भूमि निकटवर्ती भूमि के मालिकों/कृषकों/कृषि स्नातकों अथवा किसी भी अन्य प्रार्थी को लाइसेंस पर दी जाती है। लेकिन स्टेशन यार्डों और रेलवे कालोनियों की फालतू रेलवे भूमि रेल कर्मचारियों/रेल कर्मचारियों की सहकारी कृषि समितियों को लाइसेंस पर दी जाती है ।

लाइसेंस, आमतौर पर एक समय में एक या दो वर्षों के लिए, उपयुक्त लायसेन्स, फीस लेकर दिये जाते हैं जिसका निर्धारण भूमि की उर्वरता, उस पर उगायी जाने वाली फसलों की संख्या, सिंचाई सुविधाओं की सुलभता आदि जैसे सम्बद्ध पहलुओं को ध्यान में रखकर किया जाता है । लायसेन्स फीस पेशगी ली जाती है और लायसेन्सधारियों को एक वर्ष की फीस जमानत के रूप में भी जमा करानी होती है।

कलकत्ता तथा दिल्ली के लिये भूमिगत रेलवे योजना

59. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपाँडे :**
श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता तथा दिल्ली के लिए भूमिगत रेलवे की सरकारी योजनायें धीमी प्रगति से चल रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख)

कलकत्ता : 1973 के उत्तरार्द्ध में आरम्भ किया गया कलकत्ता के लिए दमदम-टालीगंज द्रुत परिवहन लाइन का वास्तविक निर्माण कार्य जो कि साधनों की वर्तमान कठिन उपलब्धता में संतुलित वार्षिक परिव्यय पर निर्भर है, सामान्य रूप से चल रहा है ।

दिल्ली : दिल्ली के लिए, व्यापक रेलवे द्रुत परिवहन प्रणाली का तकनीकी-आर्थिक व्यावहारिकता अध्ययन पूरा हो चुका है और सड़क पर आधारित प्रणालियों के संभावित विकल्प के विपरीत प्रस्तावित योजनाओं पर सरकार द्वारा अभी भी विचार किया जाना है । इसके पश्चात ही साधनों की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए इस कार्य के अगले चरण अर्थात् प्राथमिकता गलियारों के विस्तृत अभिकल्पन तथा परियोजना पर सरकार निर्णय लेने की स्थिति में होगी ।

उड़ीसा राज्य में जखपुरा-बांसपानी रेल सम्पर्क का निर्माण

60. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में जखपुरा-बांसपानी रेल-सम्पर्क के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या सभी राज्य सरकारें ऐसे नए रेल-सम्पर्कों की निर्माण लागत के 50 प्रतिशत भाग का खर्च उठाने के लिए सहमत हो गई हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) निम्नलिखित खण्डों के लिए अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और रिपोर्टों को अन्तिम रूप दे दिया गया है :—

(1) बांसपानी-जोरूरी—लम्बाई 9.123 कि० मी०

(2) जखपुरा—दैतारी—लम्बाई" 33.049, "

शेष भाग का अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण पूरा होने वाला है । नयी लाइन

के निर्माण का काम हाथ में लेने से पहले अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण करना प्रथम अनिवार्य आवश्यकता है और वह इस लाइन के लिए भी उतनी ही शीघ्रता से किया गया है जितनी कि किसी अन्य परियोजना के लिए ।

(ख) नयी लाइनों के निर्माण में राज्य सरकारों की साझेदारी की प्रकृति भिन्न भिन्न परियोजनाओं के लिए भिन्न भिन्न होती है ।

फैंजाबाद-इलाहाबाद रेल लाइन को सुदृढ़ करना

61. श्री आर० के० सिन्हा : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फैंजाबाद तथा इलाहाबाद के बीच रेल लाइन को सुदृढ़ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव इस समय किस चरण में है और इन लाइन पर कार्य सम्भवत : कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

62. Shri B. R. Shukla: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether there is a road in the premises of Mihinpurwa Railway Station of North Eastern Railway, the repairs and maintenance of which is the responsibility of the Railway Department;

(b) whether any expenditure was incurred on the repairs or construction of this road in the past three years and if so, the amount thereof; and

(c) whether this road is in a dilapidated condition?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) Yes. (b) No. However, an amount of Rs. 40,800 was spent in 1972-73 for repair of this road.

(c) No.

लखनऊ और नेपालगंज रोड स्टेशन तथा गोंडा तथा बहराइच स्टेशनों के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों के प्रथम श्रेणी के डिब्बों में गद्दों की स्थिति

63. श्री बी० आर० शुक्ल : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे पर लखनऊ और नेपालगंज रोड रेलवे स्टेशनों और गोंडा तथा बहराइच स्टेशनों के बीच सीधे जाने वाले सवारी डिब्बों के साथ संलग्न प्रथम श्रेणी के डिब्बों में बिल्कुल फटे-पुराने और बेकार के गद्दे लगे हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे गद्दों के स्थान पर अच्छे गद्दे लगाने का है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) चोरी और तोड़-फोड़ की अत्यधिक घटनाओं के कारण पहले दर्जे के सवारी डिब्बों में गद्दियों की रैक्सीन फाड़ी जा रही थी । कुछ समय के लिए रैक्सीन आदि उपलब्ध न हो पाने के कारण, अस्थायी तौर पर, जूट के कवर वाली दूसरी गद्दियां लगायी गयी थीं लेकिन अब उन्हें उपयुक्त कवर लगा कर बदल दिया गया है ।

आसाम तथा अन्य स्थानों में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा खुदाई कार्य

64. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के खुदाई कार्य के परिणामस्वरूप आसाम के सिबसागर जिले में सरुपांथार के निकट हाल ही में अशोधित तेल मिला है ; और

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने गत तीन वर्षों में कितने स्थानों पर खुदाई कार्य किया है और उसका क्या परिणाम निकला है खुदाई कार्यों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में कुल कितनी धनराशि खर्च की है ?

पेट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी नहीं, ओ० एन० जी० सी इस समय नाग्रोजान-सारुपठार क्षेत्र में भूकम्पीय सर्वेक्षण कार्य कर रहा है । वहाँ पर अभी तक कोई व्यधन कार्य नहीं किया गया है ।

(ख) वर्ष 1972–73, 1973–74 और 1974–75 की अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

(लाख रुपयों में)

राज्य	जिन स्थानों पर व्यधन कार्य जारी था /चालू हुआ, उनकी संख्या	पूरा किए गए कुओं की संख्या	किया गया खर्च
भूमि पर			
गुजरात .	44	161	4224.51
आसाम . .	10	55	2857.38
त्रिपुरा . . .	1	1	313.09
प० बंगाल . . .	—	—	33.42
तमिलनाडू और पोंडीचेरी .	4	3	240.80
राजस्थान . .	1	—	229.79
जम्मू और काश्मीर . .	1	1	174.56
अपतटीय			
बम्बई हाई क्षेत्र .	2	4	1482.84
कुल . .	63	225	9556.39

व्यधन/उत्पादन जांच कार्यों के परिणामस्वरूप गुजरात में लिंच, अस्जोल सनउ खर्ड और सिसवा, आसाम में चेराली, त्रिपुरा में वारापुरा और अपतटीय क्षेत्र बम्बई हाई (मुख्य) में तेल/गैस पाया गया ।

अशोधित तेल का उत्पादन

65. श्री सरोज मुखर्जी : क्या पेट्रोलियम मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 के दौरान भारत में अशोधित तेल के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई;

(ख) (i) भारत में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के आसाम तथा गुजरात के तेल क्षेत्रों में देशी अशोधित तेल के कुल वार्षिक उत्पादन की प्रतिशतता;

(ii) आयल इण्डियन के संयुक्त क्षेत्र के एकक में इसी की प्रतिशतता क्या है ; और

(ग) इस समय भारत में सभी सरकारी और संयुक्त क्षेत्र के एककों की अशोधित तेल के उत्पादन की वार्षिक क्षमता क्या है और भारत में प्रति वर्ष तेल की औसतन कितनी आवश्यकता है ?

पेट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) लगभग 7,60,000 मी० टन

(ख) (i) 61.8 प्रतिशत

(ii) 37.4 प्रतिशत

1975 के दौरान आयल इंडिया लि० द्वारा 3.08 मिलियन मी० टन कच्चे तेल का उत्पादन किया गया और 1976 के लिए भी 3.08 मिलियन मी० टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग 1975–76 के दौरान 6.32 मिलियन मी० टन के उत्पादन की आशा करता है । शोधन शालाओं में 1975–76 के दौरान लगभग 22.15 मिलियन मी० टन और 1976–77 के दौरान लगभग 24 मिलियन मी०टन कच्चे तेल के साफ किये जाने की आशा है ।

आपात स्थिति की घोषणा के बाद रेलवे में डकैतियों की घटनाओं में कमी

66. श्री सरोज मुखर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात-स्थिति की घोषणा के बाद रेलवे में डकैतियों की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो 26 जून, 1975 से लेकर अब तक कितनी ऐसी घटनायें हुई हैं और इससे तीन मास पूर्व की अवधि में हुई घटनाओं की तुलना में यह संख्या कितनी न्यूनाधिक है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). रेलों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलगाड़ियों में डकैतियाँ तथा चोरियाँ

67. श्री सरोज मुखर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत छः महीनों के दौरान रेलगाड़ियों में प्रतिमास तथा जोन-वार डकैतियों, छीन-झपट तथा चोरियों की कितनी घटनायें हुई ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : रेलों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

न्यू बोंगाईगाँव गौहाटी लाइन का बड़ी लाइन में बदला जाना

68. **श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी:** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यू बोंगाईगांव से गौहाटी तक की लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने सम्बन्धी परियोजना में अब कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) उक्त परियोजना लगभग कितनी अवधि में पूरी हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ख). न्यू बोंगाईगांव–गौहाटी आमान परिवर्तन परियोजना के रंगिया से गौहाटी तक के खंड के लिए अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और अनुमानों को मंजूर किया जा चुका है ।

न्यू बोंगाईगांव से रंगिया तक के बकाया भाग के लिए अन्तिम मार्गनिर्धारण सर्वेक्षण चालू है, यदि समय पर यथेष्ठ निधि उपलब्ध हो गयी तो इस परियोजना की संभवतः लगभग पांच वर्ष की अवधि में पूरा किया जायेगा ।

मेघालय को रेल मार्ग से जोड़ना

69. **श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने मेघालय को रेल मार्ग से जोड़ने के लिए कोई परियोजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). निम्नलिखित लाइनों के लिए, जो मेघालय में से गुजरेंगी, सर्वेक्षण किये गये हैं और इनकी प्रमुख रूपरेखा इस प्रकार है :—

(i) पंचरत्न -दूधनाई–दारांगिरी
लम्बाई—110 कि० मी०

सर्वेक्षण पूरा हो चका है और रिपोर्ट तैयार की जा रही है । इसमें ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर पुल बनाने या जोगीधोपा और पंचरत्नघाट के बीच फैरी सेवा की व्यवस्था करने का काम भी शामिल है ।

(ii) गुवाहाटी—बर्नीहाट
लम्बाई—30 कि० मी०
सर्वेक्षण पूरा हो गया है और रिपोर्ट तैयार की जा रही है ।

विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिक्त स्थान

70. **श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न उच्च न्यायालयों की बैंचों में राज्यवार इस समय कितने स्थान रिक्त पड़े हैं ;

(ख) इन रिक्त स्थानों को भरने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन रिक्त स्थानों को अनुमानतः कितने समय के भीतर भरने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): (क) तारीख 5-1-76 तक विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिक्त स्थानों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग). उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव प्रारम्भ में राज्य प्राधिकारियों द्वारा भेजे जाते हैं। कतिपय उच्च न्यायालयों में रिक्त स्थानों को भरने के लिए प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। यह बताना संभव नहीं है कि किस तारीख तक रिक्त स्थानों के भरे जाने की संभावना है ।

विवरण

क्र० सं०	उच्च न्यायालय का नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	
		स्थायी न्यायाधीश	अपर न्यायाधीश
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	इलाहाबाद	4	7
2.	आन्ध्र प्रदेश	1	—
3.	मुम्बई	—	4
4.	कलकत्ता	2	4
5.	दिल्ली	3	—
6.	गौहाटी	2	—
7.	गुजरात	—	3
8.	जम्मू-कश्मीर	1	—
9.	कर्नाटक	—	2
10.	मध्य प्रदेश	1	2
11.	मद्रास	2	4
12.	पटना	—	5
13.	पंजाब और हरियाणा	1	3
14.	राजस्थान	4	1

Value of property pilfered in the Railways

71. Shri M. C. Daga: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the value of property pilfered in the Railways during 1974 and the value of the property out of that which belonged to the Railways and of that which belonged to the public;

(b) the amount of compensation paid by the Railways as a result thereof during that period; and

(c) the value of goods pilfered since 1st January, 1975 till date and the amount of compensation Railways had to pay as a result thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) and (b). The value of Railway materials stolen/pilfered during 1974 was about Rs. 69 lakhs. The amount of compensation paid by the Railways for pilferage of booked consignments during 1974 was Rs. 6.37 crores.

(c) The value of Railway material stolen/pilfered during the period January to October 31, 1975 was about Rs. 57 lakhs. The amount of compensation paid for pilferage of booked consignments during the same period was Rs. 5.09 crores.

Proposal to cover platforms of Luni Junction (Jodhpur Division)

72. Shri M. C Daga: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether none of the platforms on Luni Junction on Jodhpur Division is covered;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Government are aware that the passengers coming from Barmer and Marwar Junction have to sit in platforms without shelters during the rains and cold; and

(d) if so, the time by which Government propose to cover these platforms for the facility of the passengers?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) to (c). At present no cover is provided on the platforms at Luni Junction. The station building situated between the two platforms is however, provided with covered verandahs measuring 140 ft. x 10 ft. on both sides which are used by the waiting passengers.

(d) The work of provision of cover over the platforms at this station will be considered for inclusion in the future years works programmes subject to availability of funds and approval by the Railway Users' Amenities Committee.

Manufacture of antibiotics by the Hindustan Antibiotics

73. Dr. Laxminarayan Pandeya: Will the Minister of **Chemicals and Fertilisers** be pleased to state:

(a) the names of the antibiotics being manufactured in the Hindustan Antibiotics;

(b) the annual production capacity in respect of each of them; and

(c) the amount of profit earned by this factory during last two years?

The Minister of Chemicals and Fertilizers (Shri P. C. Sethi): (a) and (b). The antibiotics being manufactured by HAL and their annual production capacity is

as under:—

Antibiotics	Annual Production capacity
Penicillin	84 MMU
Streptomycin Sulphate	80—90 tonnes
Ampicillin	5 tonnes
Hamycin	250 Kgs.
Neomycin Sulphate	500 Kgs.

(c) The profit/loss made by the company during the last three years was as under:—

Year	Profit (+) Loss (—)	(Rs. Lakhs)
1972-73	(+)	5.83
1973-74	(—)	148.21
1974-75	(—)	327.96

Economy in expenditure on petroleum

74. Shri M. C. Daga: Will the Minister of **Petroleum** be pleased to state:

(a) whether orders were issued by Government to all the departments for effecting economy in the expenditure on petrolum from time to time; and

(b) whether these orders were executed?

The Minister of Petroleum (Shri K. D. Malaviya): (a) Yes, Sir. The Ministry of Finance (Department of Expenditure) have issued instructions regarding economy in administrative and non-plan expenditure of Government, including travelling allowance and contingencies. These instructions cover expenditure on petrol also.

(b) Utmost economy is being exercised in the expenditure on petroleum in this Ministry.

Persons apprehended on the charge of committing theft in various Railways

75. Dr. Laxminarayan Pandeya: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether persons apprehended during the last one year on charge of committing thefts in various railways include employees of the Railway Protection Force;

(b) the action taken against them; and

(c) the total property stolen during the last one year which has since been recovered?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) Yes.

(b) They were prosecuted or punished departmentally according to the evidence available in each case. Some of them were detained under MISA.

(c)

	Value of property stolen during the last one year i.e. Nov. 74 to Oct. '75	Value of property recovered under RP (UP) Act and other Acts during the last one year i.e. Nov. '74 to Oct. '75.
(a) Booked consignments	3,52,83,187	30,46,142
(b) Railway materials	69,37,460	45,86,875
Total:	4,22,20,647	76,33,017

आपात स्थिति के दौरान रेलवे की आय में वृद्धि

76. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति की अवधि के दौरान कमियां दूर किये जाने के कारण रेलवे की आय में भारी वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो आपात स्थिति से पहले के चार महीनों की तुलना में गत चार महीनों में कितनी आय हुई ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) आमदनी में वृद्धि हुई है सिवाय यात्री यातायात के, जिसमें गर्मियों की भीड़-भाड़, विवाह के मौसम जैसे कारणों से होने वाली सामयिक घटा-बढ़ी के कारण कमी हुई है ।

एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

	1 मार्च, 1975 से 30-6-75 तक	1 जुलाई, 1975 से 31 अक्तूबर, 1975 तक	कमी–बेशी
(1) बिना टिकट या गलत टिकटों पर यात्रा करते हुए पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या	6.50 लाख	8.81 लाख	+2.31 लाख
(2) रेलवे की देय राशि की वसूली की रकम	94.85 लाख रु०	117.5 लाख रु०	+22.20 लाख रुपये
(3) बिना बुक किये सामान ले जाने के पकड़े गये मामलों की संख्या	3.90 लाख	5.25 लाख	1.35 लाख
(4) बिना बुक किये गये सामान के लिए वसूल की गई रकम	31.04 लाख रु०	43.64 लाख रु०	+12.60 लाख पये
(5) उन व्यक्तियों की संख्या जिन पर मुकदमा चलाया गया	0.66 लाख	1.20 लाख	+0.54 लाख
(6) अदालत द्वारा किये गये जुर्माने की वसूली की रकम	6.18 लाख रु०	14.57 लाख रु०	+8.39 लाख

Re-instatement of Railway employees for participation in last Railway Strike

†77. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether there are still such employees who were dismissed, removed from service, suspended or with a break in service due to their participation in May '74 strike;

(b) if so, the Railway-wise number of such employees;

(c) the number of the Railway employees who have been removed from Railway service following the judgement by the Courts and the names of the respective Railways in which they were working; and

(d) how do Government propose to deal with cases of such Railway employees?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) Yes.

(b) A statement is attached. (Placed in Library. *See* LT: No: 9981/76),

(c) and (d). All the 936 employees who were removed following Court's judgments have been reinstated in service.

Implementation of recommendation of the Hathi Committee

78. **Shri Ramavatar Shastri:**
Shri C. K. Chandrappan:
Shri Jyotirmoy Bosu:

Will the Minister of **Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) whether the Hathi Committee had suggested for the nationalisation of the foreign pharmaceutical firms; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of Chemicals and Fertilizers (Shri P. C. Sethi): (a) and (b). The recommendations of the Committee on Drugs and Pharmaceutical Industry regarding takeover of multinational firms and on dilution of foreign equity are as follows:—

"(8) A. The Committee recommended by a majority view that the multinational firms should be taken over forthwith.

(9) The Committee recommends that having regard to the present stage of development of the drug industry for the purpose of FERA guidelines, this industry should not be eligible for the preferential treatment given to items specified in Appendix I of the Industrial Licensing policy of 1973. Foreign undertakings operating in this country should be directed to bring down their equity to 40 per cent forthwith and further reduce it progressively to 26 per cent. This, however, is without prejudice to other concessions to which they are eligible as a result of the Industry being in Appendix—I of the Industrial Licensing Policy of 1973. The Committee would further recommend that dilution of foreign equity should not take the form of dispersed holdings of the shares by large number of Indian nationals. It would be desirable for Government to purchase these shares either by public sector undertakings which are directly or indirectly connected with the manufacture of drugs/chemicals, or by public financial institutions or by Government itself."

These recommendations will be examined in the context of overall national policy.

Cancellation of trains due to irregular supply of power and coal

79. Shri Ramavatar Shastri: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether a number of trains stand cancelled in various parts of the country due to irregular supply of power and coal; and

(b) the action taken by Government to improve the situation and the result thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) No.

(b) Does not arise.

Elections to Gujarat Legislative Assembly

80. Shri Ramavatar Shastri: Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the names of political parties that took part in the election to the Gujarat Legislative Assembly;

(b) the number of candidates fielded by various political parties and independent candidates, separately;

(c) the total number of candidates, together with party-wise break-up, whose security deposits were forfeited; and

(d) the expenditure incurred by Government on conducting the elections and the amount accrued to Government by way of forfeiture of the securities?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Dr. V. A. Seyid Muhammad): (a), (b) and (c). A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House. (Placed in Library. *See* LT-No. 9982/76).

(d) The total amount of expenditure incurred by the Government on the conduct of the general elections to the Gujarat Legislative Assembly in 1975 is Rs. 1,27,31,913. The total amount which has accrued to Government as a result of forfeiture of security deposits of candidates in the said elections is Rs. 99.375.

समस्तीपुर से दरभंगा होकर नरकटियागंज तक बड़ी लाइन का विस्तार

81. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि समस्तीपुर से दरभंगा और सीतामढ़ी होकर नरकटियागंज तक बड़ी लाइन का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : समस्तीपुर-दरभंगा मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने का काम एक अनुमोदित निर्माण-कार्य है । संशोधित अनुमान तैयार करने के लिए अन्तिम स्थान-निर्धारण इंजीनियरी सर्वेक्षण किया जा रहा है । अनुमान प्राप्त हो जाने और उस पर विचार कर लेने के बाद निर्माण-कार्य शुरू किया जायेगा । दरभंगा से आगे सीतामढ़ी और रक्सौल तक का आमान परिवर्तन का काम, या विकल्प स्वरूप मुजफ्फरपुर-रक्सौल के रास्ते तथा नरकटियागंज तक इसके संभावित विस्तार के प्रश्न पर तभी विचार किया जा सकेगा जब समस्तीपुर-दरभंगा मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के काम में काफी प्रगति हो जायेगी ।

गत रेल हड़ताल में वफादार रहने वाले कर्मचारियों के बच्चों को रोजगार

82. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत रेल हड़ताल में वफादार रहने वाले बहुत से कर्मचारियों के बच्चों को रोजगार के अवसर प्रदान नहीं किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) रिक्तियों की संख्या सीमित होने के कारण सभी निष्ठावान कर्मचारियों के बच्चों को नौकरी देना संभव नहीं हो पाया। जिन कर्मचारियों के बच्चों को नौकरी नहीं दी जा सकी उन्हें अग्रिम वेतन वृद्धि, नकद पुरस्कार, सेवा-काल में वृद्धि जैसे अन्य लाभ दिये गये हैं ।

मिट्टी के तेल के मूल्य में राहत देने के लिये कार्यवाही

83. **श्री वसन्त साठे :** क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों ने उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से मिट्टी के तेल पर बिक्री कर, परिवहन शुल्क और व्यापारियों के कमीशन के बारे में पुनर्विलोकन करने के लिये कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों द्वारा किये जाने वाले पुनर्विलोकन की मुख्य बातें क्या है ;

(ग) राज्य सरकारों की इस प्रस्ताव पर अब तक प्राप्त प्रतिक्रिया क्या है ; और

(घ) उपभोक्ताओं को मिट्टी के तेल के मूल्य में कुछ राहत देने के लिए आगे क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग) मिट्टी के तेल के मूलभूत अधिकतम बिक्री मूल्यों में 12 पैसे प्रति लिटर की अपरिहार्य वृद्धि के कारण राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से वितरण और परिवहन लागतों और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा थोक और फुटकर विक्रेताओं को दी गई लाभ की गुंजाइश का पुनरीक्षण कर ग्रामीण और अर्धशहरी इलाकों में विशेष रूप से वितरण प्रबन्धों को सुव्यवस्थित करने का अनुरोध यह देखने के लिए किया गया है कि जो वृद्धि हुई है उसे 12 पैसे प्रति लिटर से कम किया जा सकना सम्भव होगा। । अधिकांश राज्य सरकारों से अभी उत्तरों की प्रतीक्षा है ।

(ङ) एक नया चूल्हा शुरू करने का प्रस्ताव है जिसमें मिट्टी के तेल का कम खर्च होगा और उसका ताप वैसा ही रहेगा। बहुउद्देशीय ग्रामीण वितरण केन्द्रों की मार्फत अनिवार्य वस्तुओं (जिसमें मिट्टी का तेल शामिल है) के वितरण की योजना आरम्भ की जा रही है। यह भी प्रस्ताव है कि उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए इसका खुब प्रचार किया जाए कि एक मानक बोतल में केवल 750 मिलि० मिट्टी का तेल आता है ताकि वे लोग उसके उचित मुल्य दें ।

हिन्दुस्तान एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड द्वारा कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन

84. **श्री सरजू पाँडे :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड ने कम्पनी कानूनों का उल्लंघन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) तथा (ख). यह परिकल्पना की जाती है कि माननीय सदस्य हिन्दुस्तान एल्यूमीनियम कारपोरेशन लिमिटेड को संदर्भित कर रहे हैं। इस कम्पनी के कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(4) के अन्तर्गत लेखा बहियों तथा अन्य दस्तावेजों के निरीक्षण से प्रथम दृश्या कथित अधिनियम की धारा 314 के उपबन्धों जिसमें एक निदेशक को कर्मचारी के रूप में पहिले की गई सेवाओं हेतु पैंशन की अदायगी से उत्पन्न, उल्लंघन प्रगट हुआ ।

दक्षिण रेलवे, गोल्डन राक के कर्मचारियों के क्वार्टरों के किराये में वृद्धि किया जाना

85. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को क्वाटरों के किराये में अनुचित वृद्धि किये जाने के बारे में दक्षिण रेलवे, गोल्डन राक के कर्मचारियों से एक संयुक्त अपील प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त क्वार्टर 50 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो किराये में वृद्धि करने के क्या कारण हैं

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) अभ्यावेदन में जिन 140 क्वार्टरों का उल्लेख किया गया है । उनका निर्माण 1924 से 1941 तक अलग-अलग वर्षों में हुआ था ।

(ग) किराये में वृद्धि किये जाने का कारण यह है कि 1972 में इन क्वार्टरों में सुधार किया गया था जिसके फलस्वरूप छतदार वरांडे की व्यवस्था करने से इन क्वार्टरों के छतदार क्षेत्रफल में वृद्धि हो गयी है ।

कृष्णा-पुल

86. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि कृष्णा पुल के लिए छिप्पी उतारने (चिपिंग) तथा रेंग करने के रेलवे के काम को ठेका-श्रम के अधीन अन्तरित कर दिया गया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई कार्रवाई करने का है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). गर्डर के पुलों में पेंटिग का काम एक सामयिक कार्य है और इस प्रकार का पेंटिग का काम बरसात या खराब मौसम में नहीं हो सकता। बिगत में जब काम न होने के कारण इस प्रकार के विभागीय सामयिक श्रमिकों को नौकरी से हटाया गया तो श्रमिक आंदोलन उठ खड़े हुए थे । अतः पेंटिंग का काम ठेकेदारों को देना पड़ा । गर्डर के पुलों के इस्पात में चिप्पी लगाने और उस पर पेंट करने जैसे सामयिक कार्य को ठेका श्रमिकों से करवाने के संबंध में ठेका श्रमिक (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 में विशिष्ट रूप से कोई मनाही नहीं है ।

इस विषय पर माननीय सदस्य से प्राप्त अभ्यावेदन का तदनुसार उत्तर दे दिया गया था ।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स द्वारा मैथाइल डोपा का विक्रय

87. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स द्वारा मैथाइल डोपा उस विदेशी कम्पनी से भी कम मूल्य पर बेचा जा रहा है जो कभी इस औषधि की एक मात्र उत्पादक थी ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी): केवल वर्तमान आई. डी. पी. एल. मैथाइल डोपा गोलियों का 250 मिलीग्राम की क्षमता से विक्रय कर रही है । इस क्षमता पर बी. आई. सी. पी. ने आई. डी. पी. एल. के लिए प्रति 100 गोलियों का 61.33 रुपये मूल्य निर्धारित किया है परन्तु उन्होंने अपनी इच्छा से मूल्य कम किया और मैसर्स शार्प और डोहगे लि०, जो कि इन गोलियों के पहले एकमात्र उत्पादक थे, 250 मिलीग्राम की प्रति 100 गोलियों की क्षमता 53. 67 रुपये की कीमत की अपेक्षा प्रति 100 गोलियों को 53 पये में बेच रहे हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा उर्वरक उत्पादन हेतु ऋण की स्वीकृति

88. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण उर्वरक उत्पादन के लिये 1050 लाख डालर का ऋण देने पर सहमत हो गया ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या इस धन से विद्यमान संयंत्रों को क्षमता के पूर्ण उपयोग का प्रयास किया जायेगा ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग). जी हां, इस ऋण सहायता को मुख्य रूप से सरकारी और गर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में वर्तमान उर्वरक एककों के प्रचालन में सुधार करने के लिये प्रयोग किये जाने का प्रस्ताव है । उर्वरक संयंत्रों के संचालन में सुधार करने के लिये अपेक्षित तुलनकारी उपकरणों के अतिरिक्त स ऋण का उपयोग निम्नलिखित पर भी किया जायेगा :—

(i) कैप्टिव पावर प्रजनन उपकरण की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिये संबद्ध सुविधाओं का विकास; और

(ii) अधिक उत्पादन नियंत्रण के लिये रूपांकित योजनाएं, जैसे फोस्फेटिक फर्टिलाइजर संयंत्रों में फ्लोराइन की वसूली और उर्वरक संयंत्रों से संबद्ध सोडा ऐस और आर्गोन जैसे मदों का उत्पादन ।

उड़ीसा तट पर तट दूर खुदाई

89. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा तट पर तटदूर खुदाई से तेल का पता लगा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख). बंगाल की खाड़ी में, पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी तट और उड़ीसा के पूर्वी तट में एक-एक कुएं का व्यधन किया जा रहा है। कुओं के पूरे होने तथा परिषण किये जाने के पश्चात् ही परिणामों का पता चलेगा ।

अमृतसर स्थित रेलवे वर्कशाप में रेलवे वैगनों का उत्पादन

90. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1974-75 में अमृतसर स्थित रेलवे वर्कशाप में कोई रेलवे वैगन बनाया गया है; और

(ख) क्या इस रेलवे वर्कशाप के आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) अमृतसर स्थित रेल कारखाने में 1974-75 में चौपहियों के हिसाब से 725.5 माल डिब्बों का उत्पादन किया गया।

(ख) जी नहीं।

स्वदेशी फास्फेटिक उर्वरकों के मूल्यों में कमी

91. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों के मूल्यों में कोई कमी की है ; और

(ख) क्या स्वदेशी फास्फेटिक उर्वरकों के उत्पादकों ने भी अपने मूल्यों में कमी की है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) यूरिया और कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट के मूल्यों को, जिन्हें उर्वरक नियन्त्रण आदेश के अन्तर्गत नियन्त्रित किया जाता है, दिनांक 18 जूलाई, 1975 से निम्न प्रकार कम कर दिया गया था :—

(आंकड़े रुपयों में)

	मूल फुटकर मूल्य	दिनांक 18-7-75 से कम किए गए फुटकर मूल्य प्रति टन
यूरिया . .	2000	1850
कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट . .	1095	1015

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय पूल की मार्फत बिक्री किए गए कुछ कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के मूल्यों में संशोधन किया गया था जैसाकि विवरण पत्र I* में दिया है केन्द्रीय पूल की मार्फत बिक्री किए गए कुछ कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के मूल्यों में पहली दिसम्बर, 1975 से और कमी की गई थी जैसा कि विवरण पत्र II* में दिया है।

(ख) केन्द्रीय पूल की मार्फत बिक्री किये गये कम्प्लेक्स फर्टिलाइजरों में 18 जलाई, 1975 से की गई कमी को ध्यान में रखते हुए, फोस्फेटिक फर्टिलाइजर के देशीय निर्माताओं ने अपने उत्पादों के मूल्यों में उचित कमी की। फास्फोरिक एसिड पर आयात शुल्क में 1-12-75 से 30 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक कमी करने के फलस्वरूप, एस० एफ० एल०, जुभरी एग्रोकैमिकल्स और आई० एफ० एफ०सी० ओ०, जिसकी सुविधायें आयातित फोस्फोरिक एसिड पर निर्भर है, ने अपने उत्पादों के मूल्यों में और कमी की। देशीय निर्माताओं द्वारा जुलाई, 1975 और दिसम्बर, 1975 के मूल्यों में की गई कमी विवरण पत्र III* में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या—एल० टी० 9983/76]।

इण्डियन मशीनरी कम्पनी लिमिटेड के साथ धोखाधड़ी करने की कथित आपराधिक षड़यन्त्र

92. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में हावड़ा स्थित सरकारी प्रबन्धाधीन इंडियन मशीनरी कम्पनी लिमिटेड के तीन कर्मचारियों ने कतिपय कच्ची सामग्री के सम्बन्ध में कम्पनी के साथ धोखाधड़ी करने का षड़यंत्र किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त जांच के क्या निष्कर्ष निकले और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

मंगलौर तथा क्विलोन के बीच तीव्रगामी रेलगाड़ी चलाने का सुझाव

93. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मंगलौर से क्विलोन तक एक तीव्रगामी रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : जी नहीं।

एरणाकुलम-एलेप्पी रेल लाइन के लिये सर्वेक्षण

94. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया :**
श्री पी० एम० सईद : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में एलेप्पी और एरणाकुलम को जोड़ने वाली रेल लाइन की व्यवहार्यता के सर्वेक्षण में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या इस प्रस्ताव पर अनावश्यक रूप से विलम्ब किया जा रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) अब तक इस सर्वेक्षण की समग्र वास्तविक प्रगति 40 प्रतिशत हुई है ।

(ख) सर्वेक्षण समय-अनुसूची के अनुसार प्रगतिशील है और इसके इस वर्ष के मई महीने तक पूरे किये जाने की संभावना है।

केरल में कुट्टीपुरम-कुरुवयूर रेल लाइन का सर्वेक्षण-कार्य पूरा होना

95. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केरल में कुट्टीपुरम-गुरुवायर रेलवे का सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : कुरुवयूर के रास्ते कुट्टीपुरम से त्रिचूर तक प्रस्तावित रेलवे लाइन के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण किये जा रहे हैं और इनके शीघ्र ही पूरे किये जाने की आशा है।

1973-74 और 1974-75 में रेल वैगनों का उत्पादन और उनका उपयोग

96. **श्री पी० गंगादेव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74 और 1974–75 में कितने रेल वैगनों का उत्पादन हुआ ; और

(ख) उपरोक्त वर्षों में कितने रेल वैगन प्रयोग में लाये गये ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 1973-74 और 1974-75 में निम्नलिखित मालडिब्बों का उत्पादन हुआ :

वर्ष	उत्पादन किये गये माल डिब्बे (चौपहियों के हिसाब से)
1973-74	12198
1974-75	10958

(ख) उपर्युक्त सभी मालडिब्बों को उत्पादन के बाद उपयोग में लाया गया।

आपातकाल की घोषणा के बाद बिना टिकट यात्रा

97. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आपातकाल की घोषणा के बाद रेलों में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में कोई उल्लेखनीय कमी हुई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : आपातकाल की घोषणा के बाद रेलों पर टिकट जांच अभियान तेज कर दिया गया है। 1-7-75 से 30-11-75 तक की अवधि में इन जांचों के परिणामस्वरूप 10,67,786 व्यक्ति बिना टिकट अथवा गलत टिकटों पर यात्रा करते पकड़े गये और उनसे रेलवे को देय राशि के रूप में 1,42,49,307 रुपये वसूल किये गये जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 7,48,298 व्यक्ति पकड़े गये थे और फलस्वरूप उनसे रेलों को देय राशि के रूप में 1,02,03,076 पये वसूल हुए थे ।

यूनियन कार्बाइड कम्पनी

98. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनियन कार्बाइड कम्पनी, जो एक बहुराष्ट्रीय निगम है, के कार्यकरण और इसकी शेयर पूंजी के वितरण को हाल ही में कोई जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) मै० यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कार्य कलापों की जांच के लिये, कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अन्तर्गत कोई आदेश नहीं दिये गये हैं।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

Corruption in Reservation

99. Shri Mulki Raj Saini: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether corruption is rampant in the Railway departments in getting reservation in First Class and two-tier and three-tier sleepers in II class compartments;

(b) the scheme formulated by Government to put an end to this;

(c) the number of railway employees who were detected for corruption in the reservation of railway sleepers since the proclamation of emergency; and

(d) the number of employees out of them retired from their services and the number of those suspended and convicted?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) No. However, some complaints of this nature have been received from time to time.

(b) The system of making advance reservation without any time-limit has been introduced for important trains with effect from 15th April, 1975. Surprise checks in Reservation Offices and on trains at Officers level with the help of Anti-fraud squad and Vigilance Organisation have been intensified. With the promulgation of emergency, strict action has been taken with the help of Civil authorities against unauthorised Travel Agents and other unsocial elements and their activities have been brought under control. Accommodation in existing trains has been increased and additional trains have been introduced.

(c) and (d). 91 employees were detected. One was dismissed, three were removed from service, 23 were placed under suspension. Other cases are under investigation.

एक्सप्रस माल गाड़ियों का चलाया जाना

100. श्री राजदेव सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीघ्र डिलीवरी सुनिश्चित करने तथा छुट-पुट चोरी को रोकने के लिये कुछ रेलों के कुछ महत्वपूर्ण मार्गों पर कुछ एक्सप्रेस माल गाड़ियां चलाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो वे मार्ग कौन से हैं और उक्त कार्यवाही के क्या परिणाम निकले; और

(ग) क्या इस उत्तम कार्यकरण को देखते हुए देश भर में सभी महत्वपूर्ण वाणिज्यिक मार्गों पर ऐसी ही गाड़ियां चलाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). एक्सप्रेस माल गाड़ियां पहले से ही महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केन्द्रों, अर्थात् नयी दिल्ली-कलकत्ता, नयी दिल्ली-बम्बई, नयी दिल्ली-मद्रास, मद्रास-कलकत्ता, मद्रास-बम्बई, बम्बई-कलकत्ता के बीच के ट्रंक मार्गों पर चल रही हैं।

नवम्बर, 1975 में इन गाड़ियों का संचालन इस प्रकार रहा :—

(घंटों में)

मार्ग	अनुसूचित परिवहन समय	वास्तविक परिवहन समय	मार्ग	अनुसूचित परिवहन समय	वास्तविक परिवहन समय
नयी दिल्ला–कलकत्ता	76–20	76–00	कलकत्ता–नयी दिल्ली	95–00	78–10
नयी दिल्ली–बम्बई	58–45	54–48	बम्बई–नयी दिल्ली	51–10	56–49
नयी दिल्ली–मद्रास	168–10	158–34	मद्रास–नयी दिल्ली	190–55	166–48
बम्बई–मद्रास	81–35	71–27	मद्रास–बम्बई	90–40	89–20
कलकत्ता–मद्रास	104–05	80–53	मद्रास–कलकत्ता	98–00	86–13
कलकत्ता–बम्बई	112–40	98–59	बम्बई–कलकत्ता	86–55	74–01

(ग) यदि अन्य महत्वपूर्ण मार्गों पर ऐसी गाड़ियां चलाने के लिए पर्याप्त औचित्य हुआ तो वहां ऐसी गाड़ियां चलायी जायेंगी।

वैगन-उद्योग को सहायता

101. श्री राजदेव सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संकट-ग्रस्त वैगन-उद्योग को योजना आयोग की सिफारिश के अनुसार 33 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या उक्त सहायता की राशि इस समय सरकार के प्रबन्ध तथा नियंत्रणाधीन केवल आठ वैगन-निर्माता संकट-ग्रस्त एककों को ही प्राप्त हुई है अथवा कि गैर-सरकारी क्षेत्र के पांच एककों को भी इसका कुछ भाग प्राप्त हुआ है; और

(ग) क्या सहायता प्राप्त करने के बाद सम्बन्धित एकक अपनी कमियां दूर कर रहे हैं तथा उनमें उत्पाद भी बढ़ रहा है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बटा सिंह) : (क) माल डिब्बा उद्योग में 1975-76 के दौरान माल डिब्बों का उत्पादन 1974-75 के उत्पादन-स्तर पर ही बनाये रखने के लिए, 32.35 करोड़ रुपये की मूल व्यवस्था के अतिरिक्त 33 करोड़ रुपये की और आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था। लेकिन योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय ने केवल 25 करोड़ रुपये की ही और मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने शेष 8 करोड़ रुपये की और मंजूरी दिये जाने के लिए कहा है।

(ख) माल डिब्बा उद्योग से माल डिब्बों की प्राप्ति के लिए मंजूर रकम को माल डिब्बों तथा पुर्जों की सप्लाई करने वाले निर्माताओं के बीच बांट दिया जाता है और ऐसा करते समय सरकारी प्रबन्ध/सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिटों के लिए भी रकम का उचित हिस्सा रखा जाता है।

(ग) 1974-75 का उत्पादन-स्तर बनाये रखने के लिए 8 करोड़ रुपये की कमी के बावजूद, माल डिब्बा उद्योग 1974-75 के स्तर से अधिक उत्पादन कर रहा है ।

आपात स्थिति की घोषणा के पश्चात् रेलवे के कार्यकरण में सुधार

102. **श्री राजदेव सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात् स्थिति की घोषणा के परिणामस्वरूप कर्मचारियों में उत्पन्न अनुशासन तथा कर्मनिष्ठा की भावना के कारण रेलवे के कार्यकरण में काफी सुधार हुआ है;

(ख) क्या आपात स्थिति की घोषणा के पश्चात् रेलवे ने महत्वपूर्ण प्रगति की है और अपनी आय को 4 करोड़ से अधिक बढ़ा लिया है; और

(ग) क्या आय में वृद्धि लाने के साथ-साथ रेलवे ने कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों पर मैडीकल स्टाल खोलने के रूप में कुछ यात्री सुविधाओं में भी वृद्धि की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) नीचे दिये गये विवरण के अनुसार संलग्न विवरण से ज्ञात होगा कि आपात् स्थिति घोषित होने के बाद की अवधि में आय में वृद्धि हुई है सिवाय यात्री यातायात के, जहां अपेक्षाकृत कम आमदनी मुख्यतः सामयिक उतार-चढ़ाव के कारण हुई है ।

(ग) चुनिंदा महत्वपूर्ण स्टेशनों पर यात्रियों की बिक्री के लिए इस प्रकार के स्टाल खोलने के लिए अनुदेश जारी किये गये हैं।

विवरण

(करोड़ रुपयों में)

	अवधि 4/75 से 6/75 तक	अवधि 7/75 से 9/75 तक
	आपात् स्थिति से पूर्व	आपात् स्थिति के बाद
यात्री यातायात	133.28	113.85
अन्य कोचिंग	17.60	20.79
माल यातायात	270.48	277.44
फुटकर	9.94	11.82
जोड़	431.30	423.90

केरल में रेल-विद्युतीकरण के लिये केरल सरकार के सुझाव

103. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में रेलों का अग्रेतर विद्युतीकरण करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो विशेषकर केरल सरकार द्वारा केरल में रेलों के लिये विद्युतीय लाइनों का निर्माण करने के लिये दक्षिण रेलवे को दिये गये सुझावों के संदर्भ में उपरोक्त निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गया–राजगीर और राँची–हजारीबाग–कोडरमा बड़ी रेल लाइन

104. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में माल और यात्री यातायात के लिए गया-राजगीर और राँची-हरीबाग-कोडरमा बड़ी रेल लाइन का निर्माण कब आरम्भ किया जायेगा और वह कब पूरा होगा; और

(ख) इन पुरातन ऐतिहासिक स्थानों पर विदेशों से आने वाले पर्यटकों को रेल विभाग अन्य क्या अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). गया–राजगीर लाइन का सर्वेक्षण 1976-77 में शुरू करने का प्रस्ताव है और जब यह सर्वेक्षण पूरा हो जायेगा तो प्रस्ताव पर आगे विचार किया जायेगा। हजारी बाग टाउन/हजारीबाग के रास्ते रांची रोड से गिरिडीह तक नयी रेलवे लाइन से सम्बन्धित सर्वेक्षण रिपोर्ट हाल में प्राप्त हुयी है और उस पर विचार हो रहा है।

रात्रि में गाड़ियों में डकैतियाँ और लूट-पाट

105. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में, विशेषकर रात्रि में चलने वाली एक्सप्रेस तथा डाक गाड़ियों में, डकैतियों तथा लूट-पाट में वृद्धि हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो रात्रि में यात्रा करने वाले यात्रियों की सम्पत्ति और जीवन की रक्षा करने हेतु रेलवे का क्या सुरक्षात्मक उपाय करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। लेकिन, इस सम्बन्ध में सुरक्षा और संरक्षा के निम्नलिखित उपाय किये गये हैं —

(1) सरकारी रेलवे पुलिस का महत्वपूर्ण मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों के साथ मार्ग रक्षी के रूप में जाना,

(2) प्रभावित खंडों पर सरकारी रेलवे पुलिस के कर्मचारियों का सादा कपड़ों में तैनात किया जाना,

(3) मार्ग रक्षी डयूटियों के लिए आवश्यकता पड़ने पर रेलवे सुरक्षा दल की सहायता,

(4) सरकारी रेलवे पुलिस के पर्यवेक्षक कर्मचारियों द्वारा बार–बार आकस्मिक जांच,

(5) सवारी डिब्बों में जहां जरूरत हो, संरक्षा सम्बन्धी उपायों को सुदृढ़ करना, और

(6) सरकारी रेलों पुलिस, राज्य पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल के बीच ताल-मेल बनाये रखने के लिये बैठकें करना।

एक्सप्रेस तथा मेल गाड़ियों में खान-पान व्यवस्था के बारे में शिकायतें

106. **सरदार स्वर्ण सिंह सोढ़ी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार वर्तमान खान-पान व्यवस्था में परिवर्तन करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसमें हावड़ा और दिल्ली के बीच एक्सप्रेस तथा मेल गाड़ियों में रेलवे रेस्टोरेंटों द्वारा भोजन सप्लाई किया जाता है तथा खान-पान ठेकेदारों के द्वारा सेवित किया जाता है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : दिल्ली और हावड़ा के बीच चलने वाली गाड़ियों में प्रचलित खान-पान की वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है।

मिट्टी के तेल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि

107. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 से लेकर अब तक सरकार ने मिट्टी के तेल, कुकिंग गैस तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में कितनी बार वृद्धि की है ;

(ख) प्रत्येक बार कितनी राशि की वृद्धि की गई; और

(ग) सब से अन्त में मिट्टी के तेल, कुकिंग गैस तथा कुछ अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में की गई भारी वृद्धि के क्या कारण थे ?

पेट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) और (ख). बम्बई में भण्डार स्थल से बाहर नवम्बर, 1973 से मिट्टी के तेल , ईंधन, गैस तथा प्रत्येक पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है। [ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल० टी०—9984/76]

(ग) 1-10-75 से पेट्रोलियम निर्यात करने वाले राष्ट्रों के संगठनों ने अशोधित तेल के मूल्यों में (एफ० ओ० बी०) 10% तक वृद्धि कर दी। देश की पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकता के दो तिहाई भाग को आयात से पूरा किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप तेल उद्योग को अतिरिक्त अपरिहार्य तथा आवर्ती खर्च देने पड़े।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में नयी रेल लाइनें

108. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में प्रत्येक राज्य में किन-किन नयी रेल लाइनों का निर्माण या तो शुरू हो चुका है या जिनके बनाये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) क्या सरकार ने बज-बज-नामखाना लाइन, पूर्व रेलवे, सियालदह डिवीजन, को निकट भविष्य में निर्माण हेतु सम्मिलित करने के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 9985/76]

(ख) इस रेल सम्पर्क के लिए यातायात एव इंजीनियरिंग सर्वेक्षण हाल ही में पूरा हुआ है और रिपोर्ट की जांच की जा रही है। रिपोर्ट की सभी पहलुओं से जांच हो जाने के बाद ही इस परियोजना के बारे में आगे विचार किया जायेगा, बशर्ते इस कार्य के लिए धन उपलब्ध हो।

विदेशों के साथ करार

109. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **पैट्रोलियम** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा आपात स्थिति लागू होन के बाद विभिन्न देशों के साथ अनेक करारों पर हस्ताक्षर किए गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों के साथ करार किए गए हैं ; और

(ग) क्या निकट भविष्य में कुछ अन्य देशों के साथ इसी प्रकार के करार करने को उनके मंत्रालय की योजना है ?

पैट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख). आपतकालीन स्थिति को घोषणा के बाद इस मंत्रालय द्वारा दूसरे देशों के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गये।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आपात-स्थिति की घोषणा के बाद रेल दुर्घटनायें

110. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आपात-स्थिति घोषित होने के बाद कुछ रेल दुर्घटनायें हुई हैं;

(ख) प्रत्येक दुर्घटना में कितने व्यक्ति मारे गये तथा कितने घायल हुए;

(ग) क्या कुछ दुर्घटनायें तोड़-फोड़ की गतिविधियों के कारण हुई थीं; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही को गई ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 26-6-75 से 30-11-75 तक की अवधि में हुई गाड़ी दुर्घटनाओं में 35 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 250 व्यक्ति घायल हुए।

(ग) इस अवधि में एक गाड़ी दुर्घटना तोड़-फोड़ के कारण हुई।

(घ) मऊ जंकशन की सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय रेल अधिनियम की धारा 128 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस द्वारा की जा रही जांच-पड़ताल के परिणाम की अभी प्रतीक्षा है। मामले की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को भी की गयी है।

कुओं से प्राप्त तेल और गैस का उपयोग

111. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **पैट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैस और तेल वाले ऐसे कितने कुएं इसलिए बन्द कर दिए गए हैं कि उनका तेल/गैस तेलशोधक कारखाने तक पाइपलाइन न होने के कारण इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता है ;

(ख) इन कुओं की वार्षिक उत्पादन क्षमता क्या है और वे कहां-कहां स्थित हैं ; और

(ग) उनके तेल और गैस का उपयोग करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है और कुल उत्पादन के अब तक उपयोग में लाये जाने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) से (ग). ऐसा कोई गैस अथवा तेल कुआं शोधनशाला तक पाइपलाइन के कारण बन्द नहीं पड़ा है। तथापि तेल के लगभग आधा मिलियन मी० टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता के 40 कुएं, लकवा में (18 कुएं), रुद्रसागर (15 कुएं) और गंलेकी में (1 कुएं) क्षेत्र जो तेल उत्पादक के रूप में पूरे किए गए हैं, उन्हें अपने संबंधित ग्रुप गैदरिंग स्टेशनों के साथ जोड़ा जाना है; उनका कार्य पहले ही हाथ में लिया गया है । 1977-78 से आगे इन कुओं से उत्पादन के उपयोग की संभावना है ।

Difficulties faced by Harijans and others due to increase in prices of kerosene

113. Shri Bibhuti Mishra: Will the Minister of **Petroleum** be pleased to state:

(a) whether the price of kerosene oil has been raised recently by the Government to Rs. 1.50 per litre;

(b) if so, whether this price-hike has created financial difficulties for Harijans, Adivasis, landless and other poor sections of people living in villages;

(c) whether Government proposes to give any subsidy to provide relief to these people; and

(d) if so, the nature thereof?

The Minister of Petroleum (Shri K. D. Malaviya): (a) There is no uniform ceiling selling price of kerosene oil throughout the country. The last increase allowed with effect from 1st December, 1975 was of 12 paise per litre (exclusive sales tax, octroi etc.).

(b) The financial difficulty is marginal and inescapable.

(c) No Sir.

(d) Does not arise.

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता--उत्तर-पूर्व) : मेरा अनुभव है कि जब कोई मंत्री 12 बजे वक्तव्य दे रहे होते हैं तो उन्हें समय दे दिया जाता है ताकि वह अपना उत्तर पूरा कर सकें, क्योंकि प्रश्नों का उद्देश्य मंत्रियों से जानकारी प्राप्त करना ही है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा सदन से अनुरोध है कि समय का पालन किया जाये ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : चसनाला खान दुर्घटना पर हमने एक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था । अधिकारियों की अदक्षता एवं सुरक्षा उपायों के न करने के कारण से यह दुःखद घटना घटी ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री के वक्तव्य के पश्चात् इस पर ध्यान दिया जायेगा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन अधिसूचना

पैट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) हाई स्पीड डीजल तेल तथा लाइट डीजल तेल (प्रयोग पर प्रतिबंध) संशोधन आदेश, 1975 जो दिनांक 29 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2734 में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) तरल पट्रोलियम गैस (प्रयोग पर प्रतिबंध) संशोधन आदेश, 1975 जो दिनांक 29 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2735 में प्रकाशित हुआ था ।

(तीन) पैट्रोलियम उत्पाद (संभरण और वितरण) दूसरा संशोधन आदेश, 1975 जो दिनांक 29 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसचना संख्या सा० सां० नि० 2736 में प्रकाशित हुआ था ।

(चार) पैट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन बनाए रखना) संशोधन आदेश, 1975 जो दिनांक 29 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र मे अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2737 में प्रकाशित हुआ था ।

(पांच) पट्रोलियम उत्पाद (सूचना एकत्र करना) संशोधन आदेश, 1975 जो दिनांक 29 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2738 में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रंथालय में रखी गयीं । देखिये संख्या एल० टी० 9952/76]

भारत के महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन और जीवन बीमा अधिनियम, 1965 आदि के अधीन अधिसूचनायें

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): मैं श्री प्रणव कुमार मुखर्जी की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के बारे में दिनांक 28 मार्च, 1974 के राष्ट्रपतीय आदेश के पैरा (ख) (दो) के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 49 के अन्तर्गत पाण्डिचेरी संघ राज्यक्षेत्र शासन के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1973-74 के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 9953/76]

(2) पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र शासन के वर्ष 1973-74 के विनियोग लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। (ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल० टी० 9954/76)

(3) पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र शासन के वर्ष 1973–74 के वित्त लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। (ग्रंथालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल० टी० 9955/76)

(4) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक के वर्ष 1974 के प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक) के निम्नलिखित भागों (हिन्दी संस्करण) की एक-एक प्रति :–

(एक) भाग 2—भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड के कार्यकरण का मूल्यांकन।

(दो) भाग 3—हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के कार्यकरण का मूल्यांकन। (ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल० टी० 9956/76)

(5) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक के वर्ष 1973 के प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक)—भाग 5—वैयक्तिक हित के मुद्दों तथा कम्पनी लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों का सारांश (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति। (ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल० टी० 9957/76)

(6) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1975 के प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक)—भाग 1—प्रस्तावन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। (ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल० टी० 9958/76)

(7) संघ सरकार के वर्ष 1972-73 के वित्त लेखे (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति। (ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल० टी० 9959/76)

(8) संघ सरकार के वर्ष 1973-74 के वित्त लेखे (हिन्दी संस्करण) की एक (ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल० टी० 9959/76)

(9) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 43 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 449(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 19 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। (ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल० टी० 9960/76)

(10) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 90 तथा कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 की धारा 24क के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 514(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 1 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें विमान कम्पनियों

की आय को दोहरे कराधान से बचाने के लिये भारत सरकार और अफ़गानिस्तान सरकार के बीच हुआ समझौता दिया गया है, की एक प्रति ।
[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 9961/76]

(11) दिल्ली विक्रय कर अधिनियम, 1975 की धारा 72 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) दिल्ली विक्रय कर नियम, 1975 जिनका अग्रेजी संस्करण दिनांक 10 अक्तूबर, 1975 तथा हिन्दी संस्करण दिनांक 4 दिसम्बर, 1975 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4/61/75/वित्त (सामान्य) (दो) में प्रकाशित हुआ था तथा अंग्रेजी संस्करण का शुद्धि-पत्र जो दिनांक 15 नवम्बर, 1975 की अधिसूचना संख्या एफ० 4/73/74-फिन (सामान्य) में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) दिल्ली विक्रय कर (पहला सशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 27 नवम्बर, 1975 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4(61)/75/वित्त (सामान्य) में प्रकाशित हुए थे । [ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 9962/76]

(12) दिल्ली विक्रय कर (संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 27 सितम्बर, 1975 के दिल्ली राजपत्र में बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम, 1941, दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में यथाप्रवृत्त की धारा 26 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एफ० 4(40)/71–फिन (जी) में प्रकाशित हुए थे । [ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 9963/76]

(13) स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 की धारा 114 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सां० आ० 2734 जो दिनांक 5 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसमें स्वर्ण नियंत्रण (प्रारूप, शुल्क और प्रकीर्ण मामले) नियम, 1968 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है जो दिनांक 1 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना संख्या सां० आ० 3117 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) स्वर्ण नियंत्रण (प्रारूप, शुल्क और प्रकीर्ण मामले) संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 20 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 607(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) स्वर्ण नियंत्रण (प्रारूप, शुल्क और प्रकीर्ण मामले) दूसरा संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 31 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 624(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) स्वर्ण नियंत्रण (प्रारूप, शुल्क और प्रकीर्ण मामले) तीसरा संशोधन नियम 1975 जो दिनांक 31 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 625(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) स्वर्ण नियंत्रण (नामों का प्रकाशन) नियम, 1975 जो दिनांक 5 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 640(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) स्वर्ण नियंत्रण (स्टैण्डर्ड स्वर्ण सलाखों का मानदण्ड और शोधन की शर्तें) संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 11 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 4388 में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) स्वर्ण नियत्रण (चांदी के शोधन अथवा पिघलाने से प्राप्त सोने का निपटान) नियम, 1975 जो दिनांक 15 दिसम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 707(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(आठ) स्वर्ण नियंत्रण (प्रमाणपत्र प्रदान करना) संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 20 दिसम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 719(ङ) में प्रकाशित हुए थे । [ग्रंथालय में रखी गयी । **देखिये** संख्या एल० टी० 9964/76]

(14) धनकर अधिनियम, 1957 की धारा 46 की उपधारा (4) के अन्तर्गत धनकर (संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 30 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र प्रकाशित हुए थे । [ग्रंथालय में रखी गयी । **देखिये** संख्या एल० टी० 9965/76]

(15) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 24 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 534(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 26 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 543(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) आयकर (प्रमाणपत्र कार्यवाही) संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 1 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 565(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 18 दिसम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 710 (ङ) में प्रकाशित हुए थे । [ग्रंथालय में रखे गये । **देखिये** संख्या एल० टी० 9966/76]

(16) आय और धन स्वेच्छया प्रकटन अध्यादेश, 1975 की धारा 19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत आय और धन स्वेच्छया प्रकटन नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 8 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 597(ङ) में प्रकाशित हुए थे । [ग्रंथालय में रखे गये । **देखिये** संख्या एल० टी० 9967/76]

(17) कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कम्पनी (लाभ) अतिकर (संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 10 दिसम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 700(ङ) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल० टी० 9968/76]

(18) भेषजीय तथा सौन्दर्य प्रसाधन उत्पाद (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, 1955 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भेषजीय तथा सौन्दर्य प्रसान उत्पाद (उत्पादन शुल्क) संसोधन नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी करण) की एक प्रति जो दिनांक 2 अगस्त, 1975 के भारतके जपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 941 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालयमें रखे गये। **देखिये** संख्या एल० टी० 9969/76]

(19) वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1971 की धारा 51 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) विदेश यात्रा कर (संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 9 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 993 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सा० सां० नि० 476(ङ) जो दिनांक 1 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) सा० सां० नि० 2333 जो दिनांक 6 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(चार) सा० सां० नि० 2334 जो दिनांक 6 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) सा० सां० नि० 2399 जो दिनांक 20 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(छः) सा० सां० नि० 512(ङ) जो दिनांक 29 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल० टी० 9970/76]

(20) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 4 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 437 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (मूल्यांकन) नियम, 1975 जो दिनांक 8 अगस्त, 1975, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 440 (ङ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (बारहवां संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 16 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2235 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (तेरहवां संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 30 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2297 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सोलहवां संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 29 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां० नि० 511 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सत्रहवां संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 30 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 513 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (चोदहवां संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 11 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2511 में प्रकाशित हुए थे ।

(आठ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पन्द्रहवां संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 11 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2512 में प्रकाशित हुए थे ।

(नौ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (उनीसवां संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 18 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2535 में प्रकाशित हुए थे ।

(दस) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (बीसवां संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 1 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2603 में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्यारह) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अट्ठारहवां संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 15 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2670 में प्रकाशित हुए थे ।

(बारह) सा० सां० नि० 2671, जो दिनांक 15 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

(तेरह) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (इक्कीसवां संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 22 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में सा० सां० नि० 2696 में प्रकाशित हुए थे । (ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 9971/76)

(21) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 445 (ङ) जो दिनांक 13 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० सां० नि० 2236 जो दिनांक 16 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा० सां० नि० 453 (ङ) जो दिनांक 22 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) आवास अन्तरण (संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 22 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 454 (ङ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा० सां० नि० 489 (ङ) जो दिनांक 10 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छः) सा० सां० नि० 2400 जो दिनांक 20 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा० सां० नि० 502 (ङ) जो दिनांक 24 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा० सां० नि० 505 (ङ) जो दिनांक 26 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा० सां० नि० 516 (ङ) जो दिनांक 1 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) सा० सां० नि० 2470 जो दिनांक 4 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्यारह) सा० आ० 4675 जो दिनांक 1 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक क्षापन ।

(बारह) सा० सां० नि० 2604 जो दिनांक 1 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेरह) सा० सां० नि० 563 (ङ) जो दिनांक 24 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौदह) सा० सां० नि० 2730 जो दिनांक 29 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

पन्द्रह) सा० सां० नि० 578 (ङ) जो दिनांक 1 दिसम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सौलह) सा० सां० नि० 580 (ङ) जो दिनांक 6 दिसम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्रह) सा० सां० नि० 582 (ङ) जो दिनांक 10 दिसम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अट्ठारह) सा० सां० नि० 2791 जो दिनांक 13 दिसम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(उन्नीस) सा० सां० नि० 2836 और सा०सां०नि० 2837 जो दिनांक 20 दिसम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बीस) सा० सां० नि० 2838 जो दिनांक 20 दिसम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(इक्कीस) सा० सां० नि० 4(ङ) जो दिनांक 1 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 9972/76].

(22) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 441(ङ) जो दिनांक 8 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० सां० नि० 994 जो दिनांक 9 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा० सां० नि० 452 (ङ) जो दिनांक 21 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा० सां० नि० 2272 जो दिनांक 23 अगस्त, 1975 के भारत के [illegible] में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा० सां० नि० 467(ङ) जो दिनांक 26 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छः) सा सां० नि० 473 (ङ) से 474 (ङ) जो दिनांक 30 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा० सां० नि० 2298 जो दिनांक 30 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा० सां० नि० 2299 से सा० सां० नि० 2300 जो दिनांक 30 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा० सां० नि० 2301 जो दिनांक 30 अगस्त, 1975 में भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा० सां० नि० 2302 जो दिनांक 30 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा० सां० नि० 487 (ङ) जो दिनांक 8 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा० सां० नि० 2375 जो दिनांक 13 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा० सां० नि० 2376 जो दिनांक 13 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा० सां० नि० 2377 और 2378 जो दिनांक 13 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा० सां० नि० 493 (ङ) जो दिनांक 15 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा० सां० नि० 2374 जो दिनांक 13 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी एक तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा० सां० नि० 2401 जो दिनांक 20 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठारह) सा० सां० नि० 517 (ङ) जो दिनांक 4 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा० सां० नि० 2471 जो दिनांक 4 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा० सां० नि० 2472 जो दिनांक 4 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा० सां० नि० 2473 जो दिनांक 4 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाइस) सा० सां० नि० 519 (ङ) जो दिनांक 6 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेइस) सा० सां० नि० 520 (ङ) जो दिनांक 9 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा० सां० नि० 522(ङ) जो दिनांक 16 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा० सां० नि० 2563 जो दिनांक 25 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा० सां० नि० 550 (इ) जो दिनांक 30 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सताइस) सा० सां० नि० 2602 जो दिनांक 1 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाइस) सा० सां० नि० 2643 जो दिनांक 8 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस) सा० सां० नि० 2672 और 2673 जो दिनांक 15 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) सा० सां० नि० 2674 जो दिनांक 15 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतीस) सा० सां० नि० 2675 और सा० सां० नि० 2676 जो दिनांक 15 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बत्तीस) सा० सां० नि० 577 (इ) जो दिनांक 1 दिसम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तैंतीस) सा० सां० नि० 581 (इ) जो दिनांक 9 दिसम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौंतीस) सा० सां० नि० 2829 जो दिनांक 13 दिसम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पैंतीस) सा० सां० नि० 578(इ) जो दिनांक 19 दिसम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 9973/76).

लोक सभा के पाँचवें सामान्य निर्वाचन, 1971 सम्बन्धी प्रतिवेदन खण्ड 2 (सांख्यिकीय), संसदीय निर्वाचन संचालन (सिक्किम) नियम, आदि

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) लोक सभा के पांचवें सामान्य निर्वाचन, 1971 सम्बन्धी प्रतिवेदन खण्ड-2 (सांख्यिकीय) (हिन्दी सस्करण) की एक प्रति (ग्रंथालय में रखी गयी देखिए सख्या एल० टी० 9974/76)।

(2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उपधारा (3) के अन्तर्गत संसदीय निर्वाचन संचालन (सिक्किम) निगम, 1975 (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 10 सितम्बर, 1975

के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या सां० आ० 496(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्रंथालय में रखी गयी । **देखिये** संख्या एल० टी० 9975/76) ।

(3) संघ राज्यक्षेत्र शासन (सशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा संशोधित सघ राज्य-क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 43ग की उपधारा (6) के अन्तर्गत जारी किए गए अरुणाचल संघ राज्यक्षेत्र में ससदीय तथा विधान सभाई निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन सम्बन्धी निर्वाचन आयोग के आदेश की एक प्रति जो दिनांक 5 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में उक्त अधिनियम की धारा 43ग की उपधारा (8) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० आ० 639(ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(ग्रंथालय में रखी गयी । **देखिये** संख्या एल० टी० 9976/76) ।

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेदव्रत वरुआ) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) कम्पनी (निक्षेप स्वीकार करना) संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 18 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या सां० आ० 524 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) कम्पनी (निक्षेप स्वीकार करना) दूसरा संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 29 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 684(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्रंथालय में रखी गयी । **देखिये** सख्या एल० टी० 9977/76) ।

भारतीय रेल अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :

भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 47 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) मद्रास पत्तन न्यास रेल (विलम्ब शुल्क और स्थान शुल्क) नियम, 1975 जो दिनांक 16 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2682 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) रेल (भाण्डागारण और स्थान शुल्क दूसरा संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 16 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2683 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) रेल रेड टेरिफ (पांचवां संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 11 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2528 में प्रकाशित हुई थे ।

(चार) रेल रेड टेरिफ (छठा संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 1 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2628 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) रेल रेड टेरिफ (सातवां संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 15 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2690 में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) रेल रेड टेरिफ (आठवां संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 13 दिसम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2827 में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्रंथालय में रखी गयी । **देखिए** संख्या एल० टी० 9978/76) ।

(2) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 56ङ की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय रेल (अधिसूचित रेलवे स्टेशनों से न उठाये गये माल का निपटान) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 10 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 554 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्रंथालय में रखी गयी । **देखिये** संख्या एल० टी० 9978/76) ।

विदेशी अभिदाय (विनियमन) विधेयक
FOREIGN CONTRIBUTION (REGULATION) BILL

(i) **संयुक्त समिति का प्रतिवेदन श्रीमती मुकुल बनर्जी** (नई दिल्ली) : मैं विदेशी अभिदाय (विनियमन) विधेयक, 1973 सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं ।

(ii) **साक्ष्य**

मैं विदेशी अभिदाय (विनियमन) विधेयक, 1973 सम्बन्धी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य (खण्ड 1 और 2) की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं ।

याचिका समिति
COMMITTEE ON PETITIONS

चौबीसवाँ तथा पच्चीसवाँ प्रतिवेदन

श्री जगन्नाथ राव (छत्तरपुर) : मैं याचिका समिति का चौबीसवां तथा पच्चीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

39वां प्रतिवेदन

श्री धरणी धर बसुमतारी (कोकराझार) : मैं पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय--- भारत पर्यटन विकास निगम में अनसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण तथा नियोजन सम्बन्धी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति का 39वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

धनबाद के निकट चसनाला कोयला खान में हुई दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: ACCIDENT IN CHASNALA COAL MINES, NEAR DHANBAD

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव): मैं बड़े दु:ख के साथ इस सदन को एक भीषण दुर्घटना के बारे में बताने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह दुर्घटना 27 दिसम्बर, 1975 को इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लि० की चसनाला कोयला खान में हुई थी।

चसनाला की कोयले की खान बिहार में धनबाद जिले में धनबाद नगर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा लगता है कि 27 दिसम्बर, 1975 को लगभग 1.35 अपराह्न में एक पुरानी परित्यक्त खान जो ऊंचाई पर है, से चसनाला की गहरी सतहों में अचानक बड़ी मात्रा में पानी तेजी के साथ चला गया जिससे सभी कर्मचारी जो उस समय काम कर रहे थे इसमें फंस गये। रिकार्ड के अनुसार उस समय खान के अन्दर 372 कर्मचारी थे जिनमें 3 खान इंजीनियर और 17 पर्यवेक्षी कर्मचारी थे। खान में पानी इतना अचानक और इतनी तेजी के साथ गया कि कर्मचारियों को बचने का कोई मौका नहीं मिला। खान के प्रबन्धक और सुरक्षा अधिकारी ने खान के कार्य का निरीक्षण किया था और वे इस दुर्घटना से केवल कुछ ही मिनट पहले खान से बाहर आये थे।

इस भीषण दुर्घटना के समाचार से हम सब को अत्यन्त दु:ख हुआ है और इस दु:खद दुर्घटना में हमारी हार्दिक सहानुभूति हमारे बहादुर कामगारों और उनके परिवारों के साथ है।

विश्व-भर से सहानुभूति के सन्देश प्राप्त हुए हैं।

दुर्घटना के पश्चात् तत्काल भारत कोकिंग कोल लि० के उपाध्यक्ष, वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल, खान सुरक्षा के महानिदेशक और उसके बचाव दल के साथ बिहार सरकार के जिला अधिकारियों और इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी के वरिष्ठ अधिकारियों को साथ लेकर दुर्घटना स्थल को चले गये थे और सुरक्षा और सहायता कार्य की व्यवस्था करने लग पड़े थे। पानी निकालने का काम तेजी से करने के लिए भारत कोकिंग कोल लि० के पास उपलब्ध पम्प तेजी से वहां पहुंचा दिये गये। 600 से अधिक व्यक्ति और इंजीनियर इन पम्पों को लगाने और पानी बाहर निकालने का काम दिन-रात कर रहे हैं।

अनुमान लगाया गया है कि खान में लगभग 11 करोड़ गैलन पानी भरा हुआ है जिसे बाहर निकालना है। समस्त खान में पानी भर गया है और उसमें केवल 5 तंग द्वार हैं। तंग और ढलानदार द्वारों से पानी निकालना अत्यन्त कठिन कार्य है क्योंकि वहां पर न तो अधिक पम्प ही

लगाये जा सकते हैं और न ही पानी निकालने का काम बहुत तेजी के साथ किया जा सकता है। उपलब्ध देशीय पम्पों से प्रतिदिन 90 लाख गैलन पानी निकालने की व्यवस्था कर दी गई है। अब तक 350 लाख गैलन से अधिक पानी निकाला जा चुका है। रूस से आये अधिक क्षमता के पाँच निमज्जक पम्प और रूसी इंजीनियर घटना स्थल पर पहुंच गये हैं और इन पम्पों को लगाने का काम चल रहा है। इससे प्रतिदिन पानी निकालने की क्षमता 60 लाख गैलन बढ़ जायेगी और इस तरह कुल स्थापित क्षमता 150 लाख गैलन प्रतिदिन हो जायेगी। पोलैण्ड के इंजीनियरों का एक दल भी घटना स्थल पर पहुंच गया है और पानी निकालने के काम में सहायता कर रहा है।

हम सोवियत संघ और पोलैंड के बहुत आभारी हैं जिन्होंने बिना समय खोये न केवल हवाई जहाज द्वारा घटना स्थल पर पम्प ही पहुंचाये हैं अपितु तकनीकी कर्मचारी भी भेजे हैं। हम संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा पेश की गई सहायता के लिए उनके भी आभारी हैं। कुछ तकनीकी कठिनाइयों के कारण हम इस सहायता का लाभ नहीं उठा सके। हम अन्य मित्र देशों जैसे जर्मन संघीय गणराज्य, यूरोपीय आर्थिक समुदाय आयोग के भी आभारी हैं जिन्होंने सहायता की उदार पेशकश की है।

जैसे ही हमें यह समाचार मिला मैं अपने सहयोगी श्रम मंत्री तथा अपने मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों को साथ लेकर चसनाला के लिए चल दिया। श्रम मंत्री और मैं गत सप्ताह पुनः वहां गये थे। खान से तेजी से पानी निकालने और संतप्त परिवारों को सहायता देने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी रात दिन काम कर रहे हैं। खान से शीघ्रातिशीघ्र पानी निकालने के लिए मानव सुलभ सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं। हालांकि किसी के जिन्दा बचने की उम्मीद बहुत कम है फिर भी हम यह नहीं भूल सकते कि 1956 में बड़ा धीमू में इसी प्रकार की एक खान दुर्घटना में 19 दिन के पश्चात् 11 व्यक्ति जिन्दा बचा लिये गये। हम बचाव कार्य को इसीलिए उच्चतम प्राथमिकता दे रहे हैं जिससे हम कुछ बहुमूल्य जानें बचा सकें।

भारत सरकार ने खान अधिनियम, 1952 की धारा 24 के अधीन पटना उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री उज्जल नारायण सिन्हा को इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने तथा जिन परिस्थितियों में यह दुर्घटना हुई उनका पता लगाने के लिए नियुक्त किया है। इस कार्य में तकनीकी और विशिष्ट सलाहकार उनकी सहायता करेंगे।

देश में यह सबसे भीषण खान दुर्घटना है और एक भीषण राष्ट्रीय विपत्ति है और प्रभावित परिवारों से हमारी हार्दिक सहानुभूति है। मेरे सहयोगी श्रम मंत्री और मैं उन संतप्त परिवारों में से कुछ परिवारों के पास गये थे। उन लोगों ने जिस धैर्य से इस मुसीबत का सामना किया है वह सराहनीय है। राज्य के मुख्य मंत्री और मंत्रिमंडल में उनके कुछ सहयोगी भी चसनाला गये थे और उन्होंने स्वयं सहायता कार्य का निरीक्षण किया था। हम राज्य सरकार के प्राधिकारियों के उन की सामयिक सहायता के लिए भी आभारी हैं।

घटना स्थल पर पहुंच कर मैंने तत्काल प्रभावित कामगारों के प्रत्येक परिवार को 1000 रुपये अनुग्रहपूर्वक अदायगी की घोषणा की थी। इस के अलावा बिहार सरकार ने भी प्रत्येक प्रभावित परिवार को 500 रु० की अनुग्रहपूर्वक अदायगी की घोषणा की है और कोयला खान कल्याण निधि से प्रभावित हुए प्रत्येक कामगार के परिवार की 250 रुपये दिये जा रहे हैं। अब तक अनुग्रहपूर्वक अदायगी के रूप में 290 प्रभावित परिवारों को 5 लाख रुपये दिये गये हैं। मैंने घटना स्थल पर यह भी घोषणा की थी कि इन परिवारों के आश्रितों को नौकरी देने की पर्याप्त

[श्री चन्द्रजीत यादव]

व्यवस्था की जाएगी और खान के सभी कामगारों को जो काम पर आयेंगे उचित रोजगार दिया जाएगा।

बिहार सरकार प्रभावित परिवारों को 1000 रुपये प्रति परिवार की दर से और अनुग्रह-पूर्वक अदायगी के रूप में 4 लाख रुपये दे रही है और उनके रहने के लिए मुफ्त जमीन दे रही है और शिक्षा और रोजगार देने की भी कुछ सुविधाएं दे रही है। उन्होंने संतप्त परिवारों को दीर्घकालीन सहायता देने के लिए दान इकट्ठा करने के लिए एक सहायता कोष भी खोला है।

प्रधान मंत्री ने प्रधान मंत्री सहायता कोष से 4 लाख रुपये दिये हैं और भी विभिन्न संस्थानों से हमें नकद सहायता मिल रही है और इस धनराशि से चसनाला आपात सहायता कोष के नाम से एक कोष खोलने का फैसला किया गया है। मेरी अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई गई है जिसमें भारत सरकार के श्रम मंत्री, बिहार सरकार के श्रम मंत्री और 'इन्टक' के अध्यक्ष हैं। यह समिति इस कोष का संचालन करेगी, संतप्त परिवारों को तात्कालिक और दीर्घकालीन सहायता देने की एक योजना तैयार करेगी, सहायता देने के कार्य की निगरानी करेगी और सहायता के वितरण में समन्वय करेगी, सहायता संम्बन्धी और अन्य उपाय करने का काम जिसमें अश्रितों को रोजगार देने का काम भी शामिल है, तेजी से करेगी।

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने विभिन्न अधिकारियों के एक दल का भी गठन किया है जो प्रत्येक प्रभावित परिवार से मिल रहा है और उनकी आवश्यकताओं का पता लगा रहा है और उनको तात्कालिक तथा दीर्घकालिक सहायता देने की व्यवस्था कर रहा है। संतप्त परिवारों को चिकित्सा तथा अन्य सहायता देने के लिए 'इस्को' ने चसनाला में कल्याण केन्द्र भी खोले हैं।

यह इतनी बड़ी दुर्घटना है कि इसके लिए बड़े पैमाने पर बचाव और सहायता कार्य करने की जरूरत है। मैं विभिन्न संगठनों जैसे भारत कोकिंग कोल लि० बिहार सरकार, कोल इंडिया लि०, खान सुरक्षा महानिदेशालय और भारतीय वायु सेना के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने तत्काल सहायता का प्रबन्ध किया और इस काम में पूरा-पूरा सहयोग दिया। चसनाला के कामगारों के परिवारों के सदस्यों ने असाधारण धैर्य और हौंसले का परिचय दिया है। उनकी सहायता और सहयोग के बिना हम इतने बड़े पैमाने पर बचाव कार्य करने में सफल न हो पाते जितने बड़े पैमाने पर इस खान में यह कार्य किया जा रहा है।

मैं आदरपूर्वक वह बात दुहराना चाहूंगा जो हमारे राष्ट्रपति जी ने कल अपने अभिभाषण में कही थी और फिर यह कहता हूं कि सरकार संतप्त परिवारों के दुःखों को कम करने के लिए और कामगारों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था में सुधार करने के लिए कोई कोर कसर उठा न रखेगी। सरकार इस दुर्घटना तथा चसनाला के कामगारों पर आई विपत्ति के लिए इस सदन के सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई गहरी चिंता को भली प्रकार समझती है। मेरी उनसे यह प्रार्थना है कि वे फिलहाल और जब तक बचाव कार्य पूरा नहीं हो जाता है और जांच समिति इस दुर्घटना के कारणों का पूरी तरह पता नही लगा लेती तब तक धैर्य रखें और हमें पूर्ण सहयोग दें।

सरकार ने पटना हाई कोर्ट के अवकाशप्राप्त मुख्य न्यायाधीश श्री उज्जल नारायण सिन्हा को इस खान दुर्घटना की जांच करने के लिये नियुक्त कर लिया है।

यह देश की सबसे बड़ी खान दुर्घटना है। श्रम मंत्री के साथ मैंने भी यहां का दौरा किया है। राज्य के मुख्य मंत्री ने भी वहां का दौरा किया है।

दुर्घटनाग्रस्त श्रमिकों के परिवारों के लिये 1000 रुपये प्रति परिवार सहायता की घोषणा की गई है। बिहार सरकार ने भी 500 रुपये प्रति परिवार की दर से सहायता राशि देने की घोषणा की है। अब तक 290 परिवारों को कुल 5 लाख रुपये की सहायता की राशि का वितरण किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त बिहार सरकार निःशुल्क आवास तथा शिक्षा सुविधायें भी प्रदान कर रही हैं। प्रधान मंत्री राहत निधि में से भी एक लाख रुपये के दान की घोषणा की गई है।

राशि का वितरण, प्रभावित परिवारों के लाभार्थ दीर्घकालीन योजनायें बनाने, राहत कार्य प्रदान करने तथा रोजगार की व्यवस्था करने के लिये मेरी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। श्रम मंत्रालय ने भी प्रभावित परिवारों के कल्याण हेतु एक दल का गठन किया है। रेल तथा संचार मंत्रालय भी इन परिवारों को विशेष सुविधायें प्रदान कर रहे हैं।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, खान सुरक्षा महानिदेशालय, , कोल इंडिया लिमिटेड तथा भारतीय वायु सेना ने भी अपना सहयोग तथा सहायता प्रदान की है।

सरकार प्रभावित परिवारों की विपदाओं को दूर करने के लिए पुरजोर प्रयास करेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर): इस खान दुर्घटना पर चर्चा करने की अनुमति दी जानी चाहिये, जो जांच के लिये भी सहायक सिद्ध होगी। इस दुर्घटना से देश भर में शोक की लहर फैल गई है।

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : हम भी इस दुःख और शोक में उनके साथ हैं। मुझे इस पर चर्चा के लिये कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : नोटिस आने के बाद मैं उन पर विचार करूंगा।

समिति के लिये निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

प्राक्कलन समिति

श्री आर० के० सिन्हा: (फैजाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :-

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) के साथ पठित नियम, 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से प्राक्कलन समिति की शेष अवधि के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, श्री मोहम्मद खुदा बख्श के स्थान पर, जिनका निधन हो गया है, अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :-

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) के साथ पठित नियम, 254 के उपनियम (3)

[अध्यक्ष महोदय]

द्वारा अपेक्षित रीति से प्राक्कलन समिति की शेष अवधि के लिये समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, श्री मोहम्मद खुदा बख्श के स्थान पर, जिनका निधन हो गया है, अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

The motion was adopted.

बेतवा नदी बोर्ड विधेयक
BETWA RIVER BOARD BILL

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों की ओर से राजघाट में बेतवा नदी पर बांध का निर्माण करके राजघाट में जलाशय बनाने के लिए और उक्त जलाशय के विनियमन के लिये एक बोर्ड की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों की ओर से राजघाट में बतवा नदी पर बांध का निर्माण करके राजघाट में जलाशय बनाने के लिए और उक्त जलाशय के विनियमन के लिये एक बोर्ड की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री जगजीवन राम : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं :

दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक
DELHI DEVELOPMENT (AMENDMENT) BILL

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये " ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि दिल्ली विकास अधिनियम, , 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये " ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री के० रघुरामैया : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं :

भारतीय प्रकाश (स्तम्भ संशोधन) विधेयक
INDIAN LIGHTHOUSES (AMENDMENT) BILL

नौवहन तथा परिवहन मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि भारतीय प्रकाश अधिनियम, 1927 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि भारतीय प्रकाश अधिनियम, 1927 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

डा० जी० एस० ढिल्लों : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

आयकर (संशोधन) विधेयक
INCOME TAX (AMENDMENT) BILL

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि आयकर अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि आयकर अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 1975 के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE: INCOME TAX (AMENDMENT) ORDINANCE, 1975

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कमार मुखर्जी): मैं आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 1975 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं, जैसा कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम, 71(1) के अन्तर्गत अपेक्षित है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : (कानपुर) : हमने देश भर में हजारों कर्मचारियों की छंटनी और जबरन छुट्टी के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचना दी है । सरकार ने इस सम्बन्ध में अध्यादेश जारी करने का आश्वासन दिया था । अब अध्यादेश का प्रश्न उत्पन्न नहीं

[श्री एस० एम० बनर्जी]

होता। मैं जानना चाहता हूं कि क्या श्रम मंत्री इस बारे में वक्तव्य देंगे इस सभा को इस मामले पर विचार करने का अवसर भी दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिये अनुमति नहीं दी। ऐसे विषय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उठाये जा सकते हैं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव
MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS

अध्यक्ष महोदय : जो माननीय सदस्य अपने संशोधन पेश करना चाहें, वे 15 मिनट के अन्दर सभा पटल पर क्रम संख्या सहित अपने संशोधन दे दें, जिन्हें पेश किया गया ही समझा जाएगा।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सारेमपुर) : अन्य संशोधनों का क्या बनेगा ?

अध्यक्ष महोदय : वे अब पुराने पड़ गये हैं . . . . (**व्यवधान**)

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये :—

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिये जो उन्होंने 5 जनवरी, 1976 को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

अभिभाषण में सरकार की राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्तावक के लिये 20 मिनट का समय रखा गया है। वे इस समय-सीमा का ध्यान रखें :

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : पिछले वर्ष देश को अनेक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं का सामना करना पड़ा। देश के अन्दर अनेक घटनाओं ने जोर पकड़ा जिसके फलस्वरूप देश के अन्दर निराशा तथा अनुशासनहीनता का वातावरण फैल गया।

देश में तनाव का वातावरण बना हुआ था। जिसके स्थान पर सुव्यवस्था और अनुशासन स्थिति पैदा हो गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सुखद घटनाओं के बावजूद इस महाद्वीप की स्थिति शोचनीय बनी हुई है।

प्रजातन्त्र में प्रतिपक्ष द्वारा सरकार की कमजोरी का लाभ उठा कर सत्ता में आने के वैध प्रयासों पर आपत्ति नहीं की जा सकती। लेकिन गत वर्ष जो कुछ हुआ उसका प्रजातांत्रिक इतिहास में कोई उदाहरण नहीं मिलता। प्रतिपक्ष ने अपनी अल्प शक्ति से केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों का तख्ता पलटने के लिये जनता के नाम पर सभी प्रकार की जन-विरोधी तथा प्रजातन्त्र विरोधी हथकंडे अपनाये और इस प्रकार देश की राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में तुच्छ कार्य किया

है। कई बार इस सभा में महत्वपूर्ण आर्थिक एवं राजनीतिक विषयों के स्थान पर व्यक्तिगत आक्षेपों को महत्व दिया जाता रहा।

बाद में उन्होंने पुलिस तथा सेना को विधिवत् स्थापित सरकार के आदेशों को न मानने का परामर्श दिया। देश की सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने के यत्न भी किये गये।

इतने पर ही इन लोगों ने सन्तोष नहीं किया। अपितु हिंसा का वातावरण पैदा किया गया। इन हिंसापूर्ण कृत्यों का पहला शिकार श्री ललित नारायण मिश्र हुये। इस अवसर पर मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

गुजरात के आन्दोलन में निर्दोष व्यक्तियों की हत्यायें की गईं। 93 व्यक्ति मारे गये तथा 933 आहत हुये। लूटमार और आगजनी के 896 मामले हुये। 2 करोड़ से अधिक की सम्पत्ति विनष्ट हुई।

देश के मुख्य न्यायाधीश पर आक्रमण किया गया। यदि हम देश के इतिहास पर दृष्टि डालें तो हमें पता चलेगा कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के तत्काल बाद राजनीतिक उथल-पुथल और इससे उत्पन्न भ्रांतियों के कारण देश स्पष्ट आर्थिक नीति नहीं बना पाया। इसका परिणाम यह हुआ कि विभिन्न दिशाओं में प्रगति करने के बावजूद भी देश में अमीर-गरीब की गहरी खाई बनी हुई है। निहित स्वार्थी, प्रतिक्रियावादियों तथा समृद्ध वर्गों ने इस स्थिति का लाभ उठाया। उनके विचार से राजनीतिक वातावरण और वर्तमान संसदीय प्रणाली के रहते हुये ही वे गैर-कानूनी ढंग से प्राप्त अधिकारों एवं विशेषाधिकारों का उपभोग कर सकते हैं।

वर्ष 1971 के चुनावों में उन्होंने महागठबन्धन किया। 1973 में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर घटी घटनाओं से मुद्रास्फीति बढ़ी और मूल्यों में तेजी आयी। इस अवसर पर उन्होंने तीन तरफा हमला किया। इन्होंने मुद्रास्फीति से लाभ उठाकर जमाखोरी एवं चोरबाजारी करके अधिक धन जमा कर लिया। इन्होंने राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न करने का प्रयत्न किया ताकि इससे आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न की जा सके। प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक बार फिर दृढ़ संकल्प तथा साहस का परिचय दिया तथा यह सिद्ध कर दिया कि वह भारतीय जनता को अन्य की अपेक्षा अच्छी तरह समझती है। आपात स्थिति के परिणामों से भी यही लक्षित होता है। एक लम्बे अरसे से पहली बार निराशावाद ने आशावाद को जन्म दिया है। यही नहीं देश में फैले हुए तनाव ने व्यवस्था को जन्म दिया है। देश में अनुशासन की भावना उत्पन्न हो गई है। शैक्षणिक संस्थान उचित रूप से काम कर रहे हैं। रेल गाड़ियां समय पर आ जा रही हैं।

गत बजट सत्र के दौरान सदन के दोनों पक्षों के सदस्यों में इस बात की आशंका की स्पष्ट झलक मिलती थी कि क्या सरकार देश की आर्थिक समस्या को भी सुलझा पाने में समर्थ होगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मुद्रास्फीति की दर 31 प्रतिशत थी तथा समाज विरोधी तत्वों जैसे जमाखोरों आदि ने इसका पूरा पूरा लाभ उठाने की चेष्टा की लेकिन आपातकालीन स्थिति ने आर्थिक अनुशासन हीनता को काफी हद तक समाप्त किया है तथा प्रभावशाली उपाय किये गए हैं।

अच्छी वर्षा होने से अच्छी फसल के आसार हैं, कोयले के उत्पादन में 11.6 प्रतिशत तथा इस्पात के उत्पादन में 16.4 प्रतिशत वृद्धि हुई है। सीमेंट के उत्पादन में 15.2 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

[श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी

हम सरकार को उसकी स्वेच्छा प्रकटन योजना के अन्तर्गत मिली अत्यधिक सफलता पर बधाई देते हैं। पिछले तीन प्रयासों में 267 करोड़ रुपये की राशि वसूल हुई लेकिन इस वर्ष 1450 करोड़ रुपये तक की राशि की घोषणा हुई है। अगर सरकार "आंसुका" जैसे कड़े उपाय न बरतती तो उसे इतनी सफलता कभी नहीं मिलती। सरकार को इस बात पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये कि आयकर कानूनों और क्रियान्वयन तंत्र के विद्यमान होने के बावजूद भी देश में काले धन की इतनी बड़ी मात्रा कैसे चलन में है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सुखद घटनाएं हुई हैं। पांच शताब्दी पुराने पुर्तगाली साम्राज्यवादी शासन का अन्त हो गया हैं, परन्तु खेद है कि हमारे उप-महाद्वीप में अस्थिरता की स्थिति पैदा करने के यत्न किये जा रहे हैं। हमें इस सम्बन्ध में सतर्क होना होगा। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में बंगलादेश का ठीक उल्लेख करते हुए भारत की चिन्ता व्यक्त की हैं।

कांग्रेस दल तथा प्रधान मंत्री ने संविधान के संशोधन करने के विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा किये जाने का आह्वान किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि चर्चा के बाद जनमत कई मामलों में संविधान की पूरी समीक्षा करने के पक्ष में ही होगा। अब समय आ गया है कि हम संविधान में अपने दर्शन का स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दें। इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिये कि समाजवाद ही हमारा आर्थिक दर्शन होगा। इस सम्बन्ध में सभा को शीघ्र निर्णय करना होगा।

साथ ही हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिये कि अब मजूरी, मूल्यों तथा आय के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति निर्माण करने का भी समय आ गया है। देश के प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधायें, निःशुल्क कानूनी सुविधायें, काम करने का अधिकार और रोजगार प्रदान करने का भी अवसर आ गया है।

हमें इस बात पर भी विचार करना है कि क्या वह नियम तथा विनियम जिनसे कि अब तक हम सभा की कार्यवाही विनियमित करते आये हैं क्या वह भारत जैसे देश की आधुनिक जटिल विकासशील अर्थ-व्यवस्था का बोझा और दबाव सहन करने के समर्थ हैं। इस सदन को छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देने की बजाय जनता की सेवा करनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस प्रस्ताव को बिना संशोधन के सर्व सम्मति से पारित किया जाये।

Shri G. P. Yadav (Katihar): I beg to move:

1. That at the end of the motion, the following be added, namely:—
   "but regret that there is no mention in the Address about lifting the Emergency."

2. That at the end of the motion, the following be added, namely:—
   "but regret that the Address makes no mention of releasing the political prisoners, particularly the Members of this House, who are in jails."

3. That at the end of the motion, the following be added, namely:—
   "but regret that the Address fails to make any provision for keeping open the doors of courts to the people."

4. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that no mention has been made in the Address to rehabilitate the persons displaced by the erosion of the Ganga and to protect the areas adjoining the river Ganga in Bihar State from erosion."

5. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not outline any scheme for laying a broad gauge line from Barauni Junction to Katihar on the North Eastern Railway."

6. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address fails to outline any concrete programme for providing employment to the unemployed youth."

श्री भोगेन्द्र झा :(जयनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

7. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में 20 सूत्री कार्यक्रम के कृषि सम्बन्धी पहलुओं के समयबद्ध क्रियान्वयन का कोई उल्लेख नहीं है ।"

8. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अमरीका द्वारा शर्मनाक रूप से यहां लोकतन्त्र की समाप्ति' का आरोप लगा कर हस्तक्षेप करने तथा अमरीका की पसंद की सरकार भारत में बनाने का आह्वान करने की निन्दा नहीं की गई है ।"

9. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अंगोला की एम० पी० एल० ए० के नेतृत्व वाली आजाद सरकार को मान्यता प्रदान करने की अविलम्बनीयता का उल्लेख नहीं किया गया है ।"

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

10. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नौकरशाही तथा पुलिस के अत्याचारों को रोकने सम्बन्धी उपायों का कोई उल्लेख नहीं है ।"

Shri Ramavatar Shastri (Patna): I beg to move:

11. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address fails to make any mention of the sole aim of proclamation of Emergency, namely, to inflict a blow upon the reactionary, fascist, communal and destructive forces and their supporters."

12. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address fails to give any warning against misuse of Emergency."

[Shri Ramavatar Shastri]

13. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about checking the influence of bureaucracy which has increased during Emergency."

14. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address makes no mention of checking forthwith the tendency of suppressing the workers' and peoples' movement in the name of Emergency."

15. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that no mention has been made in the Address regarding continuance of the payment of a minimum amount of 8.33 percent to the labourers and the employees in the name of Bonus."

16. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that no mention has been made in the Address about making radical changes in the Constitution."

17. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address fails to mention the abolition of the right to private property."

18. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about need for grant of general amnesty to railway employees penalised during the 1974 strike."

19. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address makes no mention of need to root out Rashtriya Swayamsewak Sangh, Anand Marg, Jamat-i-Islami and other anti-national forces."

20. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address of curbing the influence of the black forces in Government institutions and offices."

21. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address of a declaration to abolish the monopolistic capitalistic system in the country."

22. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address of adopting the path of non-capitalistic development by abolishing the capitalistic system in the country."

23. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that no mention has been made in the Address about action to be taken against officials responsible for the gruesome tragedy in Chasnala Colliery in Dhanbad district of Bihar."

24. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that no mention has been made in the Address regarding re-opening of closed factories and taking action against the capitalists

and mill owners under MISA and DIR who have indulged in large-scale retrenchment, lay-offs and closures in different parts of the country despite Emergency."

35. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that no mention has been made in the Address of any proposal to appoint a joint implementation Committee representing all parties and elements supporting the 20-point economic programme for its implementation."

36. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that no mention has been made in the Address of any proposal to form a broad-based organisation comprising of all such parties and individuals as are in favour of launching a unified movement against the rising fascist forces in the country."

37. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that no mention has been made in the Address regarding putting an end to the increasing activities of the C.I.A. in India."

38. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that no mention has been made in the Address regarding nationalisation of wholesale trade in foodgrains."

39. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that no mention has been made in the Address of any flood control scheme to tackle the situation arising from floods in the country every year."

40. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that no mention has been made in the Address of any scheme to save Patna, the Capital of Bihar State, from the menace of floods."

41. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that no mention has been made in the Address regarding grant of financial assistance to the Bihar Government for implementing the scheme of protecting Patna from the havoc caused by floods in future."

42. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that no mention has been made in the Address regarding the proposal of setting up of an Atomic Power Station in Bihar."

43. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that no mention has been made in the Address about attempts being made by the landlords to save themselves from the purview of the Land Ceiling Laws by taking recourse to fake distribution of surplus land."

44. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that no mention has been made in the Address to check suppression of sharecroppers and poor farmers by the police at the instance of landlords."

Shri Jharkhande Rai (Ghasi): I beg to move:

45. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about complete abolition of the capitalistic system which is the source of all evils."

46. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address to give up the capitalistic road to development being pursued by the Congress Government for the last 29 years which is basically responsible for all the evils and menaces faced by the nation."

47. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address to nationalise the entire property of the 75 monopoly capitalistic houses."

48. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address fails to mention the preliminary steps to nationalise sugar mills, textile mills, import-export trade, oil trade and drug industry."

49. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that in the Address there is no mention of any proposals to bring out the entire black money."

50. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address fails to mention effective measures for completely rooting out the fascist, semi-fascist, reactionary and communal forces from the social and economic life of the country."

Shri Ramavatar Shastri (Patna): I beg to move:

81. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address makes no mention of nationalisation of foreign drug industry as recommended by the Hathi Committee."

82. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address makes no mention of nationalisation of sugar and textile industries."

83. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address makes no mention of reducing the prices of coarse cloth."

84. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address of any provision of support prices to the farmers and purchase of their grains by Government at fixed rates in view of the falling prices of foodgrains."

85. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address makes no mention that industrial items of daily use like fertilisers, cloth, cement, oil etc., will be made available to the farmers at cheap rates."

86. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not include any proposal for an equitable development of backward areas of the country."

87. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address fails to mention anything regarding establishment of industries in backward State."

88. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address makes no mention of any proposal regarding construction of a rail bridge over the Ganga river at Digha near Patna after an expert survey report."

89. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address fails to make any mention of provision of funds by Central Government for construction of a road bridge over the Ganga river at Patna."

90. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address that organisations having a philosophy similar to that of R.S.S. will be declared illegal."

91. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address fails to spell out effective steps to unearth black money concentrated in the hands of a few people in the country."

92. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that currency notes of one hundred rupees and above will be demonetised in order to unearth black money in the country."

93. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not condemn the efforts of Gujarat and Tamil Nadu Governments to undermine democracy in those States."

94. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address makes no mention of nationalising the foreign tea companies."

95. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address makes no mention that land reform laws in other States will be implemented on the lines as in Kerala."

96. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address makes no mention of any proposal regarding appointment of Consultative Committee to consider the cases of detenus under MISA."

97. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that in the Address there is no mention of any proposal for giving bonus to the employees working in Railways, P & T Department and other Departments."

[Shri Ramavatar Shastri]

98. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the inclusion of names of those freedom fighters in the list of pensioners whose applications for pension were received after the prescribed last date of receipt of applications *i.e.* 31-3-1974."

99. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address of any proposal for increasing the present amount of pension of Rs. 200 p.m. paid to the freedom fighters in view of the present high level of prices."

100. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address that the pension being paid to the bogus freedom fighters will be stopped and such people will be punished."

101. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address of awarding Tamra Patras to the freedom fighters M.Ps. at an early date."

102. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address makes no mention of construction of Rest Houses for freedom fighters in every State."

103. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address makes no mention of reducing the prices of commodities being supplied by Government ration shops."

104. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about nationalisation of foreign banks."

105. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address fails to mention any concrete measures for eradication of widespread corruption."

106. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the relationship between smugglers and politicians will be broken."

107. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about nationalisation of foreign oil companies."

108. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about nationalisation of foreign trade."

109. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address makes no mention of any joint action together with other littoral countries against the American Atomic base at Diego Garcia in Indian Ocean."

110. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address fails to deplore the anti-India propaganda being made by Maoist China."

111. That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that no mention has been made in the Address of according recognition to the P.L.A. of Palestine."

श्री बी० एस० भौरा : (भटिंडा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

25. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है ।"

26. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पंजाब में थीन बांध निर्माण कार्य शुरू करने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है ।"

27. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सी० आई० ए० की भारत में खतरनाक गतिविधियों तथा इन गतिविधियों को रोकने के उपायों के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है ।"

28. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाय, अथात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भटिंडा होकर दिल्ली और फिरोजपुर के बीच एक नई एक्सप्रेस गाड़ी शुरू करने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है ।"

29. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नए 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को विफल बनाने वाले नौकरशाहों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है ।"

30. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भटिंडा में टेलीविजन टावर के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं हैं ।"

31. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"कि खेद है कि अभिभाषण में देश में भूमिहीन लोगों को आवासीय भूखण्डों के आवंटन के बारे में तीव्र प्रगति का उल्लेख है जब कि वास्तविक प्रगति बहुत धीमी है ।"

32. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषन में पिछले मौसम में कपास उन्पादकों को कपास के कम मूल्य दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है ।

33. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत स्थित विदेशी बैंकों तथ शेष प्राइवेट बंकों के राष्ट्रीयकरण का उल्लेख नहीं किया गया है ।"

[श्री बी० एस० भौरा]

34 कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चण्डीगढ़, तथा उसके आसपास के पंजाबी-भाषी क्षेत्रों को पंजाब को दिये जाने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।"

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

51. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि संसद् सदस्यों तथा विधान सभा सदस्यों सहित अनगिनत नागरिकों को 'मीसा' के अन्तर्गत बिना मुकदमा चलाए जेलों में रखा गया है ।"

52. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि सरकार द्वारा चलाई गई स्वेच्छा प्रकटन योजना से काले धन का पता लगाने के बजाय उसे ऐसे समय सहारा मिला है जबकि माल जब्त करने तथा छापा मारने का अभियान पूरे जोरों पर था ।"

53. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि 'आपातकालीन स्थिति" की उद्घोषणा के बाद मूल्य स्तर में हुई वृद्धि को छिपाने के लिए गलत आंकड़े दिए जा रहे हैं ।"

54. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि समर्थन मूल्य के अभाव में किसानों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है ।"

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

55. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि वर्ष 1975 के दौरान भारतीय गणतंत्र में घटी अप्रियजनक असंवैधानिक तथा असाधारण घटनाओं का पूर्ण, यथार्थ, सच्चा तथा वास्तविक ब्यौरा राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं है ।"

56. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि सारे देश में हजारों राजनीतिक नेताओं, मजदूरों तथा भिन्न स्वावलम्बियों की नजरबन्दी तथा उनके अते-पते एवं हितों का राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेख नहीं है ।"

57. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में 25 जून, 1975 को आंतरिक आपातकालीन स्थिति की घोषणा के कारणों का सतोषजनक एवं सही उल्लेख नहीं किया गया है ।"

58. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में मार्च, 1976 में वैधानिक रूप से होने वाले आम चुनाव कराने का उल्लेख नहीं है।"

59. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में भारतीय जनता को सार्वजनिक घटनाओं तथा कथनों के बारे में निरन्तर तथा बाधाहीन सूचना प्रदान करने के बारे में, जिसके बिना वास्तविक प्रजातंत्र का निर्माण और विकास नहीं हो सकता, ठोस आश्वासन नहीं है।"

60. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि वर्तमान कृत्रिम आंतरिक आपतकालीन स्थिति के समाप्त होने के समय का कोई उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं है।"

61. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में एक सतत् रूप से क्रियाशील, स्वाधीन, न्यायप्रिय न्यायपालिका की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर कोई बल नहीं दिया गया है जो कार्यपालिका के नियंत्रक के रूप में काम करे और इस प्रकार कानूनों के पालन का उचित और आवश्यक वातावरण सुनिश्चित हो सके और सभी सम्बन्धित अभिकरणों का लोकतन्त्रीय कार्यकरण सुनिश्चित किया जा सके।"

62. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत के कोटि-कोटि वासियों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए यथोचित रूप से तैयार की गयी पांचवीं पंचवर्षीय योजना न बनाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।"

63. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की अधिकाधिक आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रगति के लिए ध्यानपूर्वक विचारित तथा कार्यप्रमुख ऐसे व्यापक और ठोस कार्यक्रमों का कोई उल्लेख नहीं है जिनसे हमारा लोकतंत्रात्मक गणतंत्रज समान तथा प्रबुद्ध दिशा में अग्रसर हो सके।"

64. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में वर्तमान 'आन्तरिक आपात स्थिति' दूर करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ताकि देश आर्थिक रूप से स्वस्थ तथा वास्तविक रूप में लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र बन सके।"

65. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में 'आन्तरिक आपात स्थिति' में अधिकाधिक ढील देने के कार्यों सम्बन्धी कोई उल्लेख नहीं है।"

[श्री पी० जी० मावलंकर]

66. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा स्पष्टतया निर्दिष्ट विभिन्न लोकतन्त्री संस्थाओं के कार्यकरण में अधिक शालीनता और सुसंस्कृत रवैया अपनाने की मूल आवश्यकता पर बल नहीं दिया गया है।"

67. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाए, अर्थात् :––

"किन्तु खेद है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि 'आंतरिक आपात स्थिति' के दौरान स्वशासी संस्थाएं इतनी कमजोर हो गई हैं कि वे समाप्त प्रायः हो चली हैं।"

68. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि संविधान द्वारा सभी नागरिकों को दिए गए कई राजनीतिक तथा प्रजातांत्रिक अधिकारों के नित्य प्रति तथा बढ़ते हुए हनन का उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं है।"

69. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :––

"किन्तु खेद है कि नागरिक सेवाओं तथा नौकरशाहों की विशेषकर 'आंतरिक आपात-स्थिति' की घोषणा के बाद से बढ़ती हुई स्वेच्छाचारिता तथा धांधलियों का राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"

70. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद कि देश के प्रशासन में भ्रष्टाचार लाल फीताशाही, विलंब तथा कार्यकारी अधिकारियों द्वारा गलत काम करने की पुरानी और गम्भीर बुराई के बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"

71 कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :––

"किन्तु खेद है कि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान के बीच चल रहे नर्मदा जल विवाद का शीघ्र एवं न्यायपूर्ण समझौता कराने के बारे में राष्ट्रपति अभिभाषण में आश्वासन नहीं दिया गया है।"

72. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि वर्ष 1975 में गुजरात में आए भयंकर समुद्री तूफान के कारण हुई जन-धन की भारी हानि का उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं है।"

73. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :––

"किन्तु खेद है कि गुजरात के लोगों को, जो गत तीन वर्षों से भी अधिक अवधि से अभाव, सूखा, बाढ़ तथा तूफानों से पीड़ित हैं, सरकार द्वारा शीघ्र, पर्याप्त तथा ठोस वित्तीय और अन्य सहायता देने के बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"

74 कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि गुजरात में सूरत के निकट हाजीर में नया शिपयार्ड बनाने तथा गुजरात में शीघ्र ही नया आणविक विद्युत केन्द्र स्थापित करने का कोई उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं है ।"

75 कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि राष्ट्रपति के भाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि अनेक्य नजरबन्दों को जेलों से कब और कैसे रिहा किया जायेगा ।"

श्री इरा सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

77 कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में आपात स्थिति को तत्काल समाप्त करने, नेताओं को रिहा करने तथा प्रेस स्वातन्त्र्य के उचित अधिकारों को बहाल करने का उल्लेख नहीं है ।"

78 कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में प्रधान मंत्री द्वारा उपयोगी चर्चा के लिए सभी दलों के नेताओं का गोलमेज सम्मेलन बुलाने की आवश्यकता तथा देश में फिर से सामान्य स्थिति बहाल करने का उल्लेख नहीं है ।"

79 कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि सत्तारूढ़ दल के महत्वपूर्ण वर्गों द्वारा देश में संसदीय प्रजातन्त्र प्रणाली को बदलने के बारे में दिए गये सुझावों से उत्पन्न आशंकाओं को दूर करने के बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई आश्वासन नहीं दिया गया है ।"

80 कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि देश में प्रेस पर लगाई गई कड़ी पाबन्दी तथा विशेषकर विरोधी दलों द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले पत्र-पत्रिकाओं पर अत्यन्त आपत्तिजनक पर्व-सेंसरशिप लगाकर भेदभाव बरतने का उल्लेख नहीं है ।"

श्री सी० एम० सिन्हा (मंयूरगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

112 कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभशषण में आदिवासियों और हरिजनों के उत्थान सम्बन्धी समस्याओं के निदान का उल्लेख नहीं है ।"

113 कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि आपात-स्थिति की घोषणा के बाद वस्तुओं के मूल्यों के बारे में अभिभाषण में दिये गये आंकड़े वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाते ।"

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

114 कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का स्वागत करते हुए इस बात का खेद है कि अभिभाषण में आपात स्थिति को समाप्त करने, राजनीतिक बन्दियों को रिहा करने और उक्त उद्घोषणा द्वारा निलम्बित मौलिक अधिकारों को बहाल करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।"

115 कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि संविधान के मूल ढांचे में भारी परिवर्तन करने के बारे में व्यापक गलत-फहमी को दूर करने और इस आशय के आश्वासन के बारे में, कि उच्चत्तम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को संविधान और कानूनों की व्याख्या करने और कार्यकारिणी की ज्यादतियों के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 32 अथवा 226 के अधीन नागरिकों को राहत देने सम्बन्धी उनके अधिकारों से उन्हें वंचित न करने के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।"

116 कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा में अपर इन्द्रावती परियोजना को केन्द्रीय परि-योजना के रूप में लेने के बारे में विशेष रूप से कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे सूखे से लगातार प्रभावित कालाहांडी जिले की 5,00,000 एकड़ भूमि सिंचित होगी और जिससे 600 मेगावाट पनबिजली पैदा होगी और उस स्थान के निकट उच्च ग्रेड के बाक्साइट अयस्क के भारी मात्रा में उपलब्ध होने के कारण वहां पर एक बहुत बड़े अल्यूमीनियम कम्पलैक्स को विकसित करने में सहायता मिलेगी ।"

117 कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार से बड़ी सिंचाई तथा पनबिजली परियोजनाओं पर काले धन के प्रकटन से प्राप्त धन में से राशि निवेश करने के लिए नहीं कहा गया है ।"

श्री प्रसन्नभाई मेहता (भावनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

118 कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में श्री जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य को हुई अत्यधिक क्षति का उल्लेख नहीं किया गया है ।"

119 कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मीसा के अन्तर्गत इस सभा के नजरबन्द सदस्यों के नामों तथा उनके स्वास्थ्य की स्थिति का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।"

120 कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में नजरबन्द संसद सदस्यों को आंतरिक सुरक्षा में गड़बड़ी सम्बन्धी किसी प्रकार का आरोप सिद्ध करने के लिए न्यायालय के समक्ष लाने के सरकार के अभिप्राय का कोई उल्लेख नहीं है।"

121 कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रत्येक स्तर पर बढ़ रहे भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए उठाये गए कदमों का उल्लेख नहीं है।"

122 कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आपात-स्थिति समाप्त करने के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेताओं का एक गोल-मेज सम्मेलन बुलाने का कोई उल्लेख नहीं है।"

123 कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ती हुई बेरोजगारी तथा उसे कम करने के लिए किये जाने वाले उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।"

124 कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में समाचार पत्रों पर सरकार द्वारा लगाये गए प्रतिबन्धों का कोई उल्लेख नहीं है।"

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra): I support the Motion of Thanks moved on President's Address by Shri Goswami. The President's Address has put forth a very realistic picture of the state of affairs prevailing in the country. Therein, we not only find a mention of the difficulties through which the country is passing but it also paints the golden picture of the golden future ahead.

The mover of the motions has given a vivid descriptions of the factors which were responsible for the declaration of emergency. There is no doubt that the fascist forces were raising their ugly heads and near anarchic conditions were prevailing all around. Under such circumstances the Prime Minister rightly declared emergency and came forward with 20 point economic programme. Some of the items included in this programme specially relate to the benefit of rural people and agricultural workers, as these people suffered a lot in the past. Their wages were very low and they had taken loans which they were not in a position to pay back. Such people are now having a sigh of relief as they would not have to repay these loans. Just 10 days after the declaration of Emergency, I had been to my constituency and I found that people over there were quite happy to know about this 20 point programme.

The declaration of emergency has not only been welcomed by people at large but it has also been supported and appreciated in different sections of foreign Press, prominent of them being the newspapers of Iraq and Canada. The fact of the situation is that people at large were never happy on the calls of strike, demonstrations and bandhs. The anti-social elements used to force them for observing all such things. But the declaration of Emergency has changed the

[SHRI SHANKAR DAYAL SINGH]

situation all together. Our schools and colleges are more disciplined today. Our civil servants are now more co-operative. In nut shell I may say that a new era of discipline and high sense of responsibility has been set in by the emergency.

I am sorry to mention that law and order situations in Gujarat is not satisfactory and the incidents which took place there during Panchayat elections are highly objectionable.

Sir, I think no Member of the opposition except the Communist Party visited Chasnala, and you will see that in this discussion they will cry the utmost who have never gone beyond Banaras. My submission is that politics should not be brought into such calamities.

अध्यक्ष महोदय : सदस्य महोदय अपना भाषण मध्यान्ह भोजन काल के बाद जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2.00 म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till 14.00 of the clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2.00 म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled at 14.00 of the clock after lunch.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

Shri Shankar Dayal Singh: Sir, I was making a few submission while supporting the motion of thanks on President's Address. The 20 Point programme of the Prime Minister announced after emergency has brought new hope for the nation which was plagued by indiscipline, dissention and rearing fascism. Emergency has brought a sense of responsibility in the nation. The 20 Point programme has brought much needed relief to the much-harassed farmer of the country who had hitherto been forgotten.

Coupled with better human endeavour we have also been blessed with unprecedented bumper crop this year. We are certainly in better days now.

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : मुझे लिखित भाषण पढ़कर सुनाने की अनुमति देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। जैसा कि हमारे दल-नेता कामरेड गोपालन ने पिछले सत्र में कहा था यदि सरकार ने हमारी बातें मान कर अपनी नीतियां बनाई होतीं तो आपात स्थिति लागू करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारे दल ने लिखित चेतावनी दी थी कि श्रमिक-विरोधी तथा एकाधिकारियों को संरक्षण देने की नीति बदली जानी चाहिये। सरकार यह करने को तैयार नहीं है और इसका परिणाम यह है कि योजना का कार्य बन्द पड़ा है। इस समय देश में लोकतंत्रीय अधिकारों का इतना अधिक हनन हुआ है जितना ब्रिटिश शासन में भी नहीं हुआ था। गत सत्र के बाद सर्वश्री मोहन धारिया और जगन्नाथ राव जोशी, संसद-सदस्यों, यहां तक कि संसदीय सम्मेलन में भाग लेने वाले कर्नाटक के विधायक को भी 'मीसा' के अधीन बन्दी बना दिया गया है। क्या इसी प्रकार सरकार लोकतंत्र की रक्षा कर रही है ?

यदि महान्यायवादी के उच्चतम न्यायालय में दिए गए तर्क और बातें सही हैं तो सरकार के तानाशाह होने में कसर ही क्या रह जाती है।

वाक्-स्वातंत्र्य पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। कांग्रेसी-शासन वाले राज्यों में विरोधी दल तो क्या, श्रमिक संघ, किसान सभा और वकीलों तक को कोई बैठक करने की छूट नहीं है। गत् सत्र के बाद 22 सरकारी अध्यादेश जारी किए गए जिन पर इस सत्र में मुहर लगाई जाएगी।

समाचार पत्रों को सरकार तथा सत्तारूढ़ दल की आलोचना छापने की आज्ञा नहीं है, यहां तक कि वे सरकार के विरुद्ध जाने वाले कानूनी निर्णय तक भी नहीं छाप सकते। इतना ही नहीं अब नए अध्यादेशों द्वारा सरकार के विरुद्ध असंतोष उपजाने वाली किसी सामग्री का प्रकाशन दण्डनीय अपराध होगा और जिलाधीश उस मुद्रणालय तक को जब्त कर सकेगा।

इतना सब होने के बाद लोकतंत्र कहां रह जाता है ? जिसके लिये आपातस्थिति लागू की गई है और जिसकी रक्षा का सरकार दावा करती है ?

उद्योग के क्षेत्र में कर्मचारी वर्ग का शोषण हुआ है और जीवन बीमा निगम, बैंकों, सरकारी उपक्रमों तथा विभागों में कर्मचारियों से बिना समयोपरि भत्ता दिए अतिरिक्त काम लिया गया है तथा कुछ की सेवाएं मनमाने ढंग से समाप्त कर दी गई हैं। जहां कच्चे माल के मूल्य काफी गिर गए हैं वहां उनसे तैयार माल के मूल्य कम नहीं हुए हैं। कई क्षेत्रों में धान के मूल्य सरकारी मूल्य से काफी कम हो गए हैं परन्तु सरकार ने उसे समर्थन-मूल्य पर नहीं खरीदा है। दूसरी ओर कर और लेवी बढ़ा दी गई है।

एक ओर तो प्रधान मंत्री श्रमिकों को उत्पादन बढ़ाने को कहती हैं परन्तु वास्तविकता यह है कि तैयार माल का ग्राहक ही कोई नहीं है। अनेक कारखाने बन्द हैं और श्रमिकों की जबरी छुट्टी कर दी गई है। न केवल इस्पात, मोटरगाड़ी, रेल-डिब्बे तथा मशीनें बनाने के कारखानों में माल जमा है बल्कि सूती कपड़ा मिलों तथा उपभोक्ता वस्तु निर्माण-कारखानों में भी हजारों श्रमिक जबरी छुट्टी पर हैं। यह है देश की वास्तविक स्थिति---जिसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। आज जनता में क्रय शक्ति बहुत कम हो गई है। 10 वर्ष पूर्व कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत केवल 16 मीटर थी जो अब और घट कर 12 मीटर रह गई है। इसका हल भी सरकार ने खूब निकाला है। कपड़ा यदि देश में न बिके तो निर्यात करो और यदि भारी प्रतियोगिता के कारण निर्यात में कठिनाई हो तो जनता के धन से राज सहायता प्रदान करो।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के अनुसार, जो आपात स्थिति तथा 20 सूत्री कार्यक्रम के कट्टर समर्थक है, इन कार्यक्रमों की क्रियान्विति गांवों में लगभग शून्य है और औद्योगिक क्षेत्र में विपरीत दिशा में चल रही है। फालतू भूमि के वितरण में जमींदार लोग रोड़े अटका रहे हैं परन्तु ये जमींदार हैं कौन ? वास्तव में यही लोग गांवों में कांग्रेस का आधार हैं और विभिन्न स्तरों पर कांग्रेस पर नियन्त्रण रखने वाले हैं---फिर भला 20 सूत्री कायक्रम लागू हो भी तो कैसे ?

बड़े-बड़े उद्योगपतियों तथा उनके विदेशी सहयोगियों को दी गई रियायतों तथा श्रमिक वर्ग पर लगाए गए नियंत्रणों तथा छीन ली गई रियायतों से लगता है कि देश की अर्थ-व्यवस्था इन्हीं मगर-मच्छों के लिए ही चलाई जा रही है और तो और स्वयं प्रधान मंत्री, जो 1971 में एकाधिकारवादियों के विरुद्ध दहाड़ी थीं, आपात स्थिति की घोषणा के बाद अपने प्रसारण में उन्हें आश्वासन दिया था कि उद्योगों का और राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाएगा। भूमिहीन श्रमिकों को मकान के लिए भूमि देने ऋण-राहत, बन्धक मजदूरी समाप्त करने जैसे कानून पुराने हैं, फिर सरकार को इन्हें लागू करने से किसने रोका ? इसका उत्तर योजना आयोग के दल ने दिया है कि स्वयं सरकार तथा सत्तारूढ़ दल में

[श्री समर मुखर्जी]

इसके लिए राजनीतिक इरादे का अभाव था और वही इसके लिए जिम्मेदार है जबकि पश्चिम बंगाल की संविद सरकार ने कुछेक महीनों में ही 4 लाख एकड़ फालतू भूमि का वितरण किया था।

चण्डीगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के लिए तैयार किए गए सर्वेक्षण के अनुसार केवल 1,36,637 एकड़ भूमि ही भूमिहीनों में बांटी गई जबकि अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति के अनुसार यह भूमि केवल पत्रो और रिकार्ड में ही बांटी गई है वास्तव में नहीं। साथ ही अनेक बड़ें-बड़े कांग्रेसी नेताओं और मंत्रियों के पास अब भी सीमा से अधिक हजारों एकड़ भूमि है।

सस्ते ऋण की विश्वस्त व्यवस्था के अभाव में किसान अभी तक महाजनों की दया पर निर्भर हैं जो अब और अधिक ऊंचा ब्याज वसूल कर रहे हैं।

देश में बढती बेकारी से बन्धक मजदूरी समाप्त करने का कानून हास्यास्पद हो कर रह गया है। इसके मुकाबले बड़े व्यापारियों को असंख्य लाभ आपात स्थिति के हुए हैं। केवल बोनस अध्यादेश से ही उन्हें 250 करोड़ रुपये मिले हैं।

राष्ट्रीयकरण न करने, निर्धारित क्षमता के वैधीकरण, एकाधिकार गृहों को उपभोक्ता उद्योगों में प्रविष्ट होने की अनुमति, कराधान में रियायत, निर्यात शुल्क को समाप्त करना, विदेशी तथा भारतीय एकाधिकार गृहों को 30 अन्य उद्योगों में असीमित विस्तार करने देना, सीमेंट, एलिमिनियम तथा स्टैन्डर्ड कपड़े के मूल्य में वृद्धि, नई चीनी मिलों पर लेवी न लगाना आदि दी गई रियायतों की अपूर्ण सूची है। इस कारण यदि एकाधिकारी आपात स्थिति का समर्थन करते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सत्ताधारी दल ने फासिस्टवाद का घोर विरोध किया है लेकिन वह उन एकाधिकारियों को, जो फासिस्टवाद का वास्तविक बीज बो रहे हैं, खुली छूट दे रहे हैं। साथ में देश में लोकतन्त्रीय अधिकारों का हनन हो रहा है।

एक ओर आप बहुराष्ट्रीय निगम तथा एकाधिकारियों को रियायतें प्रदान कर रही हैं और दूसरी ओर चिल्ला-चिल्ला कर कह रही हैं कि हम फासिस्टवाद से लड़ रहे हैं। समय आ गया है जब कि हमें गम्भीरता से सोचना होगा कि देश में क्या हो रहा है। सत्तारूढ़ दल फासिस्टवाद के विरुद्ध बहुत कुछ बोलता है लेकिन वे स्वयं ही फासिस्टवाद को पनपने के लिए अवसर दे रहे हैं।

ऐतिहासिक अनुभव से हमें पता चलता है कि फासिस्टवाद का जन्म सत्तारूढ़ दल द्वारा संसद सदस्यों और संसदीय संस्थाओं के अधिकारों पर आक्रमण करने से हुआ है।

प्रधान मंत्री विध्वंसकारी बलों के बारे में कहती हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उनके अपने ही मंत्री शिव सेना को प्रोत्साहित करते हैं, उनके ही आदमी विभिन्न प्रकार से देश में असंतोष फैलाने की चेष्टा करते हैं।

कांग्रेस दल प्रतिक्रियावादी दलों की बात करता है। किन्तु उनको यह नहीं भूलना चाहिए कि वे गिरफ्तार होने के भय से ही अचानक प्रगतिशील बन जाते हैं।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के लिए केवल कांग्रेस दल ही जिम्मेदार है।

प्रधान मंत्री बाहरी खतरों तथा सी०आई०ए० से भयभीत है। हम ने उन्हें पहले ही इन खतरों से सावधान होने के लिए कहा है। केवल सत्तारूढ़ दल ही ऐसा है जिसने इन शक्तियों को देश में अपनी जड़ें जमाने दी है।

अब सरकार आपात स्थिति को जारी रखना चाहती है।

लोगों से कहा जा रहा है कि अनुशासन रखा जाय। पश्चिम बंगाल में सड़कों पर रहने वाले एक लाख दुकानदारों को तत्काल हटा दिया गया इनकी दुकानें और मकान गिरा दिये गये। उनको केवल 6 घंटे का नोटिस दिया गया है। लोगों से यह भी कहा गया कि या तो लोग अपने मकान स्वयं तोड़ें या फिर प्राधिकारियों को मकान तुड़वाने के लिए 60 रुपये प्रति घंटे की दर से दें। लोगों के मन में आतंक पहुंचाया जा रहा है कि यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। आपात स्थिति के दौरान एक लाख से भी अधिक मकान तोड़े गये हैं। ऐसा ही अन्य राज्यों में भी हो रहा है। हम ने दिल्ली में ही देख लिया है किस तरह झुग्गी-झोंपड़ियों को तोड़ा गया है तथा हजारों परिवारों को दिल्ली को सुन्दर बनाने तथा अनुशासन के नाम पर बेघरबार कर दिया है।

सरकार अब संवैधानिक संशोधनों की बात कर रही है। हम इन तमाम वर्षों में कहते आये हैं कि सम्पत्ति सम्बन्धी मूल अधिकार हटा दिया जाना चाहिए। कहा गया है कि कार्यपालिका को निरंकुश असीम अधिकार देने वाले संवैधानिक संशोधन शीघ्र किये जाने हैं। प्रधान मंत्री ने इस प्रश्न पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा करने की आवश्यकता के बारे में कहा है। लेकिन कांग्रेस दल और उसके सहयोगियों के अतिरिक्त अन्य किसी को वाद-विवाद करने की अनुमति नहीं दी गई है।

प्रधान मंत्री ने कहा है कि संविधान में मूलभूत परिवर्तन करने के प्रश्न पर जनमत प्राप्त किया जाना चाहिए। किन्तु सरकार का विचार है कि इस संसद की कार्यावधि, जो मार्च में समाप्त हो रही है, एक वर्ष तक के लिए बढ़ा दी जाये और फिर यह संस संविधान का संशोधन करेगी। 1971 में प्रधान मंत्री ने संसद की कार्यावधि पूरी होने से पहले इसे भंग कर दिया था और यह देख कर कि चुनाव कराने की दृष्टि से यह स्थिति कांग्रेस दल के लिए उचित है, चुनाव करा दिये। आज जब कि संसद की पांच वर्ष की कार्यकाल की अवधि पूरी होने को है, वह चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है। उनका दल चाहता है कि तमिलनाडु में चुनाव न कराकर वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाये। उनका उद्देश्य यह है कि जनमत के बिना वहां कांग्रेस का राज्य स्थापित कर दिया जाये। इस प्रकार मनमाने ढंग से संवैधानिक निर्णय किये जा रहे हैं।

28 सितम्बर को हमारे दल के लगभग 100 नेताओं को अचानक गिरफ्तार कर लिया गया। उनको गिरफ्तार करने का उद्देश्य यह था कि केरल कांग्रेस पर साम्यवादी दल (मार्सक्वादी) से सम्बन्ध विच्छेद करने तथा सत्तारूढ़ दल में सम्मिलित होने के लिए उन पर दबाव डालना था। उन नेताओं ने मुझे बताया कि हमें दिल्ली लाया गया और कहा गया कि यदि तुम सत्तारूढ़ दल में सम्मिलित नहीं हुए तो तुम्हें परिणाम भुगतने पड़ेंगे . . . और जेल में डाल दिया जायेगा . . . (**व्यवधान**) . . . . यह सही है यदि आप सत्तारूढ़ दल में सम्मिलित हो जाओ तो आपको कोई मंत्रालय मिल जायेगा। इस तरह कई विधायक, विरोधी पक्ष के नेता आदि जेलों में बन्द हैं।

इसी तरह मुस्लिम लीग के कई विरोधी नेताओं को भी गिरफ्तार किया हुआ है क्योंकि सत्तारूढ़ दल को डर है कि कहीं ये लोग विरोधी दलों से न मिल जायें। देश में इस तरह का लोकतंत्र चल रहा है और आप कहती हैं कि हम लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं।

मैं अपने दल की ओर से मांग करता हूं कि आपात स्थिति समाप्त की जाये, सभी राजनीतिक बन्दियों को रिहा किया जाये तथा निष्पक्ष चुनाव कराये जायें।

श्री मोइनुल हक चौधरी :(धुबरी) : कांग्रेस दल तथा सरकार ने यह विचारधारा अपनाई है कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक ही नहीं अपितु आर्थिक भी होनी चाहिए और जब हमारी प्रधान मंत्री ने इस विचारधारा को पूर्णरूपेण कार्यान्वित करना चाहा तो कई शक्तियां अपना सिर उठाने लगीं। कुछ लोग यदि समाजवाद और साम्यवाद की बात करते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि वे फासिस्ट नहीं हो सकते। यह सर्वविदित है कि वे शक्तियां स्वतंत्रता का महत्व कम करने के साथ-साथ देश की एकता, प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद का भी महत्त्व कम करने में क्रियाशील थीं। अतः ऐसी परिस्थितियों में आपातकालीन स्थिति की उद्घोषणा करनी पड़ी और अब आपातकालीन स्थिति को समाप्त करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि जब तक स्थिति में सुधार न हो और देश में राजनीतिक तथा आर्थिक अनुशासनहीनता न मिट जाये तब तक आपातकालीन स्थिति को समाप्त न किया जाये। आपातकालीन स्थिति तब तक भी समाप्त न की जाये जब तक कि वे शक्तियां, जो कि केन्द्रीय सरकार को कमजोर करने का प्रयास कर रही हैं, समाप्त न हो जायें।

देश के भीतर तथा बाहर पड़ौसी देशों में हो रही घटनाओं को देखने से भी पता चलता है कि बाहरी खतरे की दृष्टि से भी आपातकालीन स्थिति की घोषणा करना सर्वथा उचित था। जो कुछ बंगलादेश में हुआ है वैसा किसी भी देश में हो सकता है और यदि सरकार ने सतर्क रह कर समय पर आपातकालीन स्थिति की उद्घोषणा न की होती तो शायद उसी प्रकार की घटना हमारे देश में भी हो जाती।

समूचा विश्व आर्थिक कठिनाइयों के दौर से गुजर रहा है और हमारा देश भी इसका अपवाद नहीं है। देश की आर्थिक स्थिति विभिन्न कारणों से बदतर हुई है। लोगों को आर्थिक निराशा से बचाने के लिए ही सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम का सूत्रपात किया है। इसके परिणाम-स्वरूप तस्करी, करापवंचन तथा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन करने जैसी समाज-विरोधी गतिविधियों में लगे लोगों की भली भांति खबर ली गई है। आपात स्थिति की घोषणा के पश्चात् देश में मूल्य स्तर में 20 प्रतिशत की गिरावट आ गई है।

समृद्ध देशों को भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किन्तु यहां 20 सूत्री कार्यक्रम तथा सरकार द्वारा कठोर कदम उठाने के परिणामस्वरूप कोयला, इस्पात, एल्युमीनियम, उर्वरक, सीमेंट, विद्युत् आदि के उत्पादन में वृद्धि हुई है। सरकारी क्षेत्र में भी गत वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत उत्पादन बढ़ा है। परिवहन तथा मौल डिब्बों के आने-जाने के मामले में महत्त्वपूर्ण सुधार हुआ है। समय आ गया है कि हम किस्म नियंत्रण पर जोर दें तथा उद्योगों का विविधीकरण करें। इस मामले में सरकार को एकाधिकार गृहों के बारे में सरकार आयोग के प्रतिवेदन को शीघ्र तैयार करने के प्रश्न पर विचार करना चाहिए।

राष्ट्रीय मजूरी नीति बनाने का भी समय आ गया है। मेरी तो यह राय है कि संविधान को बदलती हुई आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित किया जाना चाहिए। कहा गया है कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी की भावनाओं में नहीं बंध सकती। अतः जनता को यह अधिकार होना चाहिए कि वह हर दो वर्षों के बाद संविधान को समय की आवश्यकता के अनुसार बदल दे। संसद् निश्चित रूप से सर्वोच्च संस्था है। हमारे मार्ग में जो रुकावटें आयें, हमें उन्हें दूर करना चाहिए। हमें संविधान का पुनरीक्षण करना चाहिए और जहां संशोधन आवश्यक समझा जाये, करना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : कई बार हमें यह बताया गया है कि सेंसरशिप अब व्यावहारिक रूप से नहीं लगाया गया है और केवल कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किये गये हैं और समाचार पत्र या कोई पत्रिका इन सिद्धान्तों के अनुसार कार्य-संचालन कर सकता है। लेकिन मुख्य सेंसर के हाल के आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रकाशन से पहले प्रत्येक शब्द का सेंसर करना आवश्यक है। यह अत्यन्त ही खेदजनक है। मार्गदर्शी सिद्धान्त भले ही बनाये जाये किन्तु जिन आदेशों के अन्तर्गत समाचार पत्र अपना कार्य-संचालन करें उन पर मुख्य सेंसर की तानाशाही नहीं होनी चाहिए। अन्ततः अध्यक्ष महोदय को इस सभा के संरक्षक की हैसियत से इस सम्बन्ध में कुछ तो कहना चाहिए।

जहां तक आपात स्थिति और 20 सूत्री कार्यक्रम का सम्बन्ध है, इनके सम्बन्ध में हमारे दल का यह विचार है कि देश के संकटकाल के दौरान यह आपात स्थिति किसी विशेष उद्देश्य से लगाई गई थी। वह उद्देश्य यह था कि आपात स्थिति लागू करके, अत्यधिक शक्तियों का प्रयोग करके तथा कड़े उपाय काम में लाकर प्रतिक्रियावादी शक्तियों को पनपने से रोका जाये, क्योंकि इनकी सहायता से विदेशी तत्त्व हमारे देश में लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास कर रहे थे। देश के जनसाधारण के विरुद्ध इन अधिकारों का उपयोग किया जाना आपात स्थिति का उद्देश्य नहीं है। हमारा नारा यह होना चाहिए कि आपात स्थिति देश के दुश्मनों के लिए तथा लोकतन्त्र देश की जनता के लिए। फासिस्टवाद, साम्राज्यवादी दबावों, नव-साम्राज्यवादी षड़यंत्रों को कुचलने का यही एकमात्र उपाय है। हमने आपात स्थिति तथा 20 सूत्री कार्यक्रम का समर्थन इस आशा से किया है कि इनका कार्यान्वयन उचित ढंग से किया जायेगा।

बाहरी तथा आंतरिक खतरे के बारे में प्रधान मंत्री ने अपने वक्तव्य में जो बात कही है, मैं उसका भी समर्थन करता हूं। प्रधान मंत्री ने हाल ही में कहा है कि कुछ लोग, जिन्होंने अन्य देशों में सरकार उलटने के षड़यंत्र किये हैं, इस समय यहां भी विद्यमान हैं। यदि ऐसे लोग किसी विदेशी दूतावास अथवा उससे सम्बन्धित संस्था के अधिकारी के रूप में यहां हैं तो सरकार उस देश की सरकार से उन्हें यहां से हटाने के लिए क्यों नहीं कहती। यदि सरकार ऐसा कर सके तो इससे देशवासियों को भी शिक्षा मिलेगी और वे अधिक सतर्कता बरतेंगे।

अब देखना यह है कि क्या आपात स्थिति की घोषणा के पश्चात् इसके कुछ ठोस लाभ हुए हैं। निस्संदेह यह स्वीकार करना होगा कि इसके कुछ लाभ हुए हैं। मुद्रा-स्फीति रुक गई है वैसे अभी इसका प्रभाव खुदरा मुल्यों पर नहीं पड़ा है। सर्वाधिक उल्लेखनीय बात यह है कि बड़ी मात्रा में छिपा हुआ धन सामने आया है। वैसे यह समस्या का एक छोटा सा भाग है।

स्वेच्छिक प्रकटन योजना से देश में छिपे उस काले धन का जिससे एक समानान्तर अर्थ-व्यवस्था चल रही है, बहुत कम अंश सामने आया है। वर्तमान आपातकालीन स्थिति में सरकार को अपनी योजना को अब दृढ़तापूर्वक लागू करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

इस बात का दावा नहीं किया जा सकता कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम सतोषपूर्वक ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है। हमें इस कार्यक्रम पर विशेष निगरानी रखनी चाहिए। इसमें सन्देह नहीं कि हरिजनों को मकानों के लिये तथा कृषि के लिये जमीन दी गयी है। परन्तु कुछ मामलों में केवल पट्टे ही दिये गये हैं, जमीन नहीं। कई गरीब लोगों ने तो अपने पट्टे ही बेच डाले हैं। उन्हें दी गई कई जमीनें ऐसी हैं जहां खेती नहीं हो सकती।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

राष्ट्रपति ने इस कार्यक्रम के लिये जनसहयोग की मांग की है क्योंकि इस हेतु सरकारी एजेन्सियां ही पर्याप्त नहीं हैं और उन पर निर्भर रहना उचित भी नहीं है। यही कारण है कि साम्यवादी दल शुरू ही से निम्नतम स्तर पर जन समितियां गठित करने के लिये कहता आ रहा है। ऐसा किये बिना कोई भी संतोषजनक प्रगति नहीं हो सकती।

कपड़ा और चीनी के कारखानों के मालिकों के लिये बहुत सी रियायतें दी गयी हैं। उन्हें मुल्य वृद्धि करने तथा अधिक मुनाफा कमाने की अनुमति क्यों दी जा रही है? इसका क्या अर्थ है? आप प्रजातंत्र की ताकतों को मज़बूत करना चाहते हैं अथवा कमज़ोर बनाना चाहते हैं?

रिज़र्व बैंक के अध्ययन से पता चलता है कि पिछले पांच या छः वर्षों के दौरान देश की 1501 कम्पनियों के मुनाफे में निरन्तर वृद्धि होती रही है। फिर भी सरकार उन्हें तरह-तरह की रियायतें देती जा रही है, जैसे नियंत्रणों में ढील करना, शायद इस आशा से कि इससे उत्पादन में वृद्धि होगी।

अनेक कमियों को दूर करने की दृष्टि से आंसुका में समय-समय पर संशोधन किये गये हैं। लेकिन नौकरशाही क्या कर रही है? आप ने उसे बहुत अधिकार दे रखे हैं। जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोगों को प्रशासकीय कार्यवाही द्वारा प्रतिदिन बड़ी सख्या में रिहा किया जा रहा है। ऊंचे-ऊंचे पदों के अधिकारी राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ तथा आनन्द मार्ग के प्रति सहानुभुति रखते हैं। दिल्ली में भगवती जागरण समारोहों का आयोजन किया जा रहा है जिसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा जनसंघ के कार्यकर्ता भाग लेते हैं। आप इन समारोहों के लिये क्यों अनुमति देते हैं? भगवती जागरण के लिये तो अनुमति दी जाती है लेकिन साम्यवादी दल के जलूस के लिये अनुमति नहीं दी जाती। आप किन ताकतों के विरुद्ध शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं?

झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले गरीब लोगों की झुग्गियों को क्यों उठाया जा रहा है? उनके लिये इसके बदले कुछ दूसरे स्थान उपलब्ध किये जाने चाहिए।

निर्माण तथा आवास और संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : उपलब्ध किये जाते हैं

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कोई 25 मील दूर जाकर उपलब्ध किये जाते हैं। झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले लगभग तीन लाख लोगों को 25 मील दूर भेजा गया है। तथाकथित अनधिकृत कालोनियों में भी बने-बनाये मकान तथा अस्पताल तक गिराये गये हैं। इन्हीं गरीब लोगों ने हमेशा प्रधान मंत्री को अपना समर्थन दिया है। देश भर में इन गरीब लोगों को बेदखल करने को प्राथमिकता दी जा रही है। आखिर इस प्रकार की तोड़फोड़ क्यों की जा रही है? ऐसा करके उन गरीब लोगों का समर्थन आप क्यों खो रहे हैं जो सदा आपका समर्थन करते आये हैं?

पश्चिमी बंगाल में अनेक कारखाने बन्द कर दिये गये हैं और हजारों मजदूर बेकार हो गये हैं। कर्मचारियों के बोनस सम्बन्धी अधिकार भी छीन लिये गये हैं। ऐसा करते समय उनसे परामर्श तक भी नहीं किया गया। दूसरी ओर, लाभांश सम्बन्धी प्रतिबन्ध हटा लिये गये हैं। सात दिवसीय सप्ताह लागू करने के प्रयास भी किये जा रहे हैं। ऐसा करना कर्मचारियों के लिये अहितकारी होगा। इससे उत्पादन में भी कोई वृद्धि नहीं होगी।

20 सूत्रीय कार्यक्रम में कर्मचारियों द्वारा प्रबन्ध में भाग लेना भी शामिल किया गया है। लेकिन जो कुछ इस सम्बन्ध में किया गया है उसे कर्मचारियों को प्रबन्ध में भाग देना नहीं कहा जा सकता।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में विदेश नीति की चर्चा भी की गयी है। चिली में जो कुछ हुआ, हम सब उसकी निन्दा करते हैं। वहां आजकल सैनिक सरकार है। यहां चिली का एक प्रतिनिधिमंडल आया था। उसके साथ कोई समझौता हुआ है, जो अभी तक समाचारपत्रों में प्रकाशित नहीं हुआ है।

अभिभाषण में संयुक्त राज्य अमेरिका से भी रचनात्मक सम्बन्ध बढ़ाने की चर्चा भी की गयी है। हमें इस पर आपत्ति नहीं है, परन्तु हमें अपने सिद्धान्तों पर अडिग रहना चाहिए।

परन्तु इन देशों को विभिन्न प्रकार की तकनीकी, प्रौद्योगिकी तथा अन्य सहायता देने के सम्बन्ध में कुछ करार किये गये हैं। मैं चाहता हूं कि भारतीय सहायता पाने वाले देशों में चिली को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो मुझे डर है कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में हमारा प्रभाव अच्छा नहीं होगा। हमें इन बातों के प्रति सतर्क तथा सावधान रहना चाहिए।

कुदरेमुख लौह अयस्क परियोजना के बारे में ईरान के साथ समझौता किया गया है। यह ठीक है और हमारे लिए लाभदायक भी सिद्ध हो सकता है। परन्तु इस सम्बन्ध में मुझे यह चेतावनी देनी है कि इस समझौते के बाद हमें ये समाचार मिले हैं कि पाकिस्तान, ईरान और टर्की द्वारा संयुक्त रूप से हथियारों का उत्पादन किया जा रहा है। भविष्य में किसी प्रकार के संघर्ष में इनमें कुछ देश स्वयं ही हमारे विरुद्ध हो जायेंगे।

अंगोला के प्रश्न के सम्बन्ध में हम अंगोला के आन्तरिक मामलों में दक्षिण अफरीका द्वारा सशस्त्र हस्तक्षेप की निन्दा करते हैं। अंगोला की जनता पर, उनके स्वतन्त्रता आन्दोलन और लुआंडा में स्थापित सरकार पर दक्षिण अफरीकियों, पुर्तगालियों और अमरीकियों द्वारा संयुक्त रूप से आक्रमण किया जा रहा है। भारत सरकार को इस सरकार को मान्यता देने में हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए क्योंकि कई अन्य देश उसे मान्यता दे चुके हैं।

हम अपने देश की विदेश नीति से सहमत हैं। विश्व में गुटनिरपेक्ष और स्वतन्त्रता प्रिय देश के रूप में हमारा प्रभाव अच्छा है। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध कड़ा रवैया अपनाने वाले और अपनी स्वतन्त्रता के लिए लड़ने वाले देशों के समर्थक के रूप में हमारा अच्छा प्रभाव है। इस पर हमें गर्व है।

मेरे विचार में संविधान में परिवर्तन किया जाना चाहिए। बहुत से मित्रों ने संविधान में परिवर्तन की बात कही है। संविधान को आज की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने के लिए उसमें आमूल परिवर्तन किये जाने चाहियें जिससे देश आगे बढ़े और सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम बिना रुकावट के लागू किया जा सके। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रधान मंत्री ने चण्डीगढ़ में कहा है कि भविष्य में संविधान में जो भी परिवर्तन किये जायेंगे वे केवल कुछ वकीलों अथवा कुछ एक व्यक्तियों द्वारा नहीं किये जायेंगे अपितु वे जनता के समक्ष रखे जायेंगे और उन पर जनादेश लिया जायेगा। हमें इस बारे में पुनः आश्वासन दिया जाना चाहिए कि देश में संसद् की सर्वोच्चता और प्रभुसत्ता को समाप्त नहीं किया जायेगा। दूसरे कुछ संशोधनों पर ध्यानपूर्वक विचार

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

किया जाना चाहिए और उन्हें देश के लोगों के समक्ष रखा जाये जिनका मुख्य उद्देश्य सामाजिक-एवं आर्थिक परिवर्तन में रुकावटों को दूर करना है। तीसरे ऐसा गुप्त रूप से नहीं होना चाहिए। इसे लोगों के समक्ष रखा जाये ताकि वे उस पर अपनी राय दे सकें।

Dr. Kailas (Bombay South): I support the motion. First of all I welcome my colleague elected from Sikkim.

In his Address the President has given a very clear picture of political conditions prevailing in the country last year—economic problems and international developments. The internal situation of the country was so bad that there was danger to country's unity. During the last two or three years disruptive forces were active and they were conspiring to bring chaos in the country. Inflation was increasing. Commodities were not available as production was declining due to strikes. Students refused to study and take examinations. The Government and semi-government employees did not do their jobs in time. Therefore, the promulgation of emergency was a step in the right direction. It not only helped in curbing those elements but it also restored confidence and a sense of discipline in the nation.

[SHRI VASANT SATHE *in the Chair*]

[श्री वसन्त साठे पीठासीन हुए]

Instances have come to light where the bureaucracy has abused its power during the emergency. I will request the Government to see that innocent people are not harrassed in the name of emergency.

The scheme of voluntary disclosures has proved a great success. It has brought huge amount of unaccounted wealth and black money into the net of income tax officials.

There has been a bumper crop of cotton this year in Maharashtra. I will suggest that the nationalised textile mills should be asked to purchase all its requirements from the Cotton Federation alone. This Federation should be given necessary funds to enable it to make purchases from the producers. The State Government should be allowed to export long staple cotton on Government to Government basis.

If we want to make this 20-point programme a success, we must carry forward family planning programme also. In this year States have earmaked 25% more amount for State plans. I hope that they will make such provisions every year so as to make India a prosperous country.

Shri G. P. Yadav (Katihar): No indication has been given in the Address about lifting of emergency. Although a categorical assurance was given by the Government that MISA would not be used for political purposes, a number of leaders and political workers had been detained under MISA. This should be looked into. Thousands of workers are in jail these days under this law.

I lend my full support to the 20-point programme of the Prime Minister. In this connection, I will like to draw the attention of the Government of Bihar, where 11 thousand acres of land is eroded every year by the floods of

Ganga, as a result of which 23 thousand families are uprooted. They should be provided necessary help and assistance.

Government have claimed that there has been an all round fall in prices as a result of the promulgation of emergency. While the prices of agricultural commodities have fallen no such trend has been noticeable in the prices of manufactured goods like fertilizers, steel, cement, etc. The common man is still paying high prices for these essential items.

Political workers and satyagrahis are being treated very badly by the police. Mr. Jayaprakash Narayan was put in Chandigarh jail. He was not given proper treatment there. A thorough enquiry should be conducted in this matter:

An agitation for lifting the emergency is going on in Bihar. The Satyagrahis maltreated and beaten up by police. It should be checked and stopped:

During December the Sarpanch, Chausa area, Shri Yoginder Yadav, a Congress worker, was murdered in broad day light. Shri Ramadin Sahu was similarly murdered in Bhagalpur. But it is surprising that the culprits have not been traced. The Bihar police has failed in this matter.

I am happy as the Prime Minister's statement that the misuse of emergency would not be allowed. On 13th and 14th August, 1975 I was attending the meetings of the consultative committee here on Ministry of Steel and Mines, whereas the police initiated a case against me that I addressed a public meeting on 14th August in Bihar wherein slogans against Smt. Indira Gandhi were raised. The emergency is being misused in this manner.

The restriction imposed on our Fundamental Rights and Democratic Rights may be reviewed by this Government.

Today we talk of democracy and discipline, but during the emergency the condition has turned worse than the one during Moghul or British rule. So I request that the Government may re-examine the issue and restore to the people their fundamental and democratic rights.

Shri Hari Singh (Khurja): I am very happy on the Presidential Address. It is heartening that the President through his foresight put a check on the activities of such elements that were bent upon destroying the present administration. Today the opposition members accuse that the democracy has been destroyed. But what was the position prior to that. The duly elected members were forced to sign resignation letters and given mal-treatment by the people. If that is called freedom it would have been better if that type of freedom had been withdrawn much earlier. We wanted to change the destiny of the country. Certain persons of opposition side are with capitalists and with reactionaries and reside outside India. Some of them are attached with C.I.A., Anandmarg and R.S.S. If the freedom of such persons has been curbed it has brought about an era of peace and progress. If we look at the activities of certain opposition parties, we will find that they do not treat India as their home land. Had they been given free hand they would have destroyed India as their intentions were *mala fide*. Had we not a strong Prime Minister as Shrimati Indira Gandhi is, India would have definitely finished. These elements would have destroyed democracy.

The 20-point programme has given a new life to the economic structure of the country. It has programmes for the betterment of students, teachers and for every one. Even the handloom industry has a place in it.

This is not merely a paper programme but a practical programme. At least 18 out of 20 programmes are being implemented. The Congress Government and the Congress party are seriously making efforts for the betterment of minorities and scheduled castes. The opposition members are very much disturbed that the Muslims and scheduled castes are with the Congress.

The Vigilance committees for the proper implemantion of 20-point programme have been formed in certain States with the representation of various sections of the people. In some States these committees have since been formed while in the others these are being formed.

The Government officials at district and State levels have come to close to the elected representatives of their areas.

There has been reduction in prices of all the commodities and every commodity is available now. The products of the farmer have become cheap. The price of sugarcane is lower than that of the fire wood. It is necessary that the farmers may get proper price for their produce.

With these words I support the motion of thanks on the Presidential Address.

Shri Ram Deo Singh (Maharajganj): The President's Address contains all the points that the Prime Minister has been speaking from time to time in the country. The democracy, today, is facing gravest danger. Today that Parliament is in session but what would happen to the student and other leaders who are behind the bars without trial. The Government has put Shri Morarji Desai, Shri Raj Narain, Shri Madhu Dandavate behind the bars without any trial. There can be no other thing more shameful than this.

The country was put under emergency without even consulting the Cabinet. This is nothing sort of a dictatorship.

Whenever the brother of Shri Jayaprakash Narayan went to see his brother at Chandigarh, he sent a complaint to the Prime Minister about the inadequate arrangement for his treatment. When his condition turned serious, the orders for his release on parole were issued. Whatever be the party politics the humane consideration should always be protected at every cost.

Today we are called Fascists by those who have destroyed Parliament, Consituation and democracy. The press has been suppressed: These people who say that let the Parliament function properly, respect the Constitution and let the courts administer justice are called Fascists.

The misuse of emergency powers by the officials is unprecedented. The Father of the nation taught the nation to lead a fearless life—but today fearlessness has been killed. Even if some official takes bribe nobody can dare to say anything against him.

Not even the Congress M.Ps. can say as to when the elections would take place, when the Parliament would meet next? Today all the powers are concentrated in one person.

It is said that a record number of persons participated in the Congress session at Chandigarh. I have witnessed a Congress session during the life of Pandit Nehru, wherein he was criticised in such a way that it was feared that peace may be disturbed. But in the present session no body could dare speak anything controversial: Whosoever speaks, speaks of 20-point programme or on emergency.

Some Hon. Member referred to Samastipur blast. This incident is included as one of the reasons for declaring emergency. A strange situation has been created in the country. Different statements are given at different times. We demand a Parliamentary Enquiry Committee of five members on Samastipur Bomb case.

The collector of Siwan in Bihar collected 1 lakh 51 thousand rupees but deposited only 75 thousand rupees. The matter was investigated by a committee of Legislature. But the case was suppressed and no action was taken. In the end I request that Emergency which is responsible for so many ills be withdrawn immediately.

श्री एम० वी० कृष्णप्पा (हस्कोटे) : मुझे पहली लोक सभा से लेकर पांचवीं लोक सभा में भाग लेने का गौरव प्राप्त हुआ । यह सदन भारत की संसदीय पद्धति का जनक है। जैसा आचरण हम लोग यहां पर करते हैं वैसा ही अणुकरण राज्यों की विधान सभाओं में किया जाता है। पहले इस देश में संसदीय व्यवहार को सम्मान दिया जाता था ।

पहली और दूसरी लोक सभा में सब कुछ ठीक प्रकार से चला । तीसरी लोक सभा से स्तर में गिरावट आती गई । कुछ तत्वों ने सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई। कोई भी चर्चा ऐसी नहीं हुई जिसमें अनर्गल बातें न कही गई हों । श्री जी० बी० मावलंकर के समय प्रश्न काल के पश्चात् जीरो आवर की परिपाटी शुरू की गई । उस समय सभी सदस्य अपना मौलिक अधिकार समझने लगे और सदा ही इस समय में अव्यवस्था को ही प्रभुत्व मिलता । किसी भी विषय पर कोई निर्णय इस काल में सम्भव नहीं था । यह व्यवस्था विधान सभाओं में भी प्रचलित हुई । देश में अनुशासन समाप्त प्राय: हो गया । विश्वविद्यालयों में पूरी तरह अव्यवस्था फैल गई । सम्पत्तियां नष्ट की जाने लगीं । यदि इस बात को चलने दिया जाता तो मुझे विश्वास है कि हमारी अगली पीढ़ी हिप्पियों की होती । जिस प्रकार का व्यवहार श्री मोरारजी देसाई अथवा जय प्रकाश नारायण जी ने किया है उसी के कारण वह लोग जेल में हैं । उन्होंने सेना तथा पुलिस को अवज्ञा करने का आह्वान किया था । उन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांन्धी के विरुद्ध घृणा फैलाई । अपने ध्येय एवं अनुभवों को ध्यान में रखते हुए उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था । निश्चय ही यह लोग महान हैं । यह देश का नेतृत्व भी कर सकते हैं और देश को उलटी दिशा में भी ले जा सकते हैं । समग्र देश ने एवं सेना ने उनका अणुकरण करना था और देश का विनाश हो जाना था । हमें संतोष है कि आपात स्थिति ने सबको बचा दिया है । आज श्रमिकों में यह भावना होनी चाहिये कि उनका शोषण नहीं किया जा सकता तभी उत्पादन बढ़ सकता है । जापान और जर्मनी में उत्पादन बढ़ रहा है । इस आपातकालीन स्थिति में खून की एक बूंद तक नहीं बही । आपातकालीन स्थिति की घोषणा न की गयी होती तो सैंकड़ो बार गोलियां चलानी पड़तीं आपातकालीन स्थिति की घोषणा से पहले की तरह अब दंगों में कोई भी मौतें नहीं होतीं ।

प्रधान मंत्री ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा करके देश को विनाश से बचाया है । कुछ लोगों ने श्री जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में श्रीमती इंदिरा गांधी का विरोध किया था । उन्होंने संसद के लिये जनता मार्च का आयोजन किया । श्री जय प्रकाश नारायण का साथ समाज के भ्रष्ट लोग दे रहे थे । फासिस्ट ताकतों ने ही देश में आपातकालीन स्थिति लाने के लिये सरकार को बाध्य किया है ।

Shri Ram Hedaoo (Ramtek): The year 1975-76 has proved to be a eventful year in the history of Independent India. There is a mention of 20-point programme in the President's Address but there is no mention in it of any definite directives to implement them. There is only a reference in the President's Address about measures to remove the economic disparity. Unless radical changes are made in the Constitution and basic rights to property is restricted, the existing economic disparity between the rich and the poor cannot be removed.

So far as implementation of 20-point programme is concerned, present bureaucracy lacks will to implement it. Distribution of land has no doubt been undertaken but no proper criteria has been laid down for the allotment of land.

Nothing is mentioned in the President's address about education. Education today has been reduced to a corrupt business and teachers are being exploited by certain vested interests. Education should therefore, be nationalised.

There is also no mention about prohibition handloom workers and small farmers in the President's Address. The cotton growers in Maharashtra have not been paid the arrears of the last year. The Government should have monopolistic control so far as cotton is concerned and the cotton grower should be paid his due price. Keeping in view the cost of production and cost of living. Nothing has been mentioned in the President's address about the urban property ceiling. It is essential to have ceiling on urban property.

The task of uplifting the tribal people is not being attended to adequately. Because of certain zonal restrictions tribal students are deprived of educational and employment facilities. All these restrictions should be withdrawn so as to provide educational and employment facilities to them irrespective of any region or area.

The opposition members in the jail should be released because they too are patriots and not the enemies of the country.

श्री आइ० एच० खां (बारपेटा) : आपातस्थिति लागू किये जाने के कारण सर्वविदित ही हैं । चारों ओर अराजकता का वातावरण था । देश को आर्थिक और राजनैतिक पतन से बचाने के लिये आपातस्थिति लागू करना आवश्यक हो गया था ।

देश की कुछ साम्प्रदायिक संस्थायें शांति और सामान्य स्थिति नहीं चाहती थीं । उन्होंने सदैव शांति को भंग करने का प्रयत्न किया है । इन पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध लगा दिया जाये तथा उनके सदस्यों को कानून के अनुसार दंड दिया जाए । उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जानी चाहिये ।

आपातस्थिति लम्बे समय तक लागू रहनी चाहिये ताकि सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक बुराइयों को दूर किया जा सके । जमाखोरों, चोरबाज़ारियों और कर अपवंचकों को कठोर दंड दिया जाये तथा सामान्य जनजीवन और प्रशासन में सुधार किया जाये । आसाम में इस समय जमाखोरी समाप्त हो गई है और आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी हुई है ।

हमारे देश के किसान गरीब हैं । इन पर 55 करोड़ लोगों को भोजन देने का भार है । सरकार कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दे । 20-सूत्री कार्यक्रम में यदि उन की ओर ध्यान दिया गया तो उनको लाभ होगा ।

आपातस्थिति से देश में अनुशासन आया है। इसका देश के सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा है। सामान्य स्थिति के आने तक आपात स्थिति चालू रहनी चाहिये।

श्री गिरिधर गोमांगो (कोरापुट) : राष्ट्रपति के अभिभाषण में वित्तीय व्यवस्था सम्बन्धी एक नया प्रश्न जोड़ा गया है। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं। देश की प्रगति के लिये आयोजन आवश्यक है। कार्यक्रमों को लागू किये बिना योजना सफल नहीं हो सकती। इसके सफल कार्यान्वियन के लिए जनता और अधिकारियों में तालमेल होना आवश्यक है।

उड़ीसा के दक्षिणी भाग में बहुत से जमीदारों ने बटाईदारी के नाम पर बेनामी सौदों के द्वारा ज़मीन हड़प ली है। इस ओर उचित ध्यान दिया जाये।

कई राज्यों ने जनजाति क्षेत्रों में शराब की दुकाने समाप्त कर दी हैं। अन्य राज्य भी ऐसा करें। आदिवासियों का शोषण रोका जाये। ऐसा किये बिना आदिवासी क्षेत्रों का विकास नहीं किया जा सकता।

केन्द्रीय सरकार ने आदिवासी क्षेत्र के सम्बन्ध में एकल स्तर प्रशासन सिद्धान्त को अपनाया है। उड़ीसा तथा कुछ अन्य राज्यों ने भी इसे अपनाया है। जब तक सारे राज्य इसे नहीं अपनाते, उद्देश्य की पूर्ति कठिन है।

मैं भारत सरकार और उड़ीसा सरकार तथा अन्य सम्बन्धित राज्यों को गोदावरी नदी जल विवाद पर हुए समझौते पर बधाई देता हूं। राज्य में बहुत सी अन्य छोटी नदियां भी हैं जिनके सम्बन्ध में सझौता आवश्यक है। पांचवीं योजना में कुछ परियोजनाओं के लिए धन नियत किया गया है परन्तु यह बात सन्देहास्पद है कि इन छोटी नदियों के सम्बन्ध में समझौते के बिना क्या इन परियोजनाओं को लागू किया जा सकता है?

यह निर्णय किया गया है कि भूमि की उपरि सीमा क्षेत्र विशेष में उपलब्ध सिंचाई सुविधा के अनुसार होगी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक छोटी परियोजना है जिसकी लागत लगभग 6 करोड़ रुपये है। यदि वहां पर उचित सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध की जायें तो उपरि सीमा 30 एकड़ के बजाय 10 एकड़ हो जायेगी और इस प्रकार भूमिहीनों में बांटने के लिए और अधिक भूमि मिल सकेगी। कोरापुट जिले में कमजोर वर्गों के बीच बांटने के लिए लगभग एक लाख एकड़ भूमि हमें मिलेगी।

अब तक हम फालतू परती भूमि का वितरण करते रहे हैं। अब हमें फालतू जंगल की भूमि कमजोर वर्गों में बांटनी है ताकि वे अपना जीवन-निर्वाह कर सकें। केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा योजना आयोग को भूमि से वंचित लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिये। यदि सरकार भूमिहीन लोगों को भूमि देने का प्रयास कर रही है तो मेरा यह अनुरोध है कि भूमि-सुधार कानून को लागू किया जाना चाहिये और इसकी क्रियान्विति में प्रशासनिक उपाय तुरन्त किये जाने चाहियें।

Shri M. C. Daga (Pali): Mr. Speaker, Sir, the days of slogans are over. Only that party can now survive in the country which can prove its worth by its performance. The country has chalked out its course of action and a firm step has been taken in the right direction. It is the admitted policy of the Congress to wipe out exploiters. But we have to see that in the process of weeding out the exploiters from our Society, class confrontation does not take place.

[श्री इसहाक सम्भली पीठासीन हुए]

[SHRI ISHAQUE SAMBHALI *in the Chair*]

[SHRI M. C. DAGA]

I fully support the steps taken to remove rural indebtedness. The poor, the marginal farmers, the small artisans, the agricultural labourers etc. who are reeling under the heavy burden of indebtedness, should be given relief. But the law enacted by the Maharashtra Government in this connction will defeat the very purpose, because the definition of worker under the law is all pervasive and includes any person who earns 'his livelihood through any profession, calling or trade'. I am also a worker in terms of this definition as my monthly salary is Rs. 500 and can claim protection under this law even if I possess movable property worth Rs. 50 crores. Movable property will not attract the provisions of this law, but a person holding immovable property, the market value of which exceeds Rs. 20,000 will not get any protection under the law. As such this law is likely to be misused and will not give relief to the needy persons. This matter should be looked into. I fully support the governments' programme of moratorium on rural debt. But I would like to say that the pawned items with the money-lenders should not be forcibly acquired. It is good to help somebody, but not good to make somebody else peniless in that process.

Althouh Government have assured legal aid to the poor, in fact nothing concrete has been done in this direction. Immediate and effective steps should be taken to provide legal aid to the needy persons so that they can seek justice in the law courts. Our administrative machinery has got to be streamlined and made responsive to the needs of the poor.

A cement factory at Jaipur has been lying closed for the last six months as a result of which five thousand workers have been rendered jobless. Government should take necessary steps to see that the factory resumes its production so that the workers may not remain out of job. Financial consideration should not stand in the way of the Government in this matter.

A number of Committees have been appointed in different states to watch the implementation of the land ceiling laws. The Prime Minister has repeatedly said that the case of those poor people who have suffered should be reopened and re-examined. But most of the members of these Committees have vested interests since they themselves are owners of land and, therefore, good results can not be expected. I want to know how many such cases have been re-opened.

Our system of law is costly and cumbersome. The cases go on for years. The procedure should be simplified and made cheaper so that the people could get justice promptly.

The foundation of real democracy rests on the panchayat system. It is regrettable that panchayats have long been neglected in our country. There have been no elections to the panchayats for the last 13 years. I will urge upon the Government that the panchayats and local bodies should be revived.

Government have set up big corporations and the legislators, who could not win elections, have been appointed as Chairmen of these corporations. These persons have become very rich. Such cases should be looked into and the sources of their wealth found out.

Shri B. R. Shukla (Bahraich): The Opposition has contended that promulgation of emergency is wrong and its continuance is not in the interest of democracy. We must ascertain the reasons why emergency was proclaimed. The fact

is that the fascist and undemocratic elements had created a situation which could bring anarchy and chaos in the country. Therefore, Government had to take this step in the best interests of the country.

Mr. Chairman: The hon. Member may continue his speech tomorrow.

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

57वाँ प्रतिवेदन

निर्माण तथा आवास और संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का 57वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस समय 14 जनवरी को मुहर्रम के कारण छुट्टी है । परन्तु कुछ मुस्लिम मित्रों ने बताया है कि मुहर्रम वास्तव में 13 जनवरी को है । अतः कार्य मंत्रणा समिति में इस मामले पर विचार किया गया और वह इस बात से सहमत हुई कि 14 जनवरी के अतिरिक्त 13 जनवरी को भी छुट्टी होनी चाहिये । माननीय अध्यक्ष भी इस बात से सहमत हो गये हैं । अतः 14 जनवरी के आलावा 13 जनवरी को भी छुट्टी होगी ।

तत्पश्चात् लोक सभा, बुधवार, 7 जनवरी, 1976/17 पौष, 1897 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Wednesday January 7, 1976/Pausa 17, 1897 (Saka).

GIPND—L—20 05 LS—200